ध्येय IAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 20 | अक्टूबर 2023 / Issue 02 | मूल्य : ₹ 70

dhyeyaias.com

भारत में हरित प्रौद्योगिकी की दिशा में बढ़ते कदम: संभावनाएं और गठजोड़

संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन में सुधार की आवश्यकता

पर्यावरण को खतरनाक रसायनों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी

पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता एवं सुरक्षा में अफस्पा की भूमिका का मूल्यांकन

ओपीएस बनाम एनपीएस से संबंधित मुद्दे और उसके आयाम

भारत में जातीय जनगणना की मुखर होती आवाज: प्रभाव और मूल्यांकन

आधार के साथ जुड़ी सुरक्षा और निजता चिंताएं: आयाम और समाधान

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, प्रत्येक 15 दिन में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही केस स्टडी खंड के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम PMI (Pre + Mains + Interview) की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-

+91 9369227134

perfect7magazine@gmail.com

आगामी अंक में

- इजरायल और फिलिस्तीन के साथ संबंधों पर भारत की विदेश नीति का मूल्यांकन
- भारत में गर्भपात कानूनों से जुड़े समसामयिक पहलू: विसंगतियां और समाधान
- भारत में खनिज संसाधन संरक्षण विशेषकर स्ट्रेटेजिक मिनिरल की दिशा में उठाए गए कदम
- बाल अधिकारिता के संरक्षण के लिए जरूरी है बच्चों में कुपोषण का प्रबंधन
- भारत में सुशासन की मजबूती के लिए किए गए प्रयास और संबंधित चुनौतियां
- सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने में क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका
- भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास रोडमैप का अनावरण

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	भानू प्रताप
संपादकीय सहयोग	:	दीपक त्रिपाठी
	:	ऋषिका, प्रमोद
	:	प्रत्यूषा, पूर्णाशी
	:	रत्नेश, अर्पित
	:	तपस्या, अर्शदीप
मुख्य समीक्षक	:	ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक	:	नितिन अस्थाना
	:	शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
एवं डेवलेपमेंट	:	पुनीष जैन
सोशल मीडिया	:	केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग	:	रवीश, प्रियांक
टंकण	:	सचिन, तरून
तकनीकी सहायक	:	वसीफ खान
कार्यालय सहायक	:	राजू, चंदन, गुड्डू
	:	अरूण, राहुल

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

समसामयिकी लेख

1. भारत में जातीय जनगणना की मुखर होती आवाज: प्रभाव और मूल्यांकन — 5-6
2. पर्यावरण को खतरनाक रसायनों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी — 7-8
3. पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता एवं सुरक्षा में अफस्पा की भूमिका का मूल्यांकन — 9-10
4. संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन में सुधार की आवश्यकता — 11-12
5. ओपीएस बनाम एनपीएस से संबंधित मुद्दे और उसके आयाम — 13-14
6. आधार के साथ जुड़ी सुरक्षा और निजता चिंताएं: आयाम और समाधान — 15-16
7. भारत में हरित प्रौद्योगिकी की दिशा में बढ़ते कदम: संभावनाएं और गठजोड़ — 17-18

- राष्ट्रीय 19-23
- अंतर्राष्ट्रीय 24-28
- पर्यावरण 29-33
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 34-38
- आर्थिकी 39-43
- विविध 44-48
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 50-53
- समसामयिक घटनाएं एक नजर में 54
- चर्चा में रहे प्रमुख स्थल 55-56
- ब्रेन-बूस्टर 57-63
- समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 64-67
- प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न 68-73
- मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न 74

भारत में जातीय जनगणना की मुखर होती आवाज: प्रभाव और मूल्यांकन

भारत भाषाई, जातीयता और धार्मिकरूपी विविधता से परिपूर्ण देश है जहां पर व्यवस्था सामाजिक-राजनीतिक रूप से स्तरीकृत थी। जाति व्यवस्था सदियों से प्रचलित रही है जो लोगों को सामाजिक स्तरों या वर्गों में विभाजित करती है। इसका मतलब है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो सामाजिक पदानुक्रम में उसकी स्थिति उस जाति के आधार पर तय हो जाती है जिसमें वह पैदा हुआ है। इन वर्गों के लोग विशिष्ट व्यवसायों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। उनके परिवारों में पैदा हुए बच्चे भी इसी का पालन करते हुए व्यवसाय करते हैं जिससे व्यवसायों की पदानुक्रमित रैंकिंग और वंशानुगत व्यावसायिक विशेषज्ञता बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में भारतीय समाज मुख्य रूप से चार वर्णों में विभाजित था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र शामिल थे, परंतु स्वतंत्र भारत में इस वर्ण व्यवस्था ने वर्ग व्यवस्था का रूप ले लिया है जिसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आते हैं। इस वर्गीकरण को राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक की दृष्टि से देखा गया जो पुनः उसी व्यवस्था की ओर उन्मुख करना है जिसे बोलचाल की भाषा में भेदभाव कहा जाता है।

सन्दर्भ:

हाल ही में वर्षों से बिहार राज्य के क्षेत्रीय दलों की मांग के बाद हुए जातीय जनगणना का आंकड़ा राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया जिससे यह पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) की संयुक्त रूप से आबादी राज्य के कुल आबादी का 63% है।

भारत में जनगणना और जातीय जनगणना का इतिहास:

- भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वायसराय लार्ड मेयो के द्वारा जनगणना करने की शुरुआत 1872 में की गई थी। वर्ष 1881 से यह प्रावधान किया गया कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर होगी। ब्रिटिश शासन के दौरान 1881 से 1931 तक जितनी बार भी भारत की जनगणना कराई गयी, उसमें जाति से जुड़ी जानकारी को भी दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि 1941 की जनगणना में भी जातिगत आंकड़ा एकत्रित किया गया था, परन्तु उसे जारी नहीं किया गया था। आजादी के बाद भारत में जब साल 1951 में पहली बार जनगणना हुई, तो केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति से जुड़े लोगों को जाति के नाम पर वर्गीकृत किया गया।
- हालांकि 1953 में ओबीसी के लिए बने पहले केलकर आयोग ने 1961 की जनगणना में आबादी की जातिवार गिनती कराने की वकालत की थी लेकिन जातिगत जनगणना पर यह कहकर कदम आगे नहीं बढ़ाये गये कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी इससे जुड़े कई मामलों में दोहराया कि कानून के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं की जा सकती क्योंकि संविधान जनसंख्या को मानता है 'जाति या धर्म' को नहीं।
- 1970 के दशक में देश में लगे आपातकाल के बाद ऐसे कई राजनेताओं का उदय हुआ जिनकी राजनीति जाति पर आधारित थी। साल 1979 में भारत सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों की सूची एकत्रित करने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया था। मंडल कमीशन ने ओबीसी श्रेणी के के तहत 2400 से अधिक जातियों को सूचीबद्ध किया था।
- चूंकि 1990 आते आते जातिगत जनगणना का मामला आरक्षण से जुड़ चुका था, इसलिए समय-समय पर राजनीतिक दल इसकी मांग उठाने लगे थे जिसे 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा 27% प्रतिशत आरक्षण ओबीसी को देकर पूर्ण किया गया। वर्ष 1992 में इस आरक्षण से सम्बंधित मामले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी जिसे इंद्रा साहनी नाम से जाना गया। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में इस आरक्षण को वैध ठहराते हुए यह आदेश दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है।
- वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में जब यूपीए सरकार की वापसी हुई, तो 100 से अधिक सांसदों ने सरकार पर 2011 में होने वाली जनगणना के समय सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों का डेटा एकत्रित करने का दबाव बनाया जिस पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सहमति देनी पड़ी।

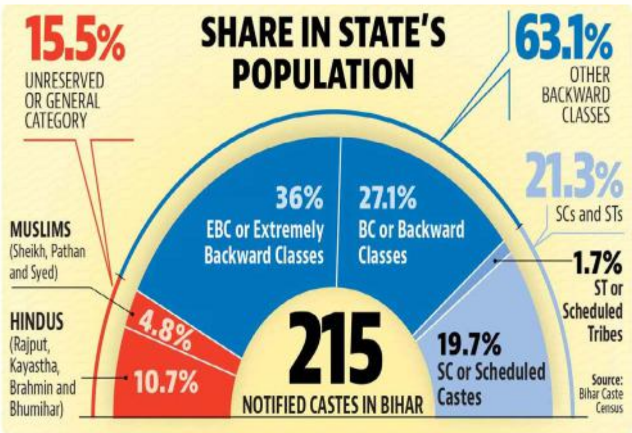

- 2011 में सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना करवाई तो गई, लेकिन इस प्रक्रिया में हासिल किए गए जाति से जुड़े आंकड़े कभी सार्वजानिक नहीं किए गए। इसी तरह साल 2015 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना करवाई गई, लेकिन इसमें हासिल किए गए आंकड़े भी कभी सार्वजानिक नहीं किए गए।

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के प्रमुख अंश:

- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी 27.13% है, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की आबादी 36.02% है। बिहार में अनुसूचित जाति की आबादी 19.65%, अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.69% है, वहीं सामान्य वर्ग की आबादी 15.53% है। रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि हिंदुओं की आबादी 81.99% है, जबकि मुस्लिम की आबादी 17.71% है। 'बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण' शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 13 करोड़ है।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों के विपरीत (जो विशेष रूप से केंद्रीय विषय हैं) अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अलग-अलग सूचियां हैं। केंद्र सरकार की सूची के अनुसार देश में 2,479 ओबीसी के जातियों की संख्या है, जबकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची के अनुसार संख्या 3,150 है। कुछ राज्यों में अनाथ और निराश्रितों को ओबीसी के रूप में शामिल किया गया है। कुछ अन्य मामलों में ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति को भी ओबीसी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

जातिगत जनगणना का उद्देश्य:

- परिवारों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक करने में सक्षम बनाना जिसके बाद राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकती हैं। प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध होना जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सके।
- विभिन्न जातियों और आबादी के वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा शिक्षा की स्थिति के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराना। इस तरह की जनगणना करवाने से जो आंकड़े मिलेंगे, उसे आधार बनाकर जरूरतमंद लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने में मदद मिलेगी। भारत में अदालतों ने कई मामलों में जोर देकर कहा है कि आरक्षण के संबंध में पर्याप्त डेटा होना आवश्यक है।

> भारतीय संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत जनसंख्या की गणना करना एक संघ सूची का विषय है जो संविधान की सातवीं अनुसूची के क्रम संख्या 69 में सूचीबद्ध है। जनगणना का प्रयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीयों की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने, संसाधनों तक पहुँच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बनाने तथा परिसीमन अभ्यास आदि के लिये किया जाता है। जनगणना भारत में जनगणना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आती है जिसमें सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है।

जातिगत जनगणना से समस्या:

- जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है क्योंकि जाति जनगणना के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव मौजूद होते हैं, इसलिए ऐसी चिंताएँ रही हैं कि जाति की गिनती से पहचान को मजबूत या कठोर बनाने में मदद मिल सकती है। इस बात का डर सबको है कि इससे समाज में एक जातिगत ध्रुवीकरण बढ़ सकता है। इससे समाज में लोगों के आपसी सम्बन्ध प्रभावित हो सकते हैं।
- जाति जनगणना का उपयोग भविष्य में आरक्षण और कल्याणकारी लाभों को तय करने के लिए किया जाएगा, इसीलिए उत्तरदाता अपनी जाति (या उपजाति) या अपनी भौतिक संपत्ति के बारे में झूठ बोल सकते हैं। यह भी देखा गया है कि जाति जनगणना कराने पर जोर वहीं दल दे रहे हैं जिनकी स्थापना जाति विशेष को लेकर हुई है, ऐसे में लोकतान्त्रिक चुनाव पद्धति को नुकसान हो सकता है।
- उल्लेखनीय है कि 500 से अधिक रियासतों को भारत में विलय करने वाले देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जाति जनगणना के खिलाफ थे।

आरक्षण नीति का औचित्य:

- कुछ समर्थकों का यह भी सुझाव है कि जाति जनगणना आरक्षण नीति निर्माताओं को आवश्यक सकारात्मक कार्यवाही के बारे में अधिक सटीक विचार करने में भी मदद करेगी। यह डेटा वर्तमान में एससी और एसटी आबादी के लिए उपलब्ध है, जबकि ओबीसी आबादी का अनुमान मंडल आयोग तथा वर्ष 1931 में हुई जनगणना के आधार पर 52% लगाया जाता है। ओबीसी समुदायों की कुछ ही जातियों द्वारा अधिकतर आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति की जांच करने तथा सभी जातियों को लाभ पहुँचाने के लिए 2017 में जस्टिस जी. रोहिणी समिति को नियुक्त किया गया था ताकि ओबीसी श्रेणी का उप-वर्गीकरण करके, उन्हें भी लाभ दिया जा सके जो जातियां आरक्षण के लाभ से अभी तक वंचित हैं।

निष्कर्ष:

भारत को डेटा के माध्यम से जाति के सवालों से निपटने में उसी तरह साहसी तथा निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका नस्ल, वर्ग, भाषा, अंतर-नस्लीय विवाह और अन्य मैट्रिक्स से संबंधित डेटा एकत्र करके इन बुराईयों से निपटने के लिए करता है। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था कि यदि भारत को वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के बीच गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करना है, तो सबसे पहले जाति को नष्ट करना होगा। वर्तमान समय में समावेशी और समान विकास की रणनीतियों पर कार्य करना, समय की मांग है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि जाति की गणना की जाए या नहीं, इस बहस में पड़ने की तुलना में मौजूदा डेटाबेस में सुधार करना अधिक जरुरी है। 21वीं सदी भारत से जाति व्यवस्था को समाप्त करने का सही समय है, अन्यथा यह न केवल सामाजिक रूप से, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से भी अच्छा संकेत नहीं होगा।

पर्यावरण को खतरनाक रसायनों से बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी

हाल ही में जर्मनी के शहर बॉन में पांचवें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल मैनेजमेंट (ICCM5) का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर के राष्ट्रों के प्रतिनिधि रासायनिक दुष्प्रभावों से मुक्त विश्व के लक्ष्य के साथ चर्चा करने के लिए एकजुट हुए थे। यह ग्लोबल फ्रेमवर्क एक सुरक्षित, स्वस्थ और धारणीय भविष्य के लिए रसायन तथा अपशिष्ट मुक्त पृथ्वी के विजन के साथ आगे बढ़ता है। यह फ्रेमवर्क सतत विकास लक्ष्यों, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क और प्लास्टिक पॉल्यूशन पर होने वाली वैश्विक संधि की शर्तों के साथ संबद्ध है। यह फ्रेमवर्क 28 लक्ष्यों पर आधारित है जिसका ध्यान इस बात पर है कि रसायनों और अपशिष्टों का प्रभावी प्रबंधन किया जाए। राष्ट्रीय सरकारों ने इसके तहत अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित किया है कि 2030 तक रासायनिक प्रदूषण में कमी लाने और अन्य सुरक्षित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेटरी नॉर्म के अनुरूप माहौल भी बनाया जायेगा। इस ग्लोबल फ्रेमवर्क के तहत उद्योगों ने इस बात के लिए प्रतिबद्धता जताई है कि 2030 तक केमिकल पॉल्यूशन के नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए तथा जहरीले रसायनों का प्रबंधन करने हेतु उद्योग जगत कार्यवाही करेगा।

ग्लोबल फ्रेमवर्क का कृषि और पर्यावरण संरक्षण से संबंध:

- इस ग्लोबल फ्रेमवर्क में आवाहन किया गया है कि वर्ष 2035 तक कृषि क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले उच्च जोखिम वाले कीटनाशकों को समाप्त किया जाये, साथ ही सुरक्षित विकल्पों पर ध्यान दिया जाए। इस फ्रेमवर्क में जलवायु, जैवविविधता, मानवाधिकार और हेल्थ एजेंडे के मध्य अंतरसंपर्क को मजबूत करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस बैठक में पेस्टिसाइड्स के नकारात्मक प्रभावों की चर्चा की गई है। विश्व भर में ऐसे रसायनों का इस्तेमाल हो रहा है जो पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य, जीव जंतुओं तथा धारणीय विकास सभी कुछ को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। कीटनाशकों (पेस्टिसाइड्स) के इस्तेमाल का बुरा प्रभाव मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ रहा है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, एक कीटनाशक किसी भी पदार्थ या पदार्थों का ऐसा मिश्रण होता है जो मानव या पशु रोग के वैक्टर, पौधों या जानवरों की आवांछित प्रजातियों सहित किसी भी कीट को नष्ट करने या नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। कीटनाशकों को उनके द्वारा मारे जाने वाले कीटों के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, जैसे-कीटनाशक (कीड़ों को मारने हेतु), शाकनाशी (जहरीले पौधों को नष्ट करने के लिए), कृंतकनाशक (कृन्तकों यानी रोडेंट्स अथवा कुतरने वाले जीवों जैसे चूहे आदि को निशाना बनाने के लिए), जीवाणुनाशक (जीवाणुओं को नष्ट करने), कवकनाशी (कवक को नष्ट करने वाले रसायन) तथा लार्विसाइड्स (लार्वा को मारने वाले रसायन) प्रमुख हैं।

केमिकल पॉल्यूशन से निपटने के लिए वित्तीयन प्रस्ताव:

- जहरीले रसायन मुक्त पृथ्वी के लिए वित्तीयन के मुद्दे पर एकीकृत दृष्टिकोण और राष्ट्रों के मध्य समन्वय का आहवान किया गया है। केमिकल पॉल्यूशन से निपटने और इस दिशा में प्रबंधन कार्य के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) द्वारा एक डेडीकेटेड ट्रस्ट फंड बनाने और उसका प्रबंधन देखने का निर्णय भी लिया गया। इस कोष में सरकारें, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन तथा फाउंडेशन अपना योगदान कर सकेंगे। जर्मनी ने इस कोष में 20 मिलियन यूरो के आरंभिक योगदान के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित की है।

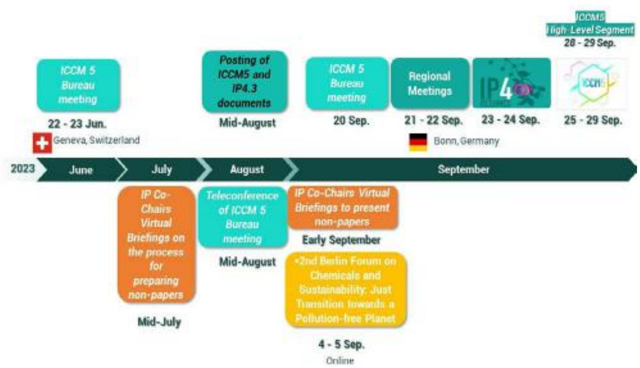

- दूसरी तरफ लैटिन अमेरिकी, कैरेबियाई समूहों और कई गैर-सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित अफ्रीकी समूह ने ICCM5 बैठक में प्रस्ताव किया है कि बेसिक फीडस्टॉक केमिकलों पर एक 'वैश्विक समन्वय वाला शुल्क' लगाया जाये। इससे एक ऐसे कोष का निर्माण होगा जो केमिकल्स और अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन में इस्तेमाल किया जायेगा। जिन देशों ने इस प्रस्तावित 'ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड फी' का विरोध किया है उनमें चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान, ईरान, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब और रूस शामिल हैं। इन देशों का कहना है कि एक स्वैच्छिक समझौते (ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स) में एक स्पेशल फंड बनाने के लिए टैक्स या शुल्क लगाकर ऐसी व्यवस्था करना औचित्यपूर्ण नहीं है।
- इसके अलावा ICCM5 द्वारा एक ग्लोबल एलायंस ऑन हाईली हैजार्डस पेस्टिसाइड्स को भी लॉन्च किया गया है जिससे कि नए ग्लोबल फ्रेमवर्क के क्रियान्वयन की दिशा में कार्यवाही की जा सके। इसमें सर्वाधिक घातक रसायनों को खत्म करने और रासायनिक अपशिष्टों के प्रबंधन में क्षमता निर्माण पर बल दिया गया है। इसके अलावा रासायनिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में

दुर्बल प्रवर्तन प्रणालियों (Weak Enforcement Regime) को दुरुस्त करने की सिफारिश राष्ट्रीय सरकारों से की गई है।

रसायन और धारणीयता पर दूसरे बर्लिन फोरम के निष्कर्ष:

- रसायन और धारणीयता पर दूसरे बर्लिन फोरम (Berlin Forum on Chemicals and Sustainability) का आयोजन सितंबर, 2023 में किया गया था। इसका आयोजन पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, परमाणु सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के लिये जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस फोरम के तहत 'मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उच्चस्तरीय संवाद' का आयोजन किया गया। प्रदूषण मुक्त पृथ्वी की दिशा में कार्यवाही के लक्ष्य के साथ इसका आयोजन हुआ जिसे वर्चुअल स्तर पर भारत के पर्यावरण मंत्री ने भी संबोधित किया। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दिशा प्रदान करते हुए रासायनिक और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रमुख मुद्दों के संबंध में साझे वैश्विक समझ को बढ़ावा देना है। रसायन तथा धारणीयता पर दूसरे बर्लिन फोरम का मुख्य उद्देश्य रसायन प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICCM5) की आगामी 5वीं बैठक के दौरान 'दि स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट (SAICM) बियॉन्ड 2020' के लिये समर्थन जुटाना और उच्च स्तर की महत्त्वाकांक्षा सुनिश्चित करना भी है।
- वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय रसायन प्रबंधन के लिये सामरिक दृष्टिकोण (SAICM) को अपनाया गया था। यह पूरे विश्व में रासायनिक सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक नीतिगत ढाँचा है। इसका प्रारंभिक उद्देश्य पूरे जीवन चक्र में रसायनों का सुदृढ़ प्रबंधन करना था ताकि वर्ष 2020 तक रसायनों का उत्पादन और उपयोग ऐसे तरीकों से किया जाए जो पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर कम प्रतिकूल प्रभावों डालें। SAICM का दायरा लगभग असीमित है जिसमें जहरीले रसायन और खतरनाक औद्योगिक गतिविधियाँ दोनों शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि SAICM देशों पर कोई बाध्यकारी दायित्व नहीं थोपता है।

रासायनिक जोखिमों से निपटने के लिए स्टॉकहोम कन्वेंशन:

- यह अभिसमय मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषणों से बचाने के लिये अंगीकृत किया गया था। स्वीडन के स्टॉकहोम में वर्ष 2001 में इस पर हस्ताक्षर के लिये राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया था और वर्ष 2004 में कार्यशील हो गया था। सदस्य देशों के बीच गहन वैज्ञानिक अनुसंधान, विचार-विमर्श और वार्ता के बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन के विभिन्न अनुलग्नकों में परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषणों को सूचीबद्ध किया गया है। यह अभिसमय एक दर्जन खराब रसायनों (Dirty Dozen Chemicals) में से नौ पर प्रतिबंध लगाने, DDT का उपयोग मलेरिया नियंत्रण तक सीमित करने और डायोक्सिन एवं फ्यूरेन के असावधानीपूर्वक किये जाने वाले उत्पादन पर अंकुश लगाने के लिये लाया गया। यह अभिसमय/समझौता/कन्वेंशन बारह अलग-अलग रसायनों को तीन श्रेणियों में सूचीबद्ध करता है:
  - आठ कीटनाशक (एल्ड्रिन, क्लोर्डेन, डीडीटी, डाइड्रिन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर, मिरेक्स और टॉक्सैफिन)
  - दो औद्योगिक रसायन (पॉली क्लोरीनेटिड बाइफिनाइल और हेक्साक्लोरोबेंजेन)
  - दो अनजाने पीओपी (डायोक्सिंस और फ्यूरांस) हैं।

रसायनों और कीटनाशकों से निपटने के लिए रॉटरडैम अभिसमय:

- रॉटरडैम अभिसमय (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम अभिसमय) खतरनाक रसायनों के आयात के संबंध में साझा जिम्मेदारियों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुपक्षीय संधि है। इस अभिसमय में सूचना के आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया गया है तथा खतरनाक रसायनों के निर्यातकों को उचित लेबलिंग का उपयोग करने, सुरक्षित संचालन पर निर्देश शामिल करने और किसी ज्ञात प्रतिबंध या बैन के बारे में खरीददारों को सूचित करने की बात की गई है। इस कन्वेंशन के तहत हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र यह तय कर सकते हैं कि संधि में सूचीबद्ध रसायनों के आयात की अनुमति दी जाए या उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसमें निर्यातक देश यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में निर्माता इसका पालन करें।
- पूर्व सूचित सहमति विनियमन (पीआईसी, विनियमन) कुछ खतरनाक रसायनों के आयात और निर्यात को प्रशासित करता है तथा उन कंपनियों पर दायित्व डालता है जो इन रसायनों को गैर-यूरोपीय संघ के देशों में निर्यात करना चाहती हैं। इसका उद्देश्य खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में साझा जिम्मेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों को खतरनाक रसायनों के सुरक्षित रूप से भंडारण, परिवहन, उपयोग और निपटान के बारे में जानकारी प्रदान करके मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की रक्षा करना है। पीआईसी विनियमन प्रतिबंधित या गंभीर रूप से प्रतिबंधित रसायनों पर लागू होता है जिसमें औद्योगिक रसायन, कीटनाशक और बायोसाइड शामिल हैं। उदाहरण के लिए बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एट्राजीन और पर्मेथ्रिन आदि। इन रसायनों का निर्यात दो प्रकार की आवश्यकताओं 'निर्यात अधिसूचना और स्पष्ट सहमति' के अधीन है।
- यह सर्वविदित है कि कीटनाशक जैसे खतरनाक रसायन मिट्टी की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पीने के पानी को दूषित कर सकते हैं, हवा में फैल सकते हैं, बड़े पैमाने पर पर्यावरण को प्रभावित कर सकते हैं और यहां तक कि पक्षियों, स्तनधारियों एवं मछलियों को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं। इसके बावजूद यह भी सच है कि कीटनाशक आधुनिक कृषि का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और खाद्य सुरक्षा परिणामों को देखते हुए पूर्ण उन्मूलन या प्रतिबंध उचित नहीं है। समय की मांग है कि किसानों को कम कीटनाशकों और जैविक खेती तथा शून्य बजट प्राकृतिक खेती आदि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। किसानों को प्रभावित करने वाले कीटनाशकों के आकर्षक विज्ञापनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाए ताकि उनका उपयोग न बढ़ाया जा सके। बदलते परिवेश को देखते हुए कीटनाशक निर्माताओं को भी अपने उत्पादन प्रणाली को विषाक्त से पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशकों में बदलना चाहिए।

पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता एवं सुरक्षा में अफस्पा की भूमिका का मूल्यांकन

हाल ही में जारी सरकारी आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया कि 'मणिपुर के राज्यपाल ने 19 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे मणिपुर राज्य को अफस्पा कानून के तहत अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी है। यह फैसला एक अक्तूबर 2023 से छह महीने की अवधि तक के लिए प्रभावी होगा। मणिपुर के पर्वतीय इलाकों में पिछले कुछ महीनों में नृजातीय हिंसा से निपटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिन थाना क्षेत्रों में अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू नहीं किया गया है, उनमें इंफाल, लाम्फेल, सिंगजामेई, सेकमई, लामसांग, पास्टल, वांगोई, पोरोम्पट, हीनगांग, लामलाई, इरिबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नामबोल, मोइरांग, काकचिन और जिरबम शामिल हैं। ध्यातव्य है कि मैतेई जनसंख्या बहुल इलाकों को अफस्पा के दायरे से बाहर रखा गया है।

- हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य असम के चार जिलों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (अफस्पा) को छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, साथ ही 'अशांत क्षेत्र' का दर्जा हटाते हुए चार जिलों जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ से अफस्पा हटा लिया गया है। असम के अब केवल चार जिलों में अफस्पा लागू होगा। ये जिले डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और चराईदेव हैं। जोरहाट, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ से एक अक्टूबर से अफस्पा हटा लिया गया है। असम सरकार ने इससे पहले इन आठ जिलों में एक अप्रैल से छह और महीनों के लिए अफस्पा को बढ़ाया था। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में 'आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पॉवर्स) एक्ट' की अवधि भी एक अक्टूबर 2023 से अगले छह महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा स्थिति में अभूतपूर्व सुधार होने के चलते भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम के तहत दशकों बाद अप्रैल 2022 से नागालैंड, असम और मणिपुर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया था लेकिन नई उभरती सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर केंद्र सरकार को कई क्षेत्रों में पुनः अफस्पा लगाना पड़ा है।
- उत्तर पूर्वी भारत में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के दुरुपयोग की संभावनाओं के चलते अनेक अवसरों पर अफस्पा को खत्म करने की सिफारिश की गई है। नृजातीय समुदायों की सुरक्षा के मामले में भेदभाव, फर्जी एनकाउंटर, मानवाधिकारों का उल्लंघन, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, लोगों की संपत्ति गलत तरीके से जब्त करने और अन्य भ्रष्टाचार के आरोप अफस्पा सुरक्षा कर्मियों पर लगे हैं जिसके साक्ष्य भी मिले हैं। उत्तर पूर्वी भारत में इसके बावजूद भी उग्रवादी हिंसक संगठनों, नृजातीय समुदायों के मध्य हिंसक संघर्ष तथा भारतीय संघ के विरुद्ध अलगाववादी आंदोलनों को चलाने वाले तत्वों को नियंत्रित करने के लिए समय-समय पर उत्तर पूर्व के राज्यों में अफस्पा लगाया जाना जारी रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गंभीर असुरक्षा स्थितियों को देखते हुए अफस्पा में अक्सर 6 माह की वृद्धि करते देखा गया है।

-: अफस्पा के बारे में :-

- अफस्पा, मूल रूप से नागा विद्रोह को संबोधित करने के लिए 1958 में लागू हुआ था। मुश्किल कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण केंद्र सरकार ने उत्तर पूर्व को 'अशांत क्षेत्र' के रूप में वर्गीकृत किया। 1958 के बाद, AFSPA को उत्तर पूर्व के सात राज्यों में धीरे-धीरे लागू किया गया। इसे शुरू में सशस्त्र बल (असम और मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता था। 1972 में संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद अधिनियम को इन राज्यों पर भी लागू किया गया था। यह कानून 1990 के दशक से जम्मू-कश्मीर के कई बड़े हिस्सो में भी लागू है।
- यह अधिनियम सशस्त्र अप्रतिबंधित प्राधिकरण बलों और 'अशांत क्षेत्रों' में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानूनी कार्यवाही तथा अभियोजन से बचाए रखते हुए कानून तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, बिना वारंट के किसी भी संपत्ति को हिरासत में लेने और तलाशी लेने की अनुमति देता है। इस अधिनियम को 1972 में संशोधित किया गया था जिससे केंद्र सरकार और राज्यों को एक ही समय में किसी क्षेत्र को 'अशांत' के रूप में नामित करने का अधिकार दिया था।

- चूंकि कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है और भारत में संघीय आदर्शों का अनुपालन किया जाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि सुरक्षा व्यवस्था के उपायों में राज्य सरकारों की क्षमता का संवर्धन करने की रणनीति अपनाई जाए। इसके साथ ही विभिन्न उत्तर-पूर्वी राज्यों में विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के जरिए विभिन्न समुदायों, बहुसंख्यकों, अल्पसंख्यकों, नृजातीय समुदायों की वैध मांगों को इस तरीके से पूर्ण किया जाए कि वहां सामाजिक सांस्कृतिक सौहार्द बना रह सके।
- उत्तर-पूर्वी भारतीय राज्यों में आंतरिक अशांति और उपद्रव की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा अर्ध सैनिक बलों की तैनाती की जाती है। यह कार्य सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत होता आया है। इसे शुरू में सशस्त्र बल (असम और

मणिपुर) विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 के रूप में जाना जाता था। 1972 में संशोधन के बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नगालैंड राज्यों के अस्तित्व में आने के बाद इस अधिनियम के संशोधित रूप को इन राज्यों पर भी लागू किया गया था।

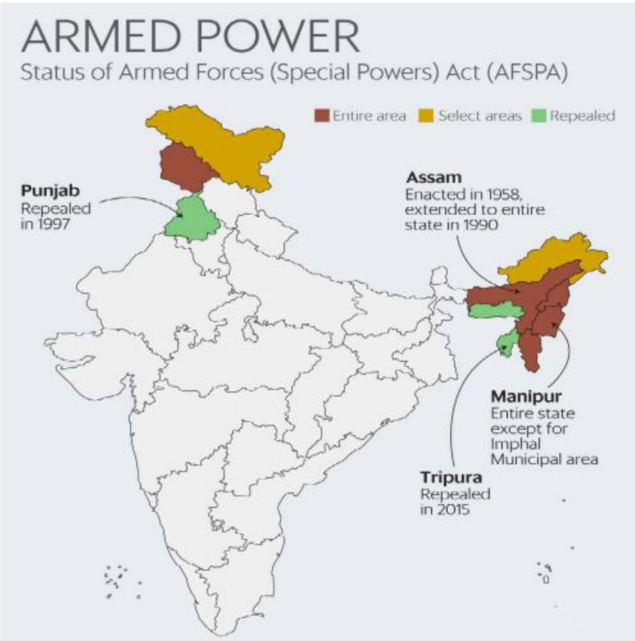

- इस कानून के धारा-3 के तहत केंद्र सरकार राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर किसी राज्य या क्षेत्र को अशांत घोषित करके वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करती है। इसमें राज्य सरकार को भी राज्यपाल के जरिए अफस्पा लगाने का अधिकार दिया गया है। संघ शासित प्रदेश के प्रशासक के लिए भी इस अधिकार की बात अफस्पा कानून, 1958 में की गई है। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषा, क्षेत्रीय समूहों, जातियों तथा समुदायों के बीच मतभेद या विवादों के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करती है।
- अफस्पा अधिनियम की धारा-3 राज्य तथा केंद्रशासित क्षेत्रों के राज्यपालों को भारत के राजपत्र (गजट) में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करने की शक्ति प्रदान करती है जिसके पश्चात केंद्र सरकार को असैन्य क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को भेजने का अधिकार मिल जाता है। अशांत क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के अनुसार, एक बार अशांत घोषित होने पर क्षेत्र में न्यूनतम तीन माह के लिये यथास्थिति बनाए रखनी होगी। राज्य सरकारें यह सुझाव दे सकती हैं कि इस अधिनियम को लागू किया जाना चाहिये अथवा नहीं, परंतु इस अधिनियम की धारा-3 के तहत उनके सुझाव को संज्ञान में लेने अथवा न लेने की शक्ति राज्यपाल अथवा केंद्र के पास है।
- इस कानून की धारा-4 के अनुसार, सुरक्षा बल का अधिकारी संदेह होने पर किसी भी स्थान की तलाशी ले सकता है और खतरा होने पर उस स्थान को नष्ट करने के आदेश दे सकता है।
- इस कानून के तहत सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का भी अधिकार है।
- यदि इस दौरान उस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो उसकी जवाबदेही गोली चलाने या ऐसा आदेश देने वाले अधिकारी पर नहीं होगी।
- सशस्त्र बल किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। गिरफ्तारी के दौरान वे किसी भी तरह की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- सैन्य अधिकारी परिवार के किसी व्यक्ति, संपत्ति, हथियार या गोला-बारूद को बरामद करने के लिये बिना वारंट घर के अंदर जाकर तलाशी ले सकता है और आवश्यकता होने पर इसके लिये बल प्रयोग कर सकता है।
- किसी वाहन को रोककर गैर-कानूनी ढंग से हथियार ले जाने का संदेह होने पर उसकी तलाशी ली जा सकती है।
- यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको जल्द ही निकटतम पुलिस स्टेशन में पेश करना होता है कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया?
- पिछले 4 वर्षों के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शांत, समृद्ध और विकसित उत्तर पूर्व के विजन को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय ने कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं जिनसे दशकों से चली आ रही समस्याओं का समाधान हुआ। जैसे, त्रिपुरा में अगस्त 2019 में NLFT(SD) समझौता करके उग्रवादियों को हिंसा का मार्ग छोड़ समाज की मुख्य धारा में लाने का काम किया गया। जनवरी, 2020 के बोडो समझौते ने असम की 5 दशक पुरानी बोडो समस्या का समाधान किया है।
- जनवरी, 2020 में दशकों पुराने ब्रू-रिआंग शरणार्थी संकट को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया गया जिसके अधीन 37000 आंतरिक विस्थापित लोगों को त्रिपुरा में बसाया जा रहा है।
- सितंबर, 2021 के करबी-आंगलांग समझौते ने लंबे समय से चल रहे असम के करबी क्षेत्र के विवाद को हल किया है।
- सितम्बर 2022 में असम के आदिवासी समूह के साथ समझौता हुआ है।
- भारत सरकार उत्तर-पूर्व क्षेत्र को उग्रवाद मुक्त करने के लिए संकल्पित है। इस संबंध में केंद्र सरकार राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार बातचीत करती रही है। मोदी सरकार द्वारा सुरक्षा स्थिति में सुधार के कारण AFSPA के अंतर्गत अशांत क्षेत्र अधिसूचना को त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में पूरी तरह से हटा लिया गया था।
- गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए प्रभावी कदम से उत्तर-पूर्वी राज्यों में सुरक्षा स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है जिससे विकास में तेजी आयी है। वर्ष 2014 की तुलना में, वर्ष 2022 में उग्रवादी घटनाओं में 76% की कमी आई है। उसी प्रकार इस अवधि में सुरक्षाकर्मियों और नागरिकों की मृत्यु में क्रमशः 90% और 97% की कमी आई है।

संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कन्वेंशन में सुधार की आवश्यकता

शरणार्थी अधिकारों के संरक्षण के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लंबे समय से चर्चा होती आ रही है। इस मुद्दे को सभी राष्ट्र भिन्न-भिन्न नजरिए से देखते हैं। कुछ राष्ट्र इसे मानवतावादी दृष्टिकोण से तो कुछ राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा के प्रश्नों से जोड़कर देखते हैं।

- हाल ही में ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय (विएना कन्वेंशन) 1951 में सुधार का आवाहन किया है। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने हाल ही में आरोप लगाया था कि यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन अपने लक्ष्यों के हिसाब से प्रासंगिक नहीं रह गया है। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने यह भी कहा है कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन में आने वाले अवैध शरणार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक टैग प्रदान करने पर विचार कर रही है ताकि उन पर नजर रखी जा सके। इससे पूर्व उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार ने अवैध आव्रजन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक समझौते को लागू किया है जो अवैध रूप से ब्रिटेन में आए लोगों को हिरासत में रखने और फिर उन्हें रवांडा जैसे सुरक्षित देश में भेजने का अधिकार देता है।

यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन की मुख्य बातें:

- शरणार्थियों की समस्या वैश्विक स्तर पर एक मानवतावादी संकट के रूप में रहा है जिससे निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के तत्वावधान में 1951 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय अंगीकृत किया गया था। 150 देशों द्वारा इस अभिसमय का अनुसमर्थन किया जा चुका है। यह अभिसमय शरणार्थियों की वैधानिक परिभाषा देता है और विस्थापितों के अधिकारों के बारे में उल्लेख करता है। इसमें शरणार्थियों को संरक्षण देने के लिए सदस्य राष्ट्रों के विधिक दायित्वों का भी उल्लेख किया गया है। इस अभिसमय का मुख्य सिद्धांत 'नॉन रिफाउलमेंट' है जिसका आशय है कि एक शरणार्थी को उस देश में लौटने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए जहां उसके जीवन और स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। अब इसे एक पारंपरिक अन्तर्राष्ट्रीय कानून के रूप में देखा जाता है। यूएनएचसीआर वियना अभिसमय, 1951 और इसके 1967 के प्रोटोकॉल के अभिभावक की भूमिका निभाता है। यह अभिसमय विभिन्न देशों से यह अपेक्षा करता है कि वे सामूहिक स्तर पर शरणार्थियों के मानव अधिकारों के बारे में संवेदनशील होकर भूमिका निभाएं।

यूएनएचसीआर की शरणार्थी की परिभाषा:

- यूएनएचसीआर के अनुसार एक शरणार्थी वह व्यक्ति है जिसे उत्पीड़न, युद्ध अथवा हिंसा के चलते अपने देश को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ता है। एक शरणार्थी वह व्यक्ति है जो अपने देश में प्रजाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक मत या किसी एक खास सामाजिक समूह की सदस्यता के चलते उसके मन में विभिन्न स्तरों पर उत्पीड़न का भय मजबूत रूप में विद्यमान होता है। ऐसे लोग विभिन्न कारणों से अपने गृह देश का परित्याग करके उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाहर जाते हैं और किसी अन्य देश में अस्थाई या स्थाई रूप से रहने का प्रयास करते हैं। युद्ध, नृजातीय या जनजातीय और धार्मिक हिंसा भी शरणार्थियों के संकट को बढ़ावा देने के लिए एक जिम्मेदार कारक रहा है। यूएनएचसीआर का कहना है कि विश्व के 67 प्रतिशत रिफ्यूजी केवल 5 देशों से आते हैं। इस रूप में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ यह मानता है कि वैश्विक स्तर पर शरणार्थियों का दो तिहाई पांच देशों सीरिया, अफगानिस्तान, दक्षिणी सूडान, म्यांमार और सोमालिया से आता है। यदि इन देशों के आंतरिक नीतियों, इनकी सैन्य संरचना और शासन तंत्र की स्थिति को देखें तो यहां लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकारों का अभाव रहा है, अधिनायकवाद तथा तानाशाही को बढ़ावा मिला है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं। यहां युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराध, जातीय संहार तथा नृजातीय दमन जैसी घटनाएं देखने को मिली हैं। इस आधार पर शरणार्थियों की समस्या एक प्रमुख वैश्विक चुनौती बनी हुई है।

शरणार्थी संकट प्रबंधन में खामियां:

- **लंबे समय से चली आ रही शरणार्थी स्थितियां:** सीरियाई संघर्ष का पलायन, म्यांमार में रोहिंग्या संघर्ष और अफगान विस्थापन ऐसे कई उदाहरण हैं जो शायद ही समाधान के करीब हों। वर्तमान ढाँचा शरणार्थी समस्या को अस्थिर रूप से संबोधित करता है जिसमें नई व्यवस्थाओं को समाहित करने की गुंजाइश कम है।
- **एकीकरण की चुनौती:** शरणार्थी अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय पहचान जैसे उचित कारणों से अस्थिर स्थितियों में रहते हैं। हालाँकि उचित पहचान का अभाव आवश्यक सेवाओं तक पहुँचने के उनके मूल अधिकार को छीन लेता है। उदाहरण के लिए तुर्की में शरणार्थियों को हाल के भूकंप के दौरान स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास स्वीकार्य आईडी की कमी थी। भारत में शरणार्थियों के लिए कोविड टीकों तक पहुंच के लिए अनिवार्य आईडी की मांग की गई जो टीकाकरण कार्यक्रम की इस मूल रचना के कारण कई शरणार्थी टीकाकरण से वंचित रह गए।
- **बेमेल जिम्मेदारियाँ:** आंकड़ों के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देश (एलएमसी) सभी शरणार्थियों में से लगभग 85% की मेजबानी करते हैं। शरणार्थियों को समायोजित करने की इन देशों की क्षमता कोविड-19 महामारी के कारण और कमजोर हो गई है क्योंकि स्थानीय निवासियों तथा शरणार्थियों की मदद करने के कारण उनका कमजोर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तनावपूर्ण हो गया था। महामारी ने गरीबी के खिलाफ उनकी आर्थिक प्रगति को और खराब कर दिया। इसके विपरीत वैश्विक उत्तर पर 15% प्रतिशत शरणार्थी हैं तथा जिनके पास शरणार्थी संगठनों की अधिकांश वित्तीय शक्ति है।

रोहिंग्या शरणार्थी और भारत:

- हाल के समय में विश्व भर में रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या को

एक बड़े मानवीय संकट के रूप में देखा गया है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके मानवाधिकार अभिकरणों के साथ-साथ म्यांमार, भारत तथा बांग्लादेश के संबंधों को भी प्रभावित किया है। उल्लेखनीय है कि रोहिंग्या मुख्य रूप से एक मुस्लिम नृजातीय समुदाय है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते है। इस प्रांत की राजधानी सितवे है जहां भारत ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रखा है। ये रोहिंग्या वहां पर आमतौर पर बोली जाने वाली बर्मीज भाषा की जगह बंगाली भाषा की एक बोली (डाइलेक्ट) बोलते हैं। यद्यपि ये रोहिंग्या म्यांमार में सदियों से रह रहे हैं लेकिन म्यांमार का मानना है कि ये वे लोग हैं जो म्यांमार में वहां के उपनिवेशीय शासन के दौरान प्रवास करने आए थे। इसलिए म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमान लोगों को अभी तक पूर्ण नागरिकता का दर्जा नहीं दिया है। 1982 का बर्मा नागरिकता कानून कहता है कि एक नृजातीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में एक रोहिंग्या म्यांमार की नागरिकता पाने योग्य तभी होगा जब महिला या पुरुष रोहिंग्या इस बात का सबूत दे कि उसके पूर्वजों ने म्यांमार में वर्ष 1823 के पहले निवास किया था, अन्यथा उन्हें निवासी विदेशी (रेजिडेंट फॉरेनर) या फिर सहवर्ती नागरिक यानि एसोसिएट सिटीजन माना जाएगा भले ही उनके अभिभावक में से कोई एक म्यांमार के नागरिक हों।

- चूंकि रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला है, इसलिए उन्हें वहां बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। वे म्यांमार की सिविल सेवा के भी अंग नहीं बन सकते, साथ ही भाषाई शोषण के शिकार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जून, 2019 में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि म्यांमार के सैनिकों द्वारा रोहिंग्या महिलाओं का पाशविक बलात्कार किया गया है, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों तक को सैन्य बलों ने नहीं बख्शा है। रखाइन प्रांत में उनके आवाजाही पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं।
- भारत के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 40 हजार रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। ये बांग्लादेश से स्थल मार्ग द्वारा भारत पहुंचे हैं। भारत सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को अवैध प्रवासी मानता है जिन्हें इनके मूल देश वापस भेजने के लिए प्रभावी प्रत्यावर्तन समझौते की तलाश में है। बहुत लोगों को भारत के इस निर्णय पर आश्चर्य हुआ है कि मानवाधिकारों की बात करने वाला भारत सभी रोहिंग्या लोगों को जल्द से जल्द देश छोड़ने को कैसे कह सकता है? भारत को अपने पड़ोसी प्रथम की नीति और गुजराल डॉक्ट्रिन के हिसाब से सभी दक्षिण एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की जरूरत है। यदि भारत ने रोहिंग्या का साथ दिया, तो किसी न किसी रूप में उस पर तमिलों, मधेशियों तथा चकमा लोगों को भी सुरक्षा देने का दबाव पड़ेगा, ऐसे में भारत के राष्ट्रीय हित प्रभावित हो जाएंगे। दक्षिण एशिया में भी रिफ्यूजी क्राइसिस से निपटने का कोई क्षेत्रीय विधान नहीं हैं। इन संदर्भों को ध्यान में रखकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र रिफ्यूजी कन्वेंशन, 1951 पर न तो हस्ताक्षर किया है और न ही संयुक्त राष्ट्र के एंटी टॉर्चर कन्वेंशन, 1987 का ही अनुसमर्थन किया है। उसने असम में भारी तादाद में बांग्लादेश से आए चमका शरणार्थियों और उनसे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को काफी झेला है। रोहिंग्या के संदर्भ में सुरक्षा संबंध का एक अलग ही बड़ा आयाम है। इस संकट में तीन राष्ट्रों के हित प्रभावित हैं जिनसे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव न उभरने देने के लिए यह जरूरी है कि भारत रोहिंग्या के प्रत्यावर्तन पर ठोस कार्यवाही करे। मूल देश में वापस लौटने से बेहतर और कुछ नहीं है लेकिन ये जरूर है कि अगर रोहिंग्या के लौटने के बाद वहां उनके प्राणों पर संकट आने की संभावना है तो गंभीरता से द्विपक्षीय सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र के नॉन रिफाउलमेंट सिद्धांत को ध्यान में रखकर काम किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में 25 मिलियन डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता के साथ वर्ष 2019 में म्यांमार में रोहिंग्या लोगों के लिए खुद के पैसे से निर्मित 250 घर भी प्रदान किए हैं। भारत इस समस्या का समाधान मानवतावादी सहायता के तरीकों से करना चाहता है।

भारत और विएना कन्वेंशनः

- भारत शरणार्थियों के अधिकारों से संबंधित विएना कन्वेंशन, 1951 और उसके प्रोटोकॉल 1967 का सदस्य नहीं है। भारत में कोई राष्ट्रीय शरणार्थी कानून भी नहीं है जिसके तहत शरणार्थियों के विभिन्न मामलों से निपटा जा सके। इसके बावजूद भारत पड़ोसी देशों के लोगों को शरण देता है और इस मामले में यूएनएचसीआर के अधिदेश का सम्मान करता है। भारत ने मुख्य रूप से तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका के तमिल लोगों के लिए समय समय पर शरण स्थल के रूप में कार्य किया है, लेकिन भारत अपनी आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भी इस संदर्भ में सतर्क रहा है। चूंकि दक्षिण एशिया के संबंध में भी कोई क्षेत्रीय शरणार्थी रूपरेखा राष्ट्रों ने नहीं निर्मित की हैं, इसलिए भी भारत इसे संवेदनशील नजरिए से देखता है।
- भारत की भौगोलिक अवस्थिति और उसके पड़ोसी देशों की भी भौगोलिक अवस्थितयों ने भारत के समक्ष आंतरिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उत्पन्न किया है। भारत की 7 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा होती हैं। इसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है जोकि 4096.7 किलोमीटर है। चीन के साथ भारत की सीमा 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारतीय राज्यों विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों की सीमाएं इनमें से कुछ देशों से लगती है जिससे अवैध प्रवासन की समस्या देखी जाती है। शरणार्थियों के भारत में आकर बसने से भारत के विभिन्न राज्यों में संसाधनों पर दबाव पड़ता है, उन्हें बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ती है, उनके लिए विधिक सहायता की व्यवस्था भी करनी होती है। इस प्रकार यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है कि किसी शरणार्थी समुदाय को भारत में इस तरह से शरण दिया जाए कि यह सुरक्षा और विकास आदि आधारों पर भारत के लिए नुकसानदेह साबित न हो सके।

ओपीएस बनाम एनपीएस से संबंधित मुद्दे और उसके आयाम

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बनाम नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) के बीच चर्चा देश भर के आर्थिक और राजनीतिक वर्गों में तेजी से हो रही है। इसके अलावा कई राज्यों (राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, और हिमाचल प्रदेश) ने ओपीएस पर वापस लौटने की घोषणा की है। इस बढ़ती चाह के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने मुख्य वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य यह जांच करना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना की संरचना में कोई संशोधन आवश्यक है या नहीं ताकि पेंशन लाभ को वित्तीय प्रभाव के अनुरूप लागू किया जाये।

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और नेशनल पेंसन सिस्टम (एनपीएस) की समझः

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस):

- पुरानी पेंशन योजना (जिसे ओपीएस के रूप में भी जाना जाता है) उन सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी, 2004 के पहले हुई थी। इस योजना का कार्य किसी 'निर्दिष्ट लाभ योजना' के रूप में होता है जिसके तहत सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अपने आखिरी वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। ओपीएस के अंतर्गत सरकार सम्पूर्ण पेंशन राशि का बोझ उठाती है, जबकि कर्मचारियों के General Provident Fund (GPF) में दी गई योगदान के लिए निर्दिष्ट लाभ दिया जाता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस):

- नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को 1 जनवरी, 2004 को शुरू किया गया था जिसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों और उन राज्यों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बनाया गया था जिन्होंने इस योजना को अपनाया। यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वैच्छिक रूप से होता है। ओपीएस की तरह ही एनपीएस 'निर्दिष्ट योगदान योजना' के रूप में कार्य करता है जहां सरकारी कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और डियरनेस भत्ते (DA) का निर्दिष्ट योगदान करना होता है जिसमें सरकार का उसका योगदान भी होता है। एनपीएस एक निर्दिष्ट लाभ नहीं प्रदान करता, बल्कि पेंशन लाभ का निर्धारण योगदान की राशि, शामिल होने की आयु, निवेश के प्रकार और उन निवेशों से पैदा होने वाली आय जैसे कारकों द्वारा होता है।

NPS की स्थितिः

- NPS की शुरुआत में 2004 में सभी केंद्रीय कर्मचारी इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होते थे। यह राज्य सरकारों को अपनाने के लिए वैकल्पिक था, इसलिये कुछ राज्यों को जैसे कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को छोड़कर अधिकांश राज्यों ने इसे अपनाया।

नेशनल पेंशन योजना (एनपीएस) को लागू करने के पीछे के कारणः

- **ओपीएस की सीमित कवरेजः** ओपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों को कवर करती थी जो देश में कुल श्रमिकों के लगभग 12% हैं। एनपीएस ने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन कवरेज बढ़ाने का उद्देश्य रखा था जिन्हें इस योजना में स्वैच्छिक रूप से शामिल होने की अनुमति देता है।
- **सरकार पर वित्तीय बोझः** ओपीएस ने केंद्र और राज्य सरकारों पर भारी वित्तीय बोझ डाला। हर नए वेतन आयोग के आने से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि हुई जिसने वित्तीय बोझ को बढ़ा दिया। 2004-05 में केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन पर खर्च जीडीपी के लगभग 2.31% का हिस्सा था।
- **भविष्य की पीढ़ियों पर बोझः** ओपीएस के तहत मौजूदा पीढ़ियों के योगदान का सीधा उपयोग सेवानिवृत्तों की पेंशन के लिए किया जाता था। इसमें कर भरने वाले लोगों के पैसे को पेंशनरों को दिया जाता है जिससे करदाताओं के वित्तीय संसाधनों की उत्पादकता प्रभावित होती है।
- **पूर्वनिर्धारित निवेशः** एनपीएस उपयोगकर्ताओं को उनके निधि प्रबंधक और पसंदीदा निवेश विकल्प का चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है जिसमें 100% सरकारी बॉंड विकल्प शामिल है। यह एक जिम्मेदार लाभ विकल्प प्रदान करने के लिए होता है ताकि एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जा सके।
- **सरलता और पोर्टेबिलिटीः** एनपीएस खाता खोलने से एक स्थायी रिटायरमेंट खाता नंबर (PRAN) प्रदान किया जाता है जो उपयोगकर्ता के पूरी जीवनकाल वैध रहता है। एनपीएस नौकरियों के बीच स्थायी है क्योंकि PRAN खाता समान रहता है।
- **अच्छी तरह से नियामित योजनाः** एनपीएस का पालन करने के लिए एक एनपीएस विश्वास प्रबंधन और निधि प्रबंधकों के प्रदर्शन की जिम्मेदारी रखता है जिसमें एक ट्रस्टी बैंक निधियों को धारण करने के लिए नियुक्त किया जाता है जिसमें उपयोगकर्ता संपत्ति के लाभार्थी रहते हैं।

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के मुद्देः

- **बाजार की परिस्थिति और अस्पष्टताः** एनपीएस के तहत योगदान निवेश प्रबंधकों के माध्यम से बाजार में निवेश किए जाते हैं जिससे बाजार की अस्पष्टता के प्रति संदेह पैदा हो सकते हैं। कुछ लोगों को बाजार में अस्थिरता के दिनों में एनपीएस लाभ नहीं प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सुझाव देती है कि एनपीएस संपत्ति वृद्धि भौगोलिक संघर्षों के प्रभाव से प्रभावित होती है जो निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति के लिए हानिकारक हो सकता है।

- **कर्मचारियों पर बोझ बढ़ना:** ओपीएस के तहत जहां सरकार पूरी तरह से पेंशन बोझ उठाती थी, वहीं एनपीएस में कर्मचारियों से उनके मूल वेतन और DA का 10% का योगदान करने की आवश्यकता होती है। इससे कर्मचारियों के हाथ में महीने के पैसे कम हो जाते हैं, साथ ही किसी पेंशन लाभ का आश्वासन नहीं होता है।
- **सामान्य संविधान संधि (GPF) के लाभ की कमी:** ओपीएस के तहत कर्मचारियों के GPF में निर्दिष्ट लाभ के लिए गारंटीकृत रिटर्न दिया जाता था, वहीं एनपीएस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है जिससे उपयोगकर्ता को निर्धारित लाभ की सुरक्षा नहीं मिलती है।

कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस अपनाने का कारण:

- **राजनीतिक लाभ:** राजनीतिक दलों ने ओपीएस को राजनीतिक गर्मी में बदल दिया है जिससे सरकारी कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त हो सके जो एक वोकल और प्रभावशाली दबाव समूह है जिसमें महत्त्वपूर्ण मतदान की शक्ति है।
- **उचित वित्तपोषण की कमी:** ओपीएस के तहत पेंशन दायित्व के लिए एक अलग कोर्पस निर्धारित नहीं किया गया है, साथ ही कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड जुटाने और वितरित करने के लिए कोई स्पष्ट तंत्र नहीं है।
- **असंगति:** बढ़ते भत्तों (DA) और बढ़ती हुई आयु की स्थिति से पेंशन कर्ज को ओपीएस के लिए अस्थायी माना जाता है।
- **राज्यों पर बढ़ता बोझ:** ओपीएस पर लौटने से राज्य सरकारों के वित्तीय स्थिरता पर और जोखिम होगा क्योंकि उनकी आय का एक चौथाई पेंशनों में समर्पित होगा जिससे राज्य के कर्ज में वृद्धि का खतरा हो सकता है।
- **करदाताओं पर बोझ:** मौजूदा पीढ़ी के करदाता पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन को वित्त पोषित करने के लिए जिम्मेदार हैं, इसीलिए ओपीएस पर वापस आने से करदातों पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।

आगे की राह:

कई आर्थिक विशेषज्ञों ने ओपीएस और एनपीएस के बीच के संदिग्धता हेतु संभावित समाधान प्रस्तुत किए हैं जिनमें से कई टी. वी. सोमनाथन समिति द्वारा विचारात्मक हैं:

- **'सुनिश्चित पेंशन योजना' का डिजाइन:** कुछ राज्यों ने ओपीएस द्वारा प्रदान की जाने वाले आखरी वेतन के बजाय न्यूनतम वेतन स्तर से जुड़ी 'सुनिश्चित पेंशन योजना' का निर्माण करने का सुझाव दिया है।
- **ओपीएस और एनपीएस तत्वों का संयोजन:** एनपीएस के 'निर्धारित योगदान' पहलू को ओपीएस के 'निर्धारित लाभ' के साथ मिलाकर एक नई पेंशन ढांचा विकसित किया जा सकता है जिससे एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।
- **भविष्य के वेतन आयोग की भूमिका:** भविष्य के वेतन आयोग को 'कॉस्ट टू कंपनी' (C-to-C) की धारणा को और वेतन संशोधन तय करते समय आश्वासित पेंशन की लागत को शामिल करना चाहिए।
- **एनपीएस सुधार पर CAG की सिफारिशों का पालन करना:** नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सुधार के संदर्भ में महालेखा और महानियंत्रक (एनपीएस) की मुख्य सिफारिशों का पालन किया जाना चाहिए। इनमें नोडल कार्यालयों और पात्र कर्मचारियों के पंजीकरण की सुनिश्चित प्रणाली स्थापित करना, विलंब होने पर जुर्माना लगाना और हानि से बचाव के लिए मुआवजा प्रदान करना शामिल है।

निष्कर्ष:

पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) की चारों ओर हो रही चर्चा विविध तथा जटिल है, जबकि एनपीएस लचीलापन, पोर्टेबिलिटी और अच्छे नियमित संरचनाओं का सुझाव देता है। ओपीएस एक तरफ वित्तीय बोझ में बढ़ोतरी और बाजार की अस्थिरता को बढ़ा देता है तथा दूसरी ओर ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए आकर्षक है। ओपीएस संचालन से संबंधित चुनौतियों का सामना करता है जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता है। वर्तमान सूचना के अनुसार एनपीएस को सुधारने के लिए सदस्यों को अधिक आश्वासन प्रदान करने हेतु एक औचित्य दृष्टिकोण के साथ सुधार करने के रूप में प्रतिवर्ष सोमनाथन समिति की सिफारिशें ओपीएस और एनपीएस को मिलाने वाले मापांक अपनाने की जरुरत है। सरकारी कर्मचारियों के रुचियों और पेंशन प्रणालियों को संचालित करने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रणाली में एक संतुलन ढूंढना, समय की मांग है।

SUBSCRIBE TO OUR
YOUTUBE CHANNEL
DHYEYA TV QR
ध्येय TV
BATEN UP KI QR
बातें यूपी की

आधार के साथ जुड़ी सुरक्षा और निजता चिंताएं: आयाम और समाधान

यूआईडीएआई ने एकत्रित सूचनाओं की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित रखने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। सभी सूचनाएँ यूआईडीएआई द्वारा प्रदान किए गए और पारगमन से बचाव वाले सॉफ्टवेयर में एकत्र की जाएँगी। यूआईडीएआई की व्यापक सुरक्षा नीति अपनी सूचनाओं की सुरक्षा और सत्यनिष्ठा के लिए प्रतिबद्ध है। यूआईडीएआई ने अपने दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। किसी भी प्रकार से सुरक्षा उल्लंघन में कठोर दंड का प्रावधान है। इसके अंतर्गत किसी पहचान के खुलासा करने पर भी दंड दिया जाएगा। सीआईडीआर के अनधिकृत उपयोग जैसे-हैकिंग तथा सूचना में छेड़छाड़ करने के लिए दंडात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। – मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू.आई.डी.ए.आई.

- हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने एक रिपोर्ट 'विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल संपत्ति' जारी की जिसमें भारत के आधार जैसी केंद्रीकृत बायोमेट्रिक प्रणालियों के बजाय विकेंद्रीकृत डिजिटल पहचान प्रणालियों की वकालत की गई है। 'आधार जैसी केंद्रीकृत आईडी प्रणालियों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी कमजोरियों' का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है जिसमें प्राधिकरण स्थापित करने का बोझ और बायोमेट्रिक विश्वसनीयता जैसी चिंताएं शामिल हैं।
- सरकार ने मूडीज की रिपोर्ट के दावों का खंडन किया है। सरकार ने आधार को 'दुनिया में सबसे विश्वसनीय डिजिटल आईडी' बताते हुए कहा है कि 'यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट के लेखक इस बात से अनजान हैं कि मनरेगा डेटाबेस में आधार से जुड़ाव, श्रमिकों को उनके बायोमेट्रिक्स का उपयोग किए बिना किया गया है। यहां तक कि योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान भी सीधे उनके खाते में किया जाता है जिसके लिए श्रमिकों को अपने बायोमेट्रिक्स का उपयोग प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है।'

आधार का महत्त्व:

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा प्रशासित आधार भारतीय निवासियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करता है। नामांकन के दौरान, फिंगरप्रिंट और आईरिस स्कैन जैसे बायोमेट्रिक डेटा के साथ जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र की जाती है। यू.आई.डी.ए.आई. का प्राथमिक लक्ष्य प्रत्येक निवासी को एक विशिष्ट आई.डी. प्रदान करना है जिससे कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुँचने में भ्रष्टाचार तथा धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को कम या समाप्त लाभार्थियों को समाप्त किया जा सके।

कल्याणकारी योजनाओं में आधार:

- सरकार ने नकली लाभार्थियों से निपटने और दोहराव को कम करने के लिए विभिन्न सरकार-से-नागरिक नकद हस्तांतरण कार्यक्रमों में आधार को शामिल किया है जिसके परिणामस्वरूप योजनाओं की लागत कम हुई है।
- **फर्जी लाभार्थी:** आधार एकीकरण के लिए प्राथमिक प्रेरणाओं में से एक फर्जी लाभार्थियों को समाप्त करना है जो धोखाधड़ी से मृतक या अस्तित्वहीन व्यक्तियों के नाम पर लाभ प्राप्त कर रहे थे।
- **लागत बचत:** कल्याणकारी योजनाओं में आधार के उपयोग से डुप्लिकेट या धोखाधड़ी को कम करके पर्याप्त लागत बचत हुई है जिससे संसाधनों के आवंटन को अनुकूलित किया गया है।

नकद निकासी में आधार:

- आधार नकद हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मनरेगा भुगतान में आधार का उपयोग करने के लिए श्रमिकों के आधार नंबर को उनके जॉब कार्ड और बैंक खातों से जोड़ा गया। आधार-सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) व्यक्तियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके धन निकालने की अनुमति देती है।

आधार के कार्यान्वयन के साथ चिंताएं:

इसके व्यापक उपयोग के बावजूद, आधार-आधारित प्रणालियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है:

- **छद्म धोखाधड़ी:** राशन के वितरण में प्रचलित भ्रष्टाचार छद्म धोखाधड़ी का होना है, जहां लाभार्थियों को उनके हिस्से से कम मिलता है। आधार इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं करता है। उदाहरण के लिए कई संगठनों और शोधकर्ताओं ने सबूत दिए हैं कि मुख्य प्रकार का भ्रष्टाचार छद्म धोखाधड़ी है जिसमें राशन कार्ड धारक के लिए पात्रता 35 किलो चावल होती है लेकिन विक्रेता केवल 30 किलो देता है।
- **प्रमाणीकरण विफलताएं:** ग्रामीण क्षेत्रों में कई व्यक्तियों को इंटरनेट कनेक्शन, फिंगरप्रिंट या ओ. टी. पी. सत्यापन के लिए फोन कनेक्टिविटी की कमी के कारण प्रमाणीकरण विफलताओं का सामना करना पड़ता है। प्रमाणीकरण के प्रयासों की संख्या और प्रमाणीकरण विफलताओं की सीमा पर डेटा सार्वजनिक नहीं हैं।
- **प्रमाणीकरण त्रुटियाँ:** जॉब कार्ड की जानकारी और यू. आई. डी. ए. आई. डेटा के बीच विसंगतियाँ प्रमाणीकरण त्रुटियों का कारण बनती हैं जिससे वेतन भुगतान में देरी होती है। 2022 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 'यूआईडीएआई के पास प्रमाणीकरण त्रुटियों के कारकों का विश्लेषण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।'
- **गलत भुगतान:** जब किसी व्यक्ति की आधार संख्या किसी अन्य

व्यक्ति के बैंक खाते से जुड़ जाती है तो आधार भुगतान गलत खाते में हो जाता है। इस तरह की समस्याओं का पता लगाना और उनका समाधान करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उदाहरण के लिए आधार भुगतान लोगों को एयरटेल वॉलेट में पुनर्निर्देशित कर दिया गया था जिससे बहुत नुकसान हुआ था। आधार के माध्यम से गलत भुगतान का पता लगाना मुश्किल है।

सुरक्षा संबंधी चिंताएं:

- रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग लेनदेन के लिए आधार का उपयोग जोखिम पूर्ण है। एईपीएस का उपयोग करने वाले बैंकिंग संवाददाता बिना किसी जवाबदेही ढांचे के काम करते हैं। उनमें से कुछ व्यक्तियों को कई बार बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित करने के लिए कहते हैं। प्रत्येक प्रमाणीकरण व्यक्ति के बैंक खाते को संचालित करने के लिए बैंकिंग संवाददाताओं तक पहुंच प्रदान करता है।
- कई अध्ययनों और समाचार रिपोर्टों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि एईपीएस का उपयोग करते हुए श्रमिकों के खातों से पैसा वापस ले लिया जाता है या बिना उनकी सहमति के सरकारी बीमा कार्यक्रमों में उन्हें शामिल कर लिया जाता है। 2020 में झारखंड में 10 करोड़ रुपये का छात्रवृत्ति घोटाला इसका उदाहरण है।

वर्तमान गतिरोध:

- मनरेगा में आधार आधारित भुगतान को अनिवार्य करने के सरकार के प्रयास को सक्रिय श्रमिकों के जॉब कार्ड को हटाने और जवाबदेही को कम करने जैसे मुद्दों के कारण प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा आलोचक मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
- इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में चक्रधर बुद्ध और लावण्या तमांग के एक हालिया पेपर से पता चलता है कि कई सक्रिय कार्यकर्ताओं के जॉब कार्ड फर्जी होने के आधार पर हटा दिए गए हैं।

समाधान:

- बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीयता में सुधार के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश किया जाना चाहिए। प्रमाणीकरण त्रुटियों को कम करने और सटीक पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट और अपग्रेड करने की आवश्यकता है।
- सरकार को आधार प्रमाणीकरण विफल होने पर व्यवहार्य विकल्प भी प्रदान करने चाहिए।
- बिना पूर्व सूचना के प्रदान किए जाने वाले लाभ वापस नहीं लिए जाने चाहिए या निलंबित नहीं किए जाने चाहिए। संबंधित व्यक्तियों को जवाब देने या अपील करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
- यू.आई.डी.ए.आई. को ब्लॉक स्तर पर या उससे नीचे सार्वजनिक सुविधा में सभी के लिए खोए हुए कार्ड प्रक्रियाओं का मुफ्त में आसान नामांकन, अपडेशन और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
- आधार भुगतान सेतु प्रणाली और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणालियों की व्यापक समीक्षा आवश्यक है।
- आरबीआई और एनपीसीआई को सभी प्रकार की भुगतान समस्याओं की निगरानी करनी चाहिए और सार्वजनिक डोमेन में विस्तृत मासिक रिपोर्ट रखनी चाहिए ताकि आम जनमानस का विश्वास प्राप्त किया जा सके।
- एनपीसीआई को एईपीएस की कमजोरियों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा उपाय और बेहतर शिकायत निवारण सुनिश्चित करना चाहिए।
- सूचित सहमति मानदंडों की समीक्षा की जानी चाहिए।
- एक उच्चाधिकार प्राप्त 'पहचान समीक्षा समिति' द्वारा यू. आई. डी. ए. आई. के स्वतंत्र निरीक्षण के लिए हटाए गए प्रावधान को बहाल करने के लिए आधार अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए।

- आधार भारत सरकार द्वारा जारी की गई 12 अंकों की पहचान संख्या है जो निवासियों के लिए पहचान और पते का प्रमाण प्रदान करती है। यह अद्वितीय है और जीवन भर के लिए मान्य है जिससे विभिन्न सेवाओं तक पहुंच संभव हो जाती है।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) का उद्देश्य धन वितरण को सरल बनाना, धोखाधड़ी को कम करना और सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करना है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी और यह सीपीएसएमएस या पीएफएमएस नामक एक सामान्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। मुख्य घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली और आरबीआई, एनपीसीआई, बैंकों तथा आधार के साथ भुगतान एकीकरण शामिल हैं।

निष्कर्ष:

आधार ने निस्संदेह कल्याणकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता तथा दक्षता लाई है, लेकिन इसके कार्यान्वयन से उत्पन्न चुनौतियों और चिंताओं को दूर करना महत्त्वपूर्ण है। सुरक्षा, सुलभता और विश्वसनीयता को संतुलित करना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि आधार उन लोगों को लाभान्वित करता रहे जिन्हें यह सेवा देने के लिए बनाया गया था। इन चिंताओं को दूर करने से नागरिकों के अधिकारों और गोपनीयता की रक्षा करते हुए सरकारी कल्याणकारी योजनाओं में आधार की प्रभावशीलता को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी।

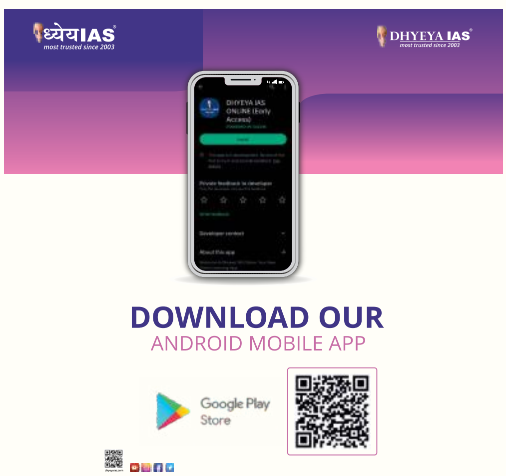

भारत में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए अनुसंधान एवं विकास रोडमैप का अनावरण

"जलवायु आपदा से बचने के लिए एक नई औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता होगी। शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अधूरी तकनीक या तो अभी तक मौजूद नहीं है या दुनिया के अधिकांश देशों के लिए इतनी महंगी है कि इसे वहन नहीं किया जा सकता। यह समाधान बेहतर तकनीकी विकल्प तैयार कर रहा है जहां समान लक्ष्य को जलवायु–सचेत तरीके से पूरा करना आसान है।''– बिल गेट्स

"हम हरित प्रौद्योगिकियों पर केन्द्रित एक तकनीकी क्रांति के शिखर पर खड़े हैं। तकनीकी प्रगति की यह उभरती लहर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालेगी। विकासशील देशों के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु इस तकनीकी क्रांति से उत्पन्न मूल्य का बड़ा हिस्सा हासिल करना महत्त्वपूर्ण है। अगले 10 वर्षों में भारत की वृद्धि ज्यादातर विद्युतीकरण, ऊर्जा परिवर्तन, हरित प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा से प्रेरित होगी क्योंकि यह देश के लिए एक विशाल और दीर्घकालिक व्यापार अवसर प्रदान करने के लिए तैयार है।''   – IRENA रिपोर्ट

हरित प्रौद्योगिकी क्या है?

- हरित प्रौद्योगिकी एक प्रकार की प्रौद्योगिकी को संदर्भित करती है जिसे उसकी उत्पादन प्रक्रिया या उसकी आपूर्ति श्रृंखला के आधार पर पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। हरित प्रौद्योगिकी का तात्पर्य स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, वैकल्पिक ईंधन के उपयोग और ऐसी तकनीकों से भी हो सकता है जो जीवाश्म ईंधन की तुलना में पर्यावरण के लिए कम हानिकारक हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन ईंधन तकनीक आदि।
- हरित प्रौद्योगिकी के लक्ष्य विविध हैं। हरित प्रौद्योगिकियों का प्राथमिक उद्देश्य ग्रह की प्राकृतिक पूंजी को नुकसान पहुंचाए या कम किए बिना सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता से समझौता किये बिना वर्तमान मांगों को पूरा करना है। इसका लक्ष्य हरित प्रौद्योगिकी विकास और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसके योगदान को बढ़ावा देना भी है।

हरित प्रौद्योगिकी के प्रकार:

- हरित प्रौद्योगिकी एक व्यापक श्रेणी है जिसमें पर्यावरणीय सुधार के कई रूप शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन को अब सबसे गंभीर वैश्विक मुद्दों में से एक माना जाता है। इसके अलावा स्थानीय पर्यावरणीय खतरों से निपटने के लिए भी कई प्रयास किए जा रहे हैं।
- **हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी:** हरित हाइड्रोजन पवन या सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोड द्वारा पानी के अणु को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करना शामिल है।
- **उत्सर्जन उपचार प्रौद्योगिकी:** अधिकांश आधुनिक कारें तीन-तरफा उत्प्रेरक कन्वर्टर्स से सुसज्जित होती हैं। 'थ्री–वे' उन तीन विनियमित उत्सर्जनों को संदर्भित करता है जिन्हें यह कम करने में मदद करता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड शामिल हैं। प्रदूषकों को कम करने के लिए कनवर्टर विभिन्न प्रकार के उत्प्रेरक का उपयोग करता है।
- **अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE) रूपांतरण प्रौद्योगिकी:** इन अपशिष्टों को सीधे लैंडफिल में भेजने के बजाय, अवशिष्ट अपशिष्टों को स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन का उपयोग किया जा सकता है।
- **अपशिष्ट जल उपचार प्रौद्योगिकी:** मेम्ब्रेन प्रौद्योगिकी अपशिष्ट जल उपचार के लिए एक नवीन तकनीक के उदाहरण के रूप में उभरी है। इस तकनीक के विभिन्न अनुप्रयोगों में पृथक्करण प्रक्रियाओं में झिल्लियों (Membranes) को फिल्टर के रूप में नियोजित किया जाता है।
- **सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी:** सौर प्रौद्योगिकियां फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों के माध्यम से या दर्पणों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं जो सौर विकिरण को केंद्रित करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने तथा बैटरी या थर्मल स्टोरेज में संग्रहीत करने के लिए किया जा सकता है।
- **इथेनॉल प्रौद्योगिकी:** इथेनॉल प्रौद्योगिकी कृषि अवशेष फीडस्टॉक से इथेनॉल का उत्पादन करती है। इसमें भारत में परिवहन और कृषि क्षेत्रों से उत्सर्जन को महत्त्वपूर्ण रूप से कम करने की क्षमता है। यह तकनीक बायोमास फीड को 24 घंटे के भीतर अल्कोहल में बदल देती है।
- **इलेक्ट्रिकल वाहन:** इलेक्ट्रिक वाहन वह वाहन है जो पूरी तरह या आंशिक रूप से बिजली से संचालित होता है। ईवी को निम्नलिखित मुख्य प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है:
  - **हाइब्रिड–** बढ़ी हुई ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए हाइब्रिड में गैसोलीन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं, लेकिन यह पारंपरिक कार की भाँति कार्य करता है।
  - **बैटरी इलेक्ट्रिक–** बीईवी बैटरी पैक से विद्युत शक्ति पर चलते हैं जिनमें आंतरिक दहन इंजन नहीं होता है। बीईवी 100% इलेक्ट्रिक हैं और चार्ज करने के लिए इन्हें प्लग इन किया जाना चाहिए।
- हालाँकि, इलेक्ट्रिक वाहनों को अन्य क्षेत्रों में कई नवाचारों की आवश्यकता होती है। जैसे–उच्च क्षमता वाली रिचार्जेबल बैटरी और चार्जिंग बुनियादी ढाँचा आदि।

हरित प्रौद्योगिकी अपनाने में भारत के प्रयास और प्रगति:

- भारत में हरित प्रौद्योगिकी के बाजार का आकार अगले पांच वर्षों में 25-30% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर के साथ 45-55 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- भारत ने 2030 के लिए महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं

जिनमें सतत विकास के कई पहलू शामिल हैं। इन लक्ष्यों में 500 गीगावॉट की गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित बिजली उत्पादन की संचयी स्थापित क्षमता प्राप्त करना शामिल है ताकि इसमें स्थापित क्षमता मिश्रण का 50% स्वच्छ गैर-जीवाश्म ईंधन शामिल हो।

- भारतीय रेलवे ने अपने कार्बन फुटप्रिंट और ईंधन लागत को कम करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, साथ ही 2030 तक 'शुद्ध-शून्य' कार्बन उत्सर्जन की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में इसकी प्रमुख पहलों में से एक रेलवे के ब्रॉड-गेज नेटवर्क का पूर्ण विद्युतीकरण है। डीजल से चलने वाले इंजनों से इलेक्ट्रिक इंजनों में परिवर्तन का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को खत्म करना और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है।
- भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और वितरण में वैश्विक लीडर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की स्थापना की गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ाना तथा सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना है। यह सौर वित्त, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनुसंधान और विकास के साथ-साथ क्षमता निर्माण की मांग के एकत्रीकरण के माध्यम से हासिल किया जाना है।
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने हेतु नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने तथा विनिर्माण (FAME) जैसी सहायक नीतियों से सहायता मिली है।

भारत में हरित प्रौद्योगिकी की संभावनाएँ:

- भारत एक तेजी से विकसित होने वाला देश है जिसमें ऊर्जा की भारी मांग है। हरित ऊर्जा के बढ़ते महत्त्व और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में काम करने के साथ, भारत का बिजली उत्पादन मिश्रण नवीकरणीय ऊर्जा के एक बड़े अनुपात की ओर बढ़ रहा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को तैनात करने का मुख्य लक्ष्य आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना, ऊर्जा सुरक्षा में सुधार, ऊर्जा स्रोतों तक बेहतर पहुंच और जलवायु परिवर्तन को कम करना है।
- फरवरी 2023 के अंत तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 168.96 गीगावॉट तक पहुंच गई। कुल 168.96 गीगावॉट में से 64.38 गीगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता, 51.79 गीगावॉट पनबिजली, 42.02 गीगावॉट पवन और 10.77 गीगावॉट जैव ऊर्जा है। अन्य 82.62 गीगावाट हरित ऊर्जा क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है।
- इसके अलावा भारत नवीकरणीय ऊर्जा देश के आकर्षक सूचकांक में तीसरे स्थान पर है जो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत वाला देश है। भारत ने 2015 में पेरिस में पार्टियों के सम्मेलन (सीओपी)-21 में गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली उत्पादन में 40% हिस्सेदारी के लिए प्रतिबद्धता जताई थी जिसका लक्ष्य भारत ने पहले ही पूरा कर लिया है। भारत ने 2070 तक देश के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पांच-स्तरीय रणनीति 'पंचामृत' का भी प्रस्ताव रखा।
- इस परिदृश्य ने भारत में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने की काफी संभावनाएं उत्पन्न की हैं।

हरित प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का सहयोग:

- हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न सरकारों के साथ सहयोग किया है। अपतटीय पवन, ऊर्जा मॉडलिंग और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के क्षेत्र में क्षमता निर्माण तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भारत-डेनमार्क ग्रीन रणनीतिक साझेदारी शामिल है।
- भारत-स्वीडन ग्रीन ट्रांजिशन पार्टनरशिप (ISGTP) को कार्बन-तटस्थ व्यावसायिक प्रथाओं और समाधानों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, स्थानीयकृत नवाचारों का सह-निर्माण करने तथा हरित संक्रमण से संबंधित विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने के लिए नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। पहले चरण में हरित परिवर्तन के लिए तीन क्षेत्रों सीमेंट, स्टील और ऑटोमोटिव पर ध्यान केंद्रित किया जाना है।
- यूएस-इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म (RETAP) को हरित हाइड्रोजन, पवन ऊर्जा, लंबी अवधि के ऊर्जा भंडारण पर मुख्य ध्यान देने और भविष्य में पारस्परिक रूप से निर्धारित भू-तापीय ऊर्जा, महासागर/ज्वारीय ऊर्जा तथा अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए लॉन्च किया गया था।
- पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के उद्देश्य से भारत और अमेरिका ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत यूएसएआईडी 2030 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे का समर्थन करेगा।
- भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से भारत-यूके 'नेट जीरो' इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाया है। यह विनिर्माण प्रक्रिया और परिवहन प्रणालियों के डीकार्बोनाइजेशन तथा नवीकरणीय स्रोत के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन सहित कुछ फोकस क्षेत्रों में काम करने के लिए दोनों देशों के हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
- भारत और ब्राजील का उद्देश्य इथेनॉल मिश्रण के लिए तैनात उन्नत तकनीकों को सीखकर तथा उसे अपनाकर कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करना है।

आगे की राह:

- हरित तकनीकी परिवर्तन कई पर्यावरणीय समस्याओं के सबसे आकर्षक समाधानों में से एक है क्योंकि यह समस्या के लक्षणों का इलाज करने के बजाय उसे ठीक करने का मौका प्रदान करता है। हरित तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से हानिकारक उत्सर्जन, अपशिष्ट या संसाधन उपयोग से बचा जा सकता है जो अक्सर उपभोग की संभावनाओं में पर्याप्त कटौती किए बिना संभव नहीं था।
- यह समझने के लिए किसी रॉकेट वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है कि मानवता को वातावरण की रक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को बचाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए। हरित ऊर्जा के प्रयोग होने से हमें अपनी वर्तमान आयात आधारित व्यवस्था से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है। इससे पहले कि चीजें हाथ से निकल जाएं, हमें इस समस्या के समाधान में हरित प्रौद्योगिकियों की भूमिका को पहचानना होगा।

राष्ट्रीय मुद्दे

1 जोशीमठ भू-धंसाव के कारणों से संबंधित रिपोर्ट जारी

चर्चा में क्यों?

उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भूमि धँसने के कारणों को जानने के लिये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) सहित भारत के आठ प्रमुख संस्थानों द्वारा अलग-अलग किये गए अध्ययनों में भूकंपीय गतिविधियाँ, निर्माण संबंधी खामियाँ, जनसंख्या दबाव, खराब जल निकासी व्यवस्था आदि विभिन्न कारण बताए गए।

रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- देश के प्रमुख आठ संस्थानों (वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल जियो-फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, आईआईटी रूड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केंद्रीय भूजल बोर्ड और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान) ने अपनी रिपोर्ट में कई तथ्यों को स्पष्ट करते हुए चिंता जाहिर की है।
- अपनी रिपोर्ट में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने कहा कि जोशीमठ शहर में चिनाई 44%, आरसीसी 42% और अन्य (पारंपरिक, संकर) 14% निर्माण हैं जिनमें से 99% गैर-इंजीनियर्ड हैं। इसका मतलब है कि वे नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 के प्रावधान का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
- जोशीमठ शहर वैक्रिटा चट्टानों (मोटे अभ्रक-गार्नेट-कायनाइट और सिलिमेनाइट असर वाले सैममिटिक मेटामोर्फिक्स से बनी) के समूह पर स्थित है जो मोरेनिक जमाव से ढका हुआ है, साथ ही अनियमित बोल्डर तथा अलग-अलग प्रकार की मृदा से बना है।
- इस रिपोर्ट में विभिन्न झरनों, जल निकासी नेटवर्कों और भू-अवतलन वाले क्षेत्रों का मानचित्रण करके यह अनुमान लगाया गया कि जोशीमठ में भूमि अवतलन एवं उपसतह जल के बीच कुछ संबंध हैं या नहीं।
- रिर्पोट में ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी के सुरक्षित निपटान और अपशिष्ट निपटान को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में सुझाया गया।
- रिपोर्ट में धीमी और क्रमिक भू-अवतलन का कारण भूकंप को बताया है।
- रिर्पोट में कहा गया कि भू-अवतलन का मुख्य कारण उपसतह जल निकासी के कारण आंतरिक क्षरण प्रतीत होता है जो वर्षा जल की प्रविष्टि/हिम के पिघलने/घरों और होटलों से अपशिष्ट जल के निर्वहन के कारण हो सकता है।
- जोशीमठ के भू-अवतलन और अन्य प्राकृतिक आपदा का एक बड़ा कारण मानवीय गतिविधियां को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाया जाना भी है।
- जोशीमठ के सुरक्षा की दृष्टि से 1976 में गढ़वाल के तत्कालीन कलेक्टर एम. सी. मिश्र के नेतृत्व में गठित 18 सदस्यीय कमेटी ने इस बारे में चेतावनी दिया था। कमेटी ने अल्पकालिक और दूरगामी सुझाव भी बताए थे, परंतु उस पर ध्यान नहीं दिया गया।

जोशीमठ को बचाने के उपाय:

- जोशीमठ में वर्तमान में चल रही सभी जलविद्युत परियोजनाएं तथा अन्य भारी परियोजनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए और छोटी सभी परियोजनाओं का एक विस्तृत पर्यावरणीय क्षति आंकलन किया जाए।
- जोशीमठ में निवासियों को किसी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए जिससे उनके जीवन पर किसी तरह का संकट न उत्पन हो सके।
- जल निकासी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि सीवरेज का यही जल रिसाव करके भुरभुरी चट्टानों में जाता है और उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, इसीलिए जल निकासी व्यवस्था को पर्यावरणीय दृष्टि से समायोजित करना आवश्यक है।
- सुधार और सहयोग के लिए सीमा सड़क संगठन तथा सैन्य संगठनों की सहायता लिया जा सकता है।

आगे की राह:

जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा से कई अर्थों में वर्तमान आपदा तंत्र, पर्यावरण संरक्षण, प्रभाव आंकलन समतियों और मानवीय समाज को सीख लेने की अवश्यकता है। हमें पर्वतीय और आपदा प्रवण राज्यों के निर्माण व्यवस्था में पुन: मूल्यांकन करने की आवश्यकता है जिससे विकास की सीमा और पर्यावरण का हित दोनों को संतुलित किया जा सके। पर्यावरण की कीमत पर हुआ विकास विभिन्न तरह से जनजीवन को प्रभावित करता है।

2 गोवा राज्य की न्यू बीच शेक पॉलिसी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में गोवा सरकार ने अगले तीन पर्यटन सत्रों के लिए समुद्र तट के किनारे अस्थायी मौसमी संरचनाओं, समुद्र तट शैक, डेक बेड और छतरियों के निर्माण के लिए 'गोवा राज्य शेक नीति 2023-2026' को मंजूरी दी है।

गोवा राज्य शेक नीति के बारे में:

- यह नीति गोवा के बेरोजगार व्यक्तियों को तीन पर्यटन सत्रों के लिए समुद्र तट पर अस्थायी झोपड़ियाँ संचालित करने हेतु तीन वर्ष के लिए लाइसेंस आवंटित करेगी जो प्रत्येक वर्ष लगभग 1 सितंबर से 31 मई तक होगी, परन्तु प्रत्येक वर्ष 10 जून तक अस्थायी ढांचों को अनिवार्य रूप से नष्ट करना होगा।
- नई नीति के अनुसार, उत्तरी गोवा में नामांकित समुद्र तट पर 259 झोपड़ियों की अनुमति है और दक्षिण गोवा में 105 झोंपड़ियों की अनुमति है।
- इन झोपड़ियों के संचालन के लिए लाइसेंस ड्रा द्वारा श्रेणियों के आधार पर आवंटित किए जायेंगे और प्रति परिवार एक झोपड़ी की ही अनुमति है।

नई नीति में क्या बदलाव है?

- इसके अंतर्गत समुद्र तट पर झोपड़ियों के आवंटन के लिए आवेदकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इसके अंतर्गत 90 प्रतिशत झोपड़ियाँ उन आवेदकों को आवंटित की जाएंगी जिनके पास झोपड़ी चलाने का कम से कम एक वर्ष का अनुभव है, साथ ही 10 प्रतिशत झोपड़ियाँ नये आवेदकों को आवंटित किया जाएगा।
- इस नई नीति में झोपड़ियों के लिए गोवा का व्यंजन परोसना अनिवार्य किया गया है।
- समुद्र तटों पर एक डिजिटल कोस्ट प्रस्तावित किया गया है, जहां ग्राहकों के डिजिटल लेनदेन की सुविधा के लिए झोंपड़ी आवंटियों को पीओएस मशीनें प्रदान की जाएंगी।
- इस नीति में झोपड़ियों को उप-किराए पर देने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा जो मौजूदा 10 लाख रुपये के जुर्माने से 150 प्रतिशत अधिक है। यदि शौचालयों को अस्वच्छ पाया जाता है तो 10,000 का जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है।

शेक नीति की आलोचना क्यों?

- इस नीति के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यवसाय में शामिल नहीं होना चाहिए। झोपड़ी बनाने की लागत कम से कम 15 लाख रुपये है जो 1 करोड़ रुपये तक जा सकती है।
- नीति के अनुसार डेक बेड, टेबल, कुर्सियां, छतरियां और सोफा सेट को झोपड़ी क्षेत्र के सामने से 15 मीटर के अन्दर रखा जाना चाहिए। झोपड़ी मालिकों का कहना है कि पिकेट बाड़ समुद्र तट पर पर्यटकों और मछुआरों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करेगी।

आगे की राह:

तीन वर्ष की लाइसेंस अवधि पर झोपड़ी मालिकों के संघों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सेटअप के लिए भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। यदि लाइसेंस समाप्त होने के बाद उन्हें झोपड़ियाँ चलाने की अनुमति नहीं दी गयी तो व्यवसाय अलाभकारी हो सकता है।

3 गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और उनके मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया है। यह कार्यवाही प्रवर्तन निदेशालय के इनपुट के आधार पर दर्ज की गई एक एफआईआर पर आधारित थी जिसमें कहा गया था कि न्यूजक्लिक को कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से चीन से अवैध धन प्राप्त हुआ था।

मुख्य मुद्दे:

- एफआईआर यूएपीए की धारा-16 के तहत दर्ज की गयी है जो आतंकवादी कृत्यों के लिए सजा निर्धारित करती है। हालाँकि अदालत ने परिभाषित किया है कि किस गतिविधि को आतंकवादी कृत्य माना जाएगा? आतंकवादी गतिविधि वह होती है जिसको सामान्य दंड कानून (हितेंद्र विष्णु ठाकुर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय) के तहत न डील किया जा सके।
- **मीडिया की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद-19)-** न्यूजक्लिक का आरोप है कि किसान विरोध, सीएए और 2020 के दिल्ली दंगों के मामले पर सरकार से असहमति के कारण हमें गिरफ्तार किया गया।
- **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन-** पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम, निष्पक्ष सुनवाई का नियम और तर्कसंगत निर्णय आदि यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने वाले निष्पक्ष हों, साथ ही ये सिद्धांत यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी पक्षों को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर मिले ताकि निर्णय तर्क पर आधारित हों।

अधिनियम के बारे में:

- गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम - 1967 में पारित किया गया था।
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में गैरकानूनी गतिविधियों वाले संघों की प्रभावी रोकथाम करना था।
- केंद्र सरकार किसी कृत्य को गैरकानूनी घोषित करने का मुख्य प्राधिकारी है।
- भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों पर अधिनियम लागू होता है।
- यह अधिनियम उन अपराधियों पर भी लागू होगा जिसमें अपराध भारत के बाहर किसी विदेशी भूमि पर किया गया हो।
- यूएपीए के तहत जांच एजेंसी गिरफ्तारी के बाद अधिकतम 180 दिनों में आरोप पत्र दायर कर सकती है, परन्तु अदालत को सूचित करने के बाद अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक को उक्त एजेंसी द्वारा मामले की जांच किए जाने पर संपत्ति की जब्ती या कुर्की की मंजूरी देने का अधिकार देता है।
- इसमें किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान भी शामिल है।
- जमानत प्रक्रिया बहुत सख्त है और यह अदालत के विवेक पर निर्भर है।

आगे की राह:

यूएपीए के तहत 2018 और 2020 के बीच 4,690 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केवल 3% को दोषी ठहराया गया। इसके अलावा यूएपीए के तहत जमानत मिलना कठिन है, इसलिए आरोपी मुकदमे की अधिकांश अवधि जेल के अंदर बिताते हैं। उदाहरण के लिए यूपी में यूएपीए के तहत 2018 और 2020 के बीच गिरफ्तार किये गये 1,338 व्यक्तियों में से केवल 6% को दोषी ठहराया गया। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है जिसे सुधारना समय की मांग है।

4 इछामती नदी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय जलमार्ग-44 (इछामती नदी) पर ड्रेजिंग कार्य शुरू किया गया था। मंत्रालय अपने निरंतर प्रयासों से परिवहन के अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल साधन के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास तथा आधुनिकीकरण कर रहा है।

इस पहल का कारण:

- शासनादेश के अनुसार 1.5 मीटर की नौवहन गहराई हासिल करने और नदी में ज्वारीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए तेंतुलिया से कलांची तक 23.38 किमी तक ड्रेजिंग का काम शुरू किया जा रहा है।
- नौवहन क्षमता में सुधार लाने के लिए जलकुंभी, खरपतवार, प्लास्टिक और गैर-प्लास्टिक सामग्री सहित अपशिष्ट, प्राकृतिक तथा कृत्रिम (डंप की गई सामग्री) को साफ किया जायेगा। इस परियोजना के लिए धन राज्य सरकार और केंद्र सरकार (सागरमाला परियोजना के तहत) से दिया जा रहा है।

इछामती नदी के बारे में:

- इछामती नदी, एक सीमा-पार नदी है जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है तथा दोनों देशों के बीच सीमा भी बनाती है। नदी गाद की समस्या का सामना कर रही है जिसके कारण शुष्क मौसम में पानी का प्रवाह कम हो जाता है और बरसात के मौसम में बाढ़ आ जाती है।

राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में:

- देश में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) को बढ़ावा देने के लिए 12 अप्रैल, 2016 से लागू हुए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडब्ल्यू) घोषित किया गया है।
- भारत में 14500 किमी से अधिक जल परिवहन मार्ग है जिसमें नौपरिवहन किया जा सकता है। हालाँकि दुनिया के अन्य देशों की तुलना में इन अंतर्देशीय जलमार्गों का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें नहर बैकवाटर, नदियाँ, झीलें और कई अन्य प्रकार के जल निकाय शामिल हैं।

आगे की राह:

देश के समग्र विकास के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग और नदियाँ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। नदियाँ देश में कृषि और नौवहन में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार देश के विकास हेतु नदियों का उपयोग करने के लिए कई विकल्पों पर कार्य कर रही है। नदियों की सुरक्षा के लिए कैच द रेन, जल शक्ति अभियान और नमामि गंगे मिशन आदि पहल शुरू की गई है। सरकार भारत में नदी प्रणाली की सुरक्षा के लिए नियम और विनियमन भी सख्त कर रही है।

5 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर रहा। 2015 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 81वें स्थान पर था। इस वर्ष के सूचकांक का विषय अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार है। चीन (12वें स्थान) को छोड़कर कोई अन्य मध्यम या निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था शीर्ष 30 में शामिल नहीं है।

सूचकांक के स्तंभ:

- **संस्थाएँ:** किसी देश की नियामक संस्था और व्यावसायिक माहौल की गुणवत्ता की माप।
- **मानव पूंजी और अनुसंधान:** शिक्षा, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी), निवेश तथा कुशल श्रम बल की उपलब्धता का मूल्यांकन।
- **बुनियादी ढांचा:** बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता की जांच करना।
- **बाजार परिष्कार (Market Sophistication):** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गुणवत्ता की जाँच करना।
- **व्यावसायिक परिष्कार:** व्यावसायिक वातावरण की गुणवत्ता का आंकलन करना।
- **ज्ञान और प्रौद्योगिकी आउटपुट:** पेटेंट, वैज्ञानिक प्रकाशन और उच्च तकनीक निर्यात सहित नवाचार प्रयासों के परिणामों को मापना।
- **आउटपुट:** नवाचार से संबंधित प्रौद्योगिकी के आउटपुट को मापना।

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में:

- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसी अर्थव्यवस्था के नवाचार प्रदर्शन को मापता है।
- इसे WIPO द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।
- यह देशों को नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का आंकलन और सुधार करने में मदद करता है।
- इसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद ने विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर अपने 2019 के प्रस्ताव में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के संबंध में नवाचार को मापने

के लिए एक आधिकारिक बेंचमार्क के रूप में मान्यता दी है।

भारत की रैंकिंग में सुधार का कारण:

- जीआईआई रैंकिंग में लगातार सुधार विशाल ज्ञान पूंजी, जीवंत स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र तथा सार्वजनिक और निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत कार्य प्रमुख हैं।
- सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने इनोवेशन इकोसिस्टम के विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई है। नीति आयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष तथा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नीति-आधारित नवाचार लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों का अनुकूलन सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

भारत के वैज्ञानिक विकास के प्रमुख मुद्दे:

- अनुसंधान संस्थानों के पास पर्याप्त धन का अभाव।
- देश के तकनीकी विकास में कम निजी भागीदारी।
- पश्चिमी देशों की ओर प्रतिभा पलायन।
- कुशल श्रम शक्ति और तकनीकी पृष्ठभूमि वाले लोगों का अनुचित उपयोग।
- तकनीकी पृष्ठभूमि वाले लोगों का आईएएस और आईपीएस जैसी प्रशासनिक नौकरियों के प्रति आकर्षण।

आगे की राह:

दुनिया उद्योग 4.0 की ओर बढ़ रही है जो उच्च प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक विकास पर आधारित है। अब नवाचार और प्रौद्योगिकियों से संबंधित मानव पूंजी तथा भौतिक बुनियादी ढांचे में निवेश समय की मांग है।

6 पॉक्सो एक्ट

चर्चा में क्यों?

भारत के विधि आयोग ने POCSO अधिनियम के तहत सहमति की उम्र पर एक विशेष रिपोर्ट (संख्या 283) प्रकाशित की है। यह रिपोर्ट अधिनियम के तहत सहमति की उम्र पर पुनर्विचार से संबंधित कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए संदर्भ के मद्देनजर आई है।

रिपोर्ट में क्या कहा गया?

- रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि सरकार को POCSO अधिनियम में सहमति की उम्र को नहीं बदलना चाहिए। इसके बजाय उसे 16 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में सजा देते समय निर्देशित न्यायिक विवेक को अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि अदालत को यह तय करने की शक्ति है कि 16 से 18 वर्ष के बच्चों पर सहमति लागू होगी या नहीं।

मौन स्वीकृति क्या है?

- इसका मतलब है कि वे वास्तव में बिना कहे ही किसी बात पर सहमत हो रहे हैं या उसे मंजूरी दे रहे हैं या नहीं। वास्तविक मौन स्वीकृति तय करने के लिए न्यायालय अंतिम प्राधिकारी होगा।
- मौन स्वीकृति से जुड़े मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए POCSO अधिनियम, 2012 में कुछ संशोधनों की आवश्यकता होगी।

अपराध के आँकड़े:

- NCRB की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 और 2021 के बीच भारत भर में बच्चों के खिलाफ अपराध 16.2 प्रतिशत बढ़ गए।
- 2021 में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बच्चों के खिलाफ कुल अपराध 1,49,404 थे, जबकि 2020 में यह संख्या 1,28,531 थी।
- मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक मामले सामने आए हैं जिसके बाद महाराष्ट्र और यूपी का स्थान है। केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली शीर्ष पर है।
- नागालैंड में सभी राज्यों में बच्चों के खिलाफ सबसे कम अपराध दर्ज किए गए।
- 2021 में बच्चों के खिलाफ लगभग 36 प्रतिशत अपराध POCSO से संबंधित मामले थे।
- उत्तर प्रदेश में POCSO के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं जिसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान है।

बच्चों के विरुद्ध अपराध कम करने के उपाय:

- बच्चों के विरुद्ध अपराधों को कम करने के लिए लोगों को बाल अपराध के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
- बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाये गये अधिनियम एवं नियमों का समुचित क्रियान्वयन हो।
- गरीबी कम किया जाये और बच्चों का कौशल विकास बढाया जाये।
- बच्चों के खिलाफ अधिकांश अपराध उनके रिश्तेदारों द्वारा किए जाते हैं, इसलिए परिवारों और रिश्तेदारों के बीच नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना।
- बाल अपराधों से संबंधित हॉटस्पॉट की पहचान करना और इन हॉट स्पॉट की उचित निगरानी करना।
- बच्चों से संबंधित अपराधों से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाना।

POCSO अधिनियम, 2012 के बारे में:

- इसे 1992 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया था।
- इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण के अपराधों को संबोधित करना था जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया था या पर्याप्त रूप से दंडित नहीं किया गया था।
- यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चे के रूप में परिभाषित करता है। अधिनियम में अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान है।
- यह लैंगिक तटस्थ कानून है यानी लड़के और लड़कियां दोनों के खिलाफ अपराध दंडनीय है।

आगे की राह:

भारत के संविधान में कई अनुच्छेद हैं जो बच्चों को बाल शोषण और अपराधों से बचाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 21ए,

23, 39ए, 45 और 51k में बच्चों के अधिकारों से संबंधित विशेष प्रावधान हैं। समय की मांग है कि राज्य मशीनरी द्वारा इन प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन किया जाए ताकि बच्चों को भविष्य में होने वाले अपराधों से बचाया जा सके।

7 महिलाओं में कैंसर के कारण मृत्यु दर अधिक- लैंसेट रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक प्रसिद्ध चिकित्सा पत्रिका लैंसेट ने कैंसर देखभाल में लैंगिक असमानता को उजागर करते हुए 'महिला, शक्ति और कैंसर' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट महिलाओं के स्वास्थ्य की सामाजिक उदासीनता, जागरूकता की कमी और प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की अनुपस्थिति को रेखांकित करती है।

महिलाओं में कैंसर से होने वाली मौतों के कारण:

- **सीमित जागरूकता और वित्तीय बाधाएं:** सीमित ज्ञान, वित्तीय संसाधनों की कमी और स्थानीय स्तर पर सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण महिलाओं को समय पर उचित देखभाल की कमी का सामना करना पड़ता है।
- **नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व:** रिपोर्ट में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में नेतृत्व के पदों पर महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला गया है। परिणामस्वरुप अक्सर लैंगिक आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न को बढावा मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं द्वारा अवैतनिक कैंसर देखभाल की लागत भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य व्यय का लगभग 3.66% हिस्सा है।
- **निम्न स्वास्थ्य-मांग व्यवहार:** महिलाओं के बीच स्वास्थ्य-देखभाल, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित परिवारों में कम है। महिलाओं के उपचार में अक्सर प्राथमिकता का अभाव होता है जिसका असमान प्रभाव पड़ता है। जैसे तंबाकू से होने वाले कैंसर से महिला और पुरुष दोनों समान रूप से प्रभावित होते हैं लेकिन इसके उपचार में पुरुषों को अधिक प्राथमिकता दी जाती है।
- **सामाजिक कलंक:** महिलाओं में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामले काफी आम हैं। इसके बावजूद संकोच के कारण वह इलाज करवाने से झिझकती हैं। कई महिलाएं पुरुष डॉक्टरों से संपर्क करने में संकोच करती हैं जिससे निदान और उपचार में देरी होती है।
- **स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुँच:** जांच, नैदानिक परीक्षणों और उपचार के लिए घर से दूर स्थित अस्पताल होना, समस्या और को बढ़ाती है जिससे देखभाल में देरी होती है जिससे कैंसर अंतिम चरण तक पहुँच जाता है।

लैंसेट रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- पुरुषों में कैंसर का खतरा अधिक होने के बावजूद महिलाओं में कैंसर की घटनाओं से होने वाली मृत्यु दर उच्च है। वैश्विक स्तर पर 48% नए कैंसर के मामले और 44% कैंसर से संबंधित मौतें महिलाओं से संबंधित होती हैं।
- यदि समय पर इलाज संभव हो, तो भारत में महिलाओं के लगभग 6.9 मिलियन कैंसर से संबंधित मौतों को रोका जा सकता था क्योंकि 4.03 मिलियन कैंसर रोग इलाज योग्य थे। इनमें से 37% मौतों को त्वरित और सही इलाज से टाला जा सकता था।

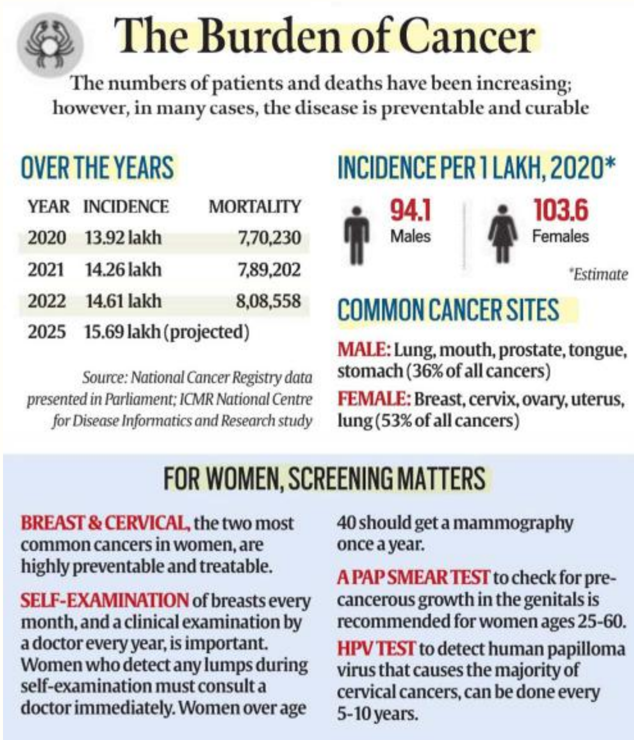

लैंसेट रिपोर्ट की सिफारिशें:

- **नियमित डेटा संग्रह और निगरानी:** रिपोर्ट कैंसर स्वास्थ्य आंकड़ों के लिए व्यवस्थित रूप से लैंगिक और सामाजिक जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह डेटा लक्षित समस्याओं को ठीक से संबोधित करने में मदद करेगा।
- **जोखिम को कम करने के लिए नीति:** कैंसर जोखिमों को कम करने के लिए नीतियों को विकसित करना और लागू करना महत्त्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए इस संबंध में कानूनों को मजबूत करना आवश्यक है।
- **कैंसर अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा:** कैंसर अनुसंधान में महिलाओं की समान भागीदारी आवश्यक है। इससे महिलाओं में कैंसर सम्बंधित मुद्दों को संबोधित करने में मदद मिलेगी।

आगे की राह:

अधिकतर महिलाएं वित्तीय, सामाजिक और पारिवारिक कारणों से इलाज कराने में विलंब करती हैं और अपने स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लेती हैं। समय पर जाँच सुलभ स्वास्थ्य सेवा और सूचित नीतियों के माध्यम से महिलाओं मे मृत्यु दर को काम किया जा सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

1 इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) के सहयोग से बहुप्रतीक्षित 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023' जारी किया। यह रिपोर्ट भारत में बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है क्योंकि भारत बढ़ती आबादी में जनसांख्यिकीय बदलाव की ओर बढ़ रहा है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- भारत में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है जिसकी दशकीय वृद्धि दर 41% है।
- 2050 तक भारत की 20% आबादी बुजुर्ग होगी, जबकि 2046 तक बुजुर्गों की आबादी बच्चों (0 से 15 वर्ष) की आबादी से अधिक हो जाएगी।
- भारत में 60 और 80 वर्ष की आयु में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है जो कि राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अलग-अलग है।
- भारत में 40% से अधिक बुजुर्ग गरीब श्रेणी के हैं। बुजुर्गों में गरीबी एक चिंता का विषय है जो उनके जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य देखभाल के उपयोग को प्रभावित कर रही है।
- बुजुर्ग आबादी और उनकी वृद्धि दर में महत्त्वपूर्ण अंतर-राज्य भिन्नताएं हैं। अधिकांश दक्षिणी राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों में 2021 में राष्ट्रीय औसत की तुलना में बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी अधिक है। यह अंतर 2036 तक और बढ़ने की उम्मीद है।
- 1991 से लेकर आज तक बुजुर्गों में लिंगानुपात लगातार बढ़ रहा है। 2011 से 2021 के बीच केंद्र शासित प्रदेशों और पश्चिमी भारत को छोड़कर पूरे भारत में इसके अनुपात में वृद्धि हुई।
- भारत में बुजुर्गों को उनके लिए बनाई गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में कम जागरूकता है। आधे बुजुर्ग (55%) वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), 44% विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) और 12% अन्नपूर्णा योजना के बारे में जानते हैं।

भारत में उम्र बढ़ने से संबंधित प्रमुख समस्याएं:

- वृद्ध लोगों की निर्धनता।
- बुजुर्ग लोगों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में कम जागरूकता।
- बुजुर्गों के साथ सामाजिक भेदभाव और परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार।
- बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य चुनौतियाँ।

सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता:

- वरिष्ठ नागरिकों की विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करने के लिए वृद्धावस्था देखभाल को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य, वित्तीय सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण की जरूरतों को पूरा करना।
- समुदाय-आधारित संगठनों को बुजुर्ग लोगों के डिजिटल सशक्तीकरण में अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए।
- कॉर्पोरेट घरानों से सामाजिक सहायता, वृद्धाश्रम और बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता अभियान की आवश्यकता है।

आगे की राह:

वृद्ध लोग किसी भी समाज के लिए एक मूल्यवान संसाधन होते हैं। अवसरों और चुनौतियों के साथ उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक घटना है। विचार प्रक्रिया को नया आकार देने की आवश्यकता है जहां उम्र बढ़ने का मतलब खोई हुई जवानी नहीं बल्कि अवसर और ताकत का एक नया चरण है।

2 भारत और मालदीव संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मोहम्मद मोइज़ू को मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन के दम पर चुनाव जीता। हालाँकि उन्होंने यह कहा है कि उन्हें संप्रभुता के सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर मालदीव-भारत संबंधों को पुनर्जीवित करने और दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाईयों तक बढ़ाने की उम्मीद है।

भारत और मालदीव के बीच साझेदारी:

- भारत और मालदीव कई संयुक्त अभ्यास आयोजित करते हैं जैसे - एकुवेरिन, दोस्ती और ऑपरेशन शील्ड।
- भारत, मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल (एमएनडीएफ) को प्रशिक्षण प्रदान करता है।
- मालदीव के अड्डू शहर में भारतीय सहायता से निर्मित एक औषधि विषहरण (Detoxification) और पुनर्वास केंद्र बना है। यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है।
- भारत की कंपनी मालदीव में अब तक की भारत की ओर से सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना विकसित कर रही है जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (जीएमसीपी) का हिस्सा है।
- भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- SAARC मुद्रा स्वैप समझौते के तहत 2022 में RBI और मालदीव मौद्रिक के बीच एक द्विपक्षीय USD 200 मिलियन मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत और मालदीव के बीच व्यापार बढ़ सकता है।
- भारत की जेएमसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए मालदीव सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग

एंड लॉ एनफोर्समेंट (एनसीपीएलई) का उद्घाटन किया गया। NCPLE मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है।

भारत-मालदीव संबंधों में आने वाली चुनौतियाँ:

- भारत की प्रमुख चिंता पड़ोस में राजनीतिक अस्थिरता का उसकी सुरक्षा और विकास पर प्रभाव है।
- नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को भारत के प्रति आशंकित माना जा रहा है जिससे संबंधों में कड़वाहट आ सकती है।
- मालदीव में इस्लामिक स्टेट (आईएस) और पाकिस्तान स्थित जिहादी समूह जैसे कई आतंकवादी समूह बढ़ रहे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा भारत और भारतीय हितों के खिलाफ आतंकवादी हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में सुदूर मालदीव द्वीपों का उपयोग करने की संभावना बढ़ जाती है।
- चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के निर्माण के लिए मालदीव दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण देश बनकर उभरा है। भारत-चीन संबंधों की अनिश्चित गतिशीलता को देखते हुए मालदीव में चीन की रणनीतिक उपस्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।

आगे की राह:

भारत को मालदीव के साथ सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए ताकि भारत के हित प्रभावित न हों। दक्षिण एशिया और आसपास की समुद्री सीमाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को इंडो-पैसिफिक सुरक्षा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। फिलहाल मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान ने जोर पकड़ा है जिसे भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। यदि भारत 'इंडिया आउट' समर्थकों द्वारा उठाए गए मुद्दों को सावधानीपूर्वक समाधान नहीं करता है, भारत मालदीव के लोगों को परियोजनाओं के पीछे अपने इरादों के बारे में प्रभावी ढंग से नहीं समझाता है, तो इससे द्वीपीय राष्ट्र में भारत के प्रति नफरत बढ़ेगा जो भारत के हितों के लिए अच्छा नहीं होगा।

3 भारत-अफगानिस्तान संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अफगानिस्तानी दूतावास ने भारत से समर्थन की कमी का हवाला देते हुए अपना संचालन बंद कर दिया है। मिशन ने अफगानिस्तान के हितों की पूर्ति में अपेक्षाओं को पूरा करने में विफलता को भी एक कारण बताया। राजनयिक संबंधों पर वियना कन्वेंशन (1961) की धारा- 45 के अनुसार, दूतावास की सभी संपत्ति और सुविधाएं मेजबान देश के संरक्षक प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

दूतावास बंद होने का क्या असर होगा?

- इससे अफगानिस्तान और भारत के बीच वर्तमान संबंध प्रभावित हो सकता है।
- भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
- भारत और अफगानिस्तान के बीच अच्छे संबंधों के अभाव से आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं।
- अफगानिस्तान भारत का एक प्रमुख निवेश भागीदार है, इसलिए दूतावास बंद होने से निवेश पर असर पड़ सकता है।

अफगानिस्तान का महत्त्व:

- अफगानिस्तान दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थान पर स्थित है जो भौगोलिक पड़ोसी के रूप में भारत के लिए प्रासंगिक है।
- अफगानिस्तान दक्षिण एशिया तथा भारत के भीतर क्षेत्रीय, घरेलू सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों का इस्तेमाल अक्सर पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में आतंकवाद का निर्यात करने के लिए किया जाता रहा है।
- चाबहार के माध्यम से मध्य एशिया और यूरेशिया तक पहुंचने के लिए भारत को एक मित्रवत अफगानिस्तान की जरूरत है जो पाकिस्तान को बायपास करता हो।
- भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के शासन ढांचे में पाकिस्तान को बढ़त न मिले। भारत को लगता है कि अगर पाकिस्तान सफल हुआ तो यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक होगा।
- मध्य एशिया में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं जिसमें अफगानिस्तान भी एक ऊर्जा भंडार है जो भारत के रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
- पाकिस्तान और चीन को संतुलित करने के साधन के रूप में अफगानिस्तान का बहुत महत्त्व है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच विकासात्मक साझेदारी:

- भारत ने काबुल में संसद भवन, ईरान में चाबहार बंदरगाह को जोड़ने वाले जरांज डेलाराम राजमार्ग और सलमा बांध परियोजना (अफगान-भारत मैत्री बांध) जैसी प्रमुख परियोजनाओं का निर्माण किया है।
- भारत ने अफगानिस्तान और ईरान के साथ त्रिपक्षीय तरजीही व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।
- भारत अफगान राष्ट्रीय सेना के लिए सैन्य वाहनों जैसे सैन्य हार्डवेयर और वायु सेना के लिए एमआई-25 तथा एमआई-35 हेलिकॉप्टरों की आपूर्ति कर रहा है।
- भारत अफगान छात्रों को छात्रवृत्ति और कौशल विकास भी प्रदान कर रहा है।

आगे की राह:

दूतावास को बंद करने का अफगानिस्तान सरकार का निर्णय निश्चित रूप से चिंता का विषय है। भारत सरकार को स्थिति पर बहुत सावधानीपूर्वक नजर रखनी चाहिए ताकि अफगानिस्तान में भारत के हित प्रभावित न हों।

4 इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हमास द्वारा बिना किसी पूर्व चेतावनी के इजराइल पर 5 हजार से अधिक मिसाइलों से हमला किया गया जिसमें 200 से अधिक निर्दोष लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। इसके जवाब में इजराइल ने भी मिसाइलों से पिनपॉइंट हमला किया जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई।

इस संघर्ष के बारे में:

- इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ जब फिलिस्तीनी क्षेत्रों में यहूदियों पर अत्याचार किया जा रहा था। इस जुल्म से बचने के लिए यहूदियों ने एक आन्दोलन चलाया जिसे इतिहास में 'जायोनी आन्दोलन' के नाम से जाना जाता है। जायोनी आंदोलन में यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ सफलता हासिल की।
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 ई. में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 'साइक्स पिकोट' नामक एक गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसके तहत यह निर्णय लिया गया कि विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा।

- अगले वर्ष 1917 में 'बालफोर घोषणा' की गई जिसमें यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार करते हुए एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई।
- बाद में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन में स्वतंत्र यहूदी और अरब राज्य स्थापित करने के लिए एक विभाजन योजना प्रस्तुत की जिसे फिलिस्तीन के यहूदियों ने स्वीकार कर लिया लेकिन अरबों ने इस पर अपनी असहमति व्यक्त की।
- इस योजना के तुरंत बाद 1948 में यहूदियों ने इजराइल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जिसके विरोध में मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया जैसे अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। युद्ध के अंत में इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के तहत निर्धारित सीमा से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। इसके कारण इजराइल और अरब राज्यों के बीच संघर्ष हुआ जिसकी परिणति 1967 में प्रसिद्ध 'छह दिवसीय युद्ध' के रूप में हुई। इस युद्ध में इजराइल ने 'वेस्ट बैंक' और 'पूर्वी येरुशलम' नामक भागों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया
- इसके बाद में वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित 'ओस्लो शांति समझौते' के तहत यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जाएगा जिसका एक भाग फिलिस्तीन को और दूसरा भाग इजराइल को देने का प्रस्ताव रखा गया। उसी ओस्लो शांति समझौते के दौरान फिलिस्तीन ने भी इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी।

वर्तमान संघर्ष का कारण:

- जारी हिंसा और अस्थिरता का कारण हमास द्वारा किए जा रहे मिसाइली हमले हैं। दरअसल हमास एक कट्टरपंथी सुन्नी मुस्लिम संगठन है जिसे सीरिया और ईरान का समर्थन प्राप्त है। वर्तमान में इस संगठन ने गाजा पट्टी नामक स्थान पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के तट पर स्थित फिलिस्तीनी बहुल क्षेत्र है। हमास नामक यह संगठन संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा सुझाए गए 'दो-राज्य समाधान' और 'ओस्लो शांति समझौते' में विश्वास नहीं करता है। यह संगठन इस क्षेत्र में इजराइल के सभी दावों को पूरी तरह से खारिज करता है।

आगे की राह:

भारत ओस्लो शांति समझौते के तहत सुझाए गए दो-राष्ट्र समाधान का समर्थक है और चाहता है कि मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए दोनों देशों का निर्माण किया जाए। इजराइल हमेशा भारत की मदद करता रहा है चाहे वह कारगिल युद्ध हो या मुंबई हमलों के दौरान खुफिया जानकारी साझा करना हो। भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और विश्व स्तर पर सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत को कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने हितों को जरुर ध्यान में रखना होगा।

5 वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाशिंगटन डीसी स्थित गैर-लाभकारी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता में लगातार 13वें वर्ष गिरावट आई है। 29 देशों में ऑनलाइन माध्यम से मानवाधिकारों के लिए माहौल खराब हो गया है, जबकि 20 देशों में ही अच्छी स्थिति देखी गई है। 1 से 100 के पैमाने पर जहां '100' उच्चतम डिजिटल स्वतंत्रता का संकेतक है, वहीं '1' सबसे खराब डिजिटल स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। आइसलैंड 94 के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहा, जबकि भारत को 50 का स्कोर मिला।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि इस वर्ष रिकॉर्ड 55 देशों में व्यक्तियों को ऑनलाइन अभिव्यक्ति के लिए कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ा।
- ऑनलाइन गतिविधियों के लिए बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां करने और कई साल की जेल की सजा देने वाले देशों की संख्या 2014 में 18 से बढ़कर 2023 में 31 हो गई है।
- वैश्विक स्तर पर चुनाव डिजिटल दमन के उत्प्रेरक के रूप में उभरे हैं। चुनावों से पहले विभिन्न देशों में मौजूदा नेताओं ने भाषण

को अपराध घोषित किया या स्वतंत्र समाचार साइटों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी या फिर चुनावी परिणामों को अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए सूचना नियंत्रण लागू किया।

- रिपोर्ट भारत के कानूनी ढांचे के भीतर एआई-आधारित सिस्टम सहित सेंसरशिप को शामिल करने पर प्रकाश डालती है। सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 तथा विभिन्न प्रकार की सामग्री हेतु एआई-आधारित मॉडरेशन टूल को नियोजित करने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को बाध्य किया गया है।
- रिपोर्ट में सांप्रदायिक हिंसा पर बीबीसी चल चित्र तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को भारत सरकार के निर्देश का हवाला दिया गया है। आईटी नियम इन प्लेटफार्मों को संबंधित सामग्री को हटाने के लिए स्वचालित स्कैनिंग टूल का उपयोग करने के लिए बाध्य करते हैं।
- रिपोर्ट पांच सेंसरशिप तरीकों पर देशों का मूल्यांकन करती है:
  - इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रतिबंध
  - सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक
  - वेबसाइटों पर ब्लॉक
  - वीपीएन पर ब्लॉक
  - जबरन सामग्री हटाना
- इन मापदंडों पर भारत राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक सामग्री वाली वेबसाइटों को अवरुद्ध करने, आईसीटी नेटवर्क को बाधित करने तथा ऑनलाइन चर्चाओं में हेरफेर करने के लिए सरकार समर्थक टिप्पणीकारों को तैनात करने, सरकारी आलोचकों और मानवाधिकार संगठनों के खिलाफ तकनीकी हमले करने में भी शामिल रहा है।

आगे की राह:

इंटरनेट स्वतंत्रता में वैश्विक गिरावट चिंता का विषय है। यह आंशिक रूप से सेंसरशिप और गलत सूचना अभियानों के लिए एआई के बढ़ते उपयोग के कारण हुआ है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता और लोकतंत्र पर इस प्रवृत्ति के निहितार्थ के लिए तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क निगरानी तथा अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की आवश्यकता है।

6 हिंद महासागर रिम एसोसिएशन

चर्चा में क्यों?

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित 23वीं मंत्रिपरिषद (COM) की बैठक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के वरिष्ठ अधिकारियों की 25वीं समिति में भाग लिया। इस बैठक में भारत को वर्ष 2023-25 के लिए IORA के उपाध्यक्ष पद के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि भारत 2025-27 में IORA का अध्यक्ष होगा।

IORA बैठक में भारत की प्रतिक्रिया:

- भारत ने फ्री एण्ड ओपन इंडो पैसिफिक की बात रखी।
- भारत ने वैश्विक दक्षिण की आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिबद्धता जताई।
- IORA को UNCLOS, 1982 कानून द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

हिंद महासागर क्षेत्र का महत्त्व:

- तीसरे सबसे बड़े महासागर के रूप में हिंद महासागर क्षेत्र (आईओआर) लगभग 35% वैश्विक आबादी के लिए जीवन रेखा है।
- भारत के कुल व्यापार का लगभग 85 प्रतिशत व्यापार हिन्द महासागर क्षेत्र से होता है।
- यह खनिज और मछली आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार है।
- सुरक्षा उद्देश्य के लिए इसका भू-रणनीतिक महत्त्व है।

Indian Ocean Rim Association (IORA) Membership

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के बारे में:

- 1997 में गठित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने 23 सदस्य राज्यों और 11 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग तथा सतत विकास को मजबूत करना है।
- इसका सचिवालय मॉरीशस में स्थित है।
- 2017 में पहले IORA नेताओं के शिखर सम्मेलन में अपनाया गया जकार्ता कॉनकॉर्ड छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और दो क्रॉस कटिंग मुद्दों में प्राप्त किए जाने वाले मुख्य उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करता है। समुद्री सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश सुविधा, मत्स्य पालन प्रबंधन, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, आपदा जोखिम प्रबंधन, शैक्षणिक विज्ञान-प्रौद्योगिकी सहयोग, नीली अर्थव्यवस्था और महिला आर्थिक सशक्तीकरण आदि इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

सदस्य:

- वर्तमान में IORA के 23 सदस्य देश और 11 संवाद भागीदार हैं।
- **सदस्य:** ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, मोजाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका,

तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन।

- **संवाद भागीदार:** चीन, मिस्र, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

आगे की राह:

आईओआरए सदस्यों को हिंद महासागर क्षेत्र के सुरक्षा मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह से विदेशी नौसेना का प्रवेश न हो जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो। इस क्षेत्र का उपयोग प्रतिद्वंद्विता के लिए नहीं, बल्कि सभी देशों के विकास और समृद्धि के लिए किया जाना चाहिए।

7 भारत-तंजानिया संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन भारत की राजकीय यात्रा पर आयी। इस दौरान उन्होंने कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया।

समझौते के प्रमुख बिंदु:

- भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा तंजानिया के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।
- व्हाइट शिपिंग जानकारी साझा करने पर भारतीय नौसेना और तंजानिया शिपिंग एजेंसीज कॉर्पोरेशन के बीच तकनीकी समझौता।
- वर्ष 2023-2027 के लिए भारत सरकार और तंजानिया की सरकार के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर सहमति।
- तंजानिया की राष्ट्रीय खेल परिषद और भारतीय खेल प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन।
- तंजानिया में एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए भारत के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण और तंजानिया निवेश केंद्र के बीच समझौता ज्ञापन।
- समुद्री उद्योग में सहयोग पर कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और मरीन सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।

सहयोग के अन्य क्षेत्र:

राजनीतिक संबंध:

- दोनों पक्षों ने इंडो-पैसिफिक के दृष्टिकोण और इंडो-पैसिफिक पर हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के आउटलुक के कार्यान्वयन सहित क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय राजनीतिक जुड़ाव और रणनीतिक बातचीत के बढ़ते स्तर पर संतोष व्यक्त किया।
- ब्लू/महासागरीय अर्थव्यवस्था के विकास पर ध्यान देने के साथ अफ्रीका में शांति और सुरक्षा के लिए एयू (AU) का दृष्टिकोण SAGAR दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है।

रक्षा सहयोग:

- दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में रुचि व्यक्त की।
- जुलाई 2023 में आयोजित पहले भारत-तंजानिया संयुक्त विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) निगरानी अभ्यास किया।
- भारत-तंजानिया एक शांतिपूर्ण, समृद्ध तथा टिकाऊ हिंद महासागर क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के ढांचे के तहत सहयोग करने पर सहमत हुए।

व्यापार और निवेश:

- भारत, तंजानिया के लिए शीर्ष पांच निवेश स्रोतों में से एक हैं जिसके तहत 3.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर की 630 निवेश परियोजनाएं पंजीकृत की गई हैं।
- तंजानिया में एक निवेश पार्क स्थापित करने की संभावना पर जोर देना।
- स्थानीय मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना।
- तंजानिया से 98% उत्पाद लाइनें भारत की शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता (डीएफटीपी) योजना का उपयोग करके टैरिफ-मुक्त आयात की जाती है।

आगे की राह:

भारत और तंजानिया के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग से दोनों देशों के संबंध अफ्रीकी संघ तथा ग्लोबल साउथ की दिशा में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

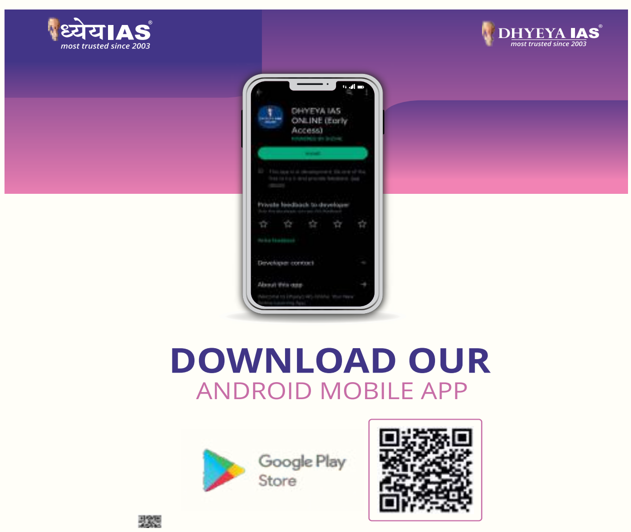

पर्यावरणीय मुद्दे

1 भारत-जापान जलवायु कोष

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (एनआईआईएफ) तथा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) ने संयुक्त रूप से जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए 600 मिलियन डॉलर का फंड लॉन्च किया। भारत सरकार भारत-जापान फंड के लक्ष्य कोष में 49% का योगदान देगी जो NIIF का पहला द्विपक्षीय फंड भी है, जबकि शेष 51% JBIC द्वारा योगदान दिया जाएगा।

फंड के बारे में:

- यह पर्यावरणीय स्थिरता और कम कार्बन उत्सर्जन रणनीतियों में निवेश पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसका लक्ष्य भारत में जापानी निवेश को और बढ़ाने के लिए पसंदीदा भागीदार बनने की भूमिका निभाना है।
- यह एनआईआईएफ का पहला द्विपक्षीय कोष है।
- इसका प्रबंधन NIIF लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। जेबीआईसी की सहायक कंपनी जेबीआईसी आईजी, भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने में एनआईआईएफएल का समर्थन करेगी।

भारत-जापान पर्यावरण साझेदारी:

- भारत और जापान पर्यावरण क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के माध्यम से मिलकर काम कर रहे हैं।
- यह साझेदारी भारत-जापान ऊर्जा संवाद 2007 में शामिल एजेंडे पर काम करेगी और बाद में पारस्परिक लाभ के क्षेत्रों में विस्तार करेगी। भारत और जापान ने सुरक्षित, लचीले तथा टिकाऊ ऊर्जा नेटवर्क के दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।
- भारत ने 2070 तक नेट जीरो हासिल करने का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। जापान ने 2050 तक नेट जीरो बनने का लक्ष्य रखा है। दोनो देश नई प्रौद्योगिकियों और आर्थिक मॉडल का उपयोग कर रहे हैं जो उत्सर्जन को कम करने में मदद करेंगे।
- पहला भारत-जापान पर्यावरण सप्ताह 12-13 जनवरी, 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
- ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्वाड सुरक्षा संवाद (जिसे आमतौर पर क्वाड के रूप में जाना जाता है) ने प्रौद्योगिकी विकास के लिए स्वच्छ-हाइड्रोजन साझेदारी की भी घोषणा की है जो स्वच्छ हाइड्रोजन के उत्पादन को कुशलतापूर्वक बढ़ाएगा और भारत में स्वच्छ हाइड्रोजन के व्यापार में तेजी लाएगा।

एनआईआईएफ के बारे में:

- एनआईआईएफ एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जिसकी स्थापना 2015 में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक निवेश मंच प्रदान करने के लिए की गई थी।
- यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए घरेलू आर्थिक तथा सामाजिक बुनियादी ढांचे में इक्विटी पूंजी निवेश करने का एक मंच है। एनआईआईएफ का अनुमानित कोष 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जो तीन प्रकार के फंड का प्रबंधन करता है:
  - मास्टर फंड
  - फंड ऑफ फंड
  - स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड
- सरकार के पास फंड में 49% हिस्सेदारी है, जबकि 51% घरेलू संस्थागत निवेशकों, सॉवरेन वेल्थ फंड, अंतर्राष्ट्रीय पेंशन फंड और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (USIDFC) तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक सहित बहुपक्षीय विकास बैंकों के पास है।

आगे की राह:

भारत-जापान जलवायु कोष की स्थापना दो देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी का प्रतिनिधित्व करती है। यह फंड भारत के नवीकरणीय क्षेत्र, सर्कुलर अर्थव्यवस्था, स्वच्छ और हरित शहर तथा नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करेगा जो अंततः सतत विकास के लक्ष्य और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को पूरा करेगा।

2 मछली की नई प्रजाति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के दीघा मोहना से गहरे पानी में जीवंत नारंगी रंग की समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है।

मछली की नई प्रजाति के बारे में:

- नई प्रजाति (जिसे आमतौर पर गर्नाड्र्स या सी-रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है) ट्राइग्लिडे परिवार से संबंधित है। इसका नाम टेरीगोट्रिग्ला इंटरमेडिका रखा गया है जिसके लक्षण टेरीगोट्रिग्ला हेमिस्टिक्टा जैसी प्रजातियों से काफी मिलते-जुलते हैं।
- यह भारत में अब तक रिपोर्ट की गई टेरीगोट्रिग्ला जीनस की चौथी प्रजाति है, साथ ही दुनिया भर में ट्राइग्लिडे परिवार की कुल 178 प्रजातियाँ हैं।
- इस मछली के नमूने थूथन की लंबाई, आंतरिक स्थान के आकार और क्लिथ्रल रीढ़ के आकार जैसे विभिन्न पहलुओं में अन्य गुरनाड प्रजातियों से बहुत अलग पाए गए।
- इसमें लंबी ऑपरकुलर स्पाइन और बहुत छोटी क्लिथ्रल स्पाइन जैसे लक्षणों का संयोजन है।
- यह भारतीय जल में अद्वितीय समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ज्ञान बढ़ाने में योगदान देती है और समुद्री जैव विविधता में देश की मजबूत उपस्थिति को रेखांकित करती है।

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया:

- ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वनस्पतियों और जीवों के संबंध में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1916 में

जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) की शुरुआत की थी।

- यह देश में पशु वर्गीकरण पर शीर्ष संगठन है।
- इसकी गतिविधियों का समन्वय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संरक्षण तथा सर्वेक्षण प्रभाग द्वारा किया जाता है।
- ZSI का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है जिसके देशभर में 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं।
- यह राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-39 के अनुसार राष्ट्रीय प्राणी संग्रह के लिए एक नामित भंडार है।

उद्देश्यः

- भारतीय उपमहाद्वीप में पशु वर्गीकरण के सर्वेक्षण, अन्वेषण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देना।
- संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण करना।
- रेड डेटा बुक, भारत के जीव-जंतु और राज्यों के जीव-जंतुओं की सूची तैयार करना।
- महत्त्वपूर्ण समुदायों/प्रजातियों पर जैव-पारिस्थितिकी अध्ययन आयोजित करना।
- देश में दर्ज प्रजातियों का डेटाबेस तैयार करना।
- राष्ट्रीय प्राणी संग्रह का रखरखाव और विकास करना।

कार्यः

- यह IUCN की रेड डेटा बुक के समान भारतीय जानवरों पर एक रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है।
- कर्मचारियों का प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास करना।
- पशु प्रजातियों का भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और रिमोट सेंसिंग अध्ययन आयोजित करना।
- अन्य संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना।

3 जलवायु परिवर्तन के कारण 5 में से 2 उभयचर प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा- नेचर पत्रिका

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वैज्ञानिक पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक नए अध्ययन में कहा गया है कि पांच में से दो उभयचर प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है जिसके लिए जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया गया है।

अध्ययन की मुख्य विशेषताएँः

- अध्ययन में मूल्यांकन की गई 8000 से अधिक प्रजातियों में से 2,286 या 40.7% विश्व स्तर पर खतरे में हैं जिससे उभयचर पृथ्वी पर सबसे अधिक खतराग्रस्त कशेरुकी वर्ग बन गए हैं।
- इस अध्ययन में असम स्थित जैव विविधता संरक्षण संगठन आरण्यक तथा अन्य भारतीय संस्थानों के वैज्ञानिकों और शोध कर्ताओं सहित दुनिया भर के 1,000 से अधिक विशेषज्ञों ने अपने विशेषज्ञता का योगदान दिया है।
- अध्ययन के अनुसार, 2004 से 2022 के बीच कुछ गंभीर खतरों के कारण 300 से अधिक उभयचर विलुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें से 39% प्रजातियों के लिए जलवायु परिवर्तन प्राथमिक खतरा था।
- अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन विशेष रूप से उभयचरों के लिए चिंताजनक है क्योंकि वे अपने पर्यावरण में बदलाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।
- अध्ययन में कहा गया है कि जैसे-जैसे मनुष्य के जलवायु और आवासों में परिवर्तन आ रहा है, वैसे ही उभयचर जलवायु परिवर्तन का सामना कर रहे हैं क्योंकि वे अत्यधिक गर्मी, जंगल की आग, सूखा, तूफान, आवृत्ति एवं तीव्रता से जलवायु परिवर्तन-प्रेरित वृद्धि से बचने के लिए बहुत दूर तक जाने में असमर्थ होते हैं।
- सैलामैंडर की हर पांच में से तीन प्रजातियां मुख्य रूप से निवास स्थान के विनाश और जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप विलुप्त होने के खतरे में हैं जिससे वे दुनिया के उभयचरों का सबसे खतरनाक समूह बन गए हैं।

उभयचर पर अन्य खतराः

- कृषि जिसमें फसलें, पशुधन और सिल्वीकल्चर जैसी बुनियादी ढांचे के विकास तथा उद्योगों के परिणामस्वरूप आवास विनाश और गिरावट उभयचर प्रजातियों में से 93% को प्रभावित किया है।
- चिट्रिड कवक के कारण होने वाली बीमारी लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में उभयचर प्रजातियों में गिरावट का मुख्य कारण है।
- 2004 के बाद से चार उभयचर प्रजातियां विलुप्त हुई हैं जिसमें कोस्टा रिका से चिरिकि हार्लेक्विन टॉड (एटेलोपस चिरिकिएन्सिस), ऑस्ट्रेलिया से लम्बे-थूथन वाले मेंढक (टौडैक्टाइलस एक्यूटिरोस्ट्रिस), ग्वाटेमाला से क्राउगास्टोर माइलोमिलॉन और जल्पा फाल्स ब्रुक सैलामैंडर (स्यूडोयूरीसिया एक्सस्पेक्टाटा) आदि हैं।

सबसे अधिक खतरा वाले क्षेत्रः

- उभयचरों को सबसे अधिक खतरा भारत के पश्चिमी घाट, श्रीलंका, मेडागास्कर, कैरेबियाई द्वीपों, उष्णकटिबंधीय एंडीज, मेसोअमेरिका, पश्चिमी कैमरून और पूर्वी नाइजीरिया के पहाड़ों तथा जंगलों में स्थित होने का पता चला है।
- दक्षिणी ब्राजील का अटलांटिक वन बायोम, मध्य एवं दक्षिणी चीन और वियतनाम के दक्षिणी एनामाइट पर्वत भी शामिल हैं।
- कशेरुकियों के दूसरे सबसे खतरे वाले समूह में साइकैड्स शामिल हैं जिन्हें 69 प्रतिशत खतरे का सामना करना पड़ा। शार्क और रे को 37.4 प्रतिशत, कोनिफर्स को 34 प्रतिशत, रीफ-बिल्डिंग कोरल को 33.4 प्रतिशत खतरा है।

आगे की राहः

1980 के बाद से 120 प्रजातियों ने अपनी लाल सूची की स्थिति में सुधार किया है जिनमें से 63 प्रजातियों ने मलेशिया, कोस्टा रिका और भारत में पश्चिमी घाट जैसे देशों से आवास संरक्षण और प्रबंधन में सुधार किया है।

4 जलवायु परिवर्तन पर डकार घोषणा

चर्चा में क्यों?

दुनिया के 46 सबसे कम विकसित देशों (एलडीसी) के मंत्रियों ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त डकार घोषणा 2023 जारी की जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (सीओपी28) के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन के लिए उनकी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। सीओपी28 30 नवंबर, 2023 से 12 दिसंबर, 2023 तक दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) में आयोजित किया जाएगा।

डकार (Dakar) घोषणा के बारे में:

- डकार घोषणा के तहत तत्काल वैश्विक उत्सर्जन में कटौती, जलवायु वित्त में वृद्धि, नए हानि और क्षति कोष के संचालन के लिए एक मजबूत परिणाम तथा वैश्विक जलवायु कार्यवाही में अंतर को कम करने के लिए एक महत्त्वाकांक्षी वैश्विक स्टॉकटेक का आह्वान किया गया।
- घोषणा के अनुसार, विकसित देशों को सार्वजनिक, अनुदान-आधारित वित्तपोषण के माध्यम से 2025 तक उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुकूलन वित्त को कम से कम दोगुना करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने मांग की कि जलवायु वित्त पर एक नया सामूहिक लक्ष्य हेतु अतिरिक्त संसाधन प्रदान करना चाहिए जो वर्तमान $100 बिलियन प्रति वर्ष की सीमा से कई गुना अधिक हो।
- घोषणा के अनुसार, एलडीसी की विशिष्ट आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों को पहचानने के साथ-साथ पेरिस समझौता क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अनुच्छेद-6 के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए यूएनएफसीसीसी केंद्रीकृत कार्बन बाजार तंत्र भी 2024 तक चालू होना चाहिए।

कम विकसित देशों (एलडीसी) के बारे में:

- एलडीसी वैश्विक आबादी का 14 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं जिनकी जीवाश्म ईंधन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्सर्जन का केवल 1 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा इन देशों का जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान है, फिर भी उन्हें अपनी क्षमताओं से परे अनुकूलन करने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे वे जलवायु संकट के सबसे विकटरूप से सामना कर रहे हैं।
- जलवायु परिवर्तन की संश्लेषण रिपोर्ट पर अंतर सरकारी पैनल के निष्कर्षों पर देखे जो दर्शाता है कि वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में वृद्धि जारी है और ग्लोबल वार्मिंग तेजी से 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच रही है। रिपोर्ट में सभी पक्षों से विशेष रूप से प्रमुख उत्सर्जकों से जीएचजी उत्सर्जन को तत्काल और महत्त्वपूर्ण रूप से कम करने का आग्रह किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि सभी पार्टियों को अपने एनडीसी में 2030 के लक्ष्यों पर पुनर्विचार करके उनमें सुधार करना चाहिए ताकि वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए आवश्यक वैश्विक प्रयास में अपनी उचित हिस्सेदारी के साथ संरेखित किया जा सके।

आगे की राह:

यदि वैश्विक उत्पादन और उपभोग पैटर्न इसी तरह जारी रहता है, तो 2015 के पेरिस समझौते के अनुसार वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की संभावनाएं पहुंच से बाहर हो जाएंगी। सीओपी28 एलडीसी की जरूरतों को पूरा करने व 1.5°C तापमान सीमित करने की दिशा में जलवायु कार्यवाही में तेजी लाने का एक अवसर है। एक सफल सीओपी28 के लिए सभी देशों को वैश्विक उत्सर्जन में गहरी कटौती करने, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ आने की आवश्यकता होगी जिससे कि इस संकट से निपटने में मदद मिल सके।

5 सिक्किम में ग्लेशियल झील के फटने से आई बाढ़

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SSDMA) द्वारा कहा गया कि दक्षिण ल्होनक झील (जो राज्य के उत्तर-पश्चिम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिमनद झील है) में लगातार बारिश के कारण जल स्तर बढ़ने से 14 लोगों की मौत और 100 से अधिक लोग लापता हो गये।

ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) के बारे में:

- यह एक प्रकार की विस्फोटक बाढ़ है जो तब आती है जब ग्लेशियर पिघलने से जल स्तर बढ़ जाता है।
- जीएलओएफ कई कारणों से होता है जिनमें भूकंप, अत्यधिक भारी बारिश, जल के प्रवाह में वृद्धि और बर्फीले हिमस्खलन शामिल हैं।
- जीएलओएफ के रूप में जाने जाने वाले ऐसे विस्फोटों में कम समय में लाखों क्यूबिक मीटर पानी बढ़ने की क्षमता होती है जिससे नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ आ सकती है।
- जब ग्लेशियर पिघलता है, तब इन हिमनद झीलों में पानी बर्फ, रेत, कंकड़ और बर्फ के अवशेषों से प्राकृतिक रूप से बनी झीलें मोराइन बांधों के पीछे जमा हो जाती है।
- मिट्टी के बांधों के विपरीत, मोराइन बांध की कमजोर संरचना के कारण हिमानी झील के शीर्ष पर स्थित मोराइन बांध अचानक टूट जाता है जिससे बड़ी मात्रा में बाढ़ आ जाती है।

दक्षिण ल्होनक झील GLOF के लिये क्यों संवेदनशील है?

- बढ़ रहे वैश्विक तापमान के कारण सिक्किम हिमालय में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं जिससे अनेक ग्लेशियर झीलें बन रही हैं और क्षेत्र में पहले से मौजूद झीलों का विस्तार भी हो रहा है।
- वर्तमान में सिक्किम हिमालय में 300 से अधिक हिमनद झीलें हैं। दक्षिण ल्होनक झील सहित 10 हिमनद झीलों की पहचान बाढ़ के प्रति संवेदनशील झील के रूप में की गई है।
- सिक्किम सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में पाया गया कि पिछले पांच दशकों में झील के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।

- ल्होनक झील अपने आकार से लगभग 1.5 गुना और दक्षिणी ल्होनक लगभग 2.5 गुना बढ़ गयी है।
- 2011 में 6.9 तीव्रता वाले भूकंपीय गतिविधियों ने इस क्षेत्र में GLOF जोखिम को बढ़ा दिया है।

दक्षिण ल्होनक झील के विस्तार से निपटने के लिए जरूरी कदमः

- सिक्किम के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के सदस्यों ने दक्षिण ल्होनक झील से झील का पानी निकालने का निर्णय लिया है।
- पानी बाहर निकालने के लिए झील में कई हाई डेंसिटी पॉलीथीन (HDPE) पाइप लगाए जाने की बात की गयी है।

आगे की राहः

इस प्रकार के आपदाओं से निपटने के लिए कमजोरियों का आंकलन, जोखिम, गंभीरता तथा अतिसंवेदनशील हिमनदी झीलों के लिए निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना, बचाव, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण प्रक्रिया को गति देना होगा।

6 पंजाब में PUSA-44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि पंजाब राज्य अगले वर्ष से पूसा-44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा देगा। यह किस्म धान की खेती के तहत राज्य के कुल क्षेत्र का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा कवर करती है और पंजाब के किसान इसकी उच्च उपज से संतुष्ट थे।

पूसा-44 धान खेती के बारे में:

- धान की इस प्रजाति को 1993 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा विकसित किया गया परन्तु 2010 के दशक में इसे पंजाब में लोकप्रियता मिली।
- यह फसल धान की खेती के लगभग 70 से 80% क्षेत्र को कवर करता है।
- धान की यह प्रजाति कुल गैर-बासमती धान क्षेत्र के 26.61 लाख हेक्टेयर में से 7.74 लाख हेक्टेयर धान पूसा-44 था।
- 2018 में पंजाब सरकार ने PUSA-44 धान के कुल क्षेत्रफल को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया, लेकिन पिछले वर्ष यह बढ़कर 22 प्रतिशत हो गया था।

किसानों को लाभः

- PUSA-44 की पैदावार प्रति एकड़ लगभग 85 से 100 मण (1 मण बराबर 40 किग्रा.) या 34 से 40 क्विंटल होती है, जबकि अन्य किस्मों की औसत उपज 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ है।
- मैसम अनुकूलित होने पर किसान पूसा-44 से प्रति एकड़ 36 से 40 क्विंटल तक उपज प्राप्त कर सकते हैं।
- वर्तमान में धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,205 रुपये प्रति क्विंटल है। इससे किसानों को अन्य किस्मों की तुलना में 7-10 क्विंटल अधिक उपज प्राप्त होती है जिससे उनकी आय में 15,000 से 22,000 रुपये प्रति एकड़ का लाभ होगा।

प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

- यह एक लंबी अवधि वाली किस्म है जिसे तैयार होने में लगभग 160 दिन लगते हैं। यह अन्य किस्मों की तुलना में लगभग 35 से 40 दिन अधिक लेती है जिसमें सिंचाई के 5-6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है।
- पंजाब के 141 कृषि विकास खंडों में से 102 को 'डार्क जोन' घोषित किया गया था जिसमें भूजल की कमी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक थी और पानी 200 से 300 फीट या उससे अधिक की गहराई पर चलाया गया था।

पराली जलाने की समस्या को कैसे बढ़ाता है?

- पूसा किस्में छोटी किस्मों की तुलना में लगभग 2 प्रतिशत अधिक ठूंठ पैदा करती हैं जो बड़े पैमाने पर खेती के लिए पराली जलाने की समस्या उत्पन्न करती है।
- परिपक्वता अवधि अधिक होने के कारण इसकी कटाई गेहूं की बुआई से ठीक पहले की जाती है। किसानों को धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच 20 से 25 दिनों की आवश्यकता होती है, इसलिए पराली जलाने के मामले बढ़ जाते हैं।

आगे की राहः

पंजाब में भूजल की कमी और कम अवधि वाली धान की किस्मों की उपलब्धता को देखते हुए सरकार का लक्ष्य इस किस्म पर प्रतिबंध लगाकर सिंचाई के पानी का संरक्षण करना है।

7 जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचा

चर्चा में क्यों?

भारत ने जलवायु सेवाएं और जानकारी प्रदान करने की दिशा में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर का ढांचा लॉन्च किया है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (एनएफसीएस) का नेतृत्व भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा किया जाता है। एनएफसीएस ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (जीएफसीएस) पर आधारित है।

एनएफसीएस के बारे में:

- वैश्विक ढांचे के अनुरूप राष्ट्रीय ढांचे देश-विशिष्ट जलवायु और हितधारकों की जरूरतों पर आधारित होंगे।
- यह जलवायु सेवाओं के विकास और वितरण को सक्षम करने के लिए एक बहु-हितधारक मंच होगा।
- एनएफसीएस का लक्ष्य संस्थानों का समन्वय करना है ताकि वे जलवायु कार्यवाही का सह-डिजाइन, सह-उत्पादन, संचार, वितरण तथा उपयोग करने के लिए मिलकर काम कर सकें।
- फोकस के लिए पहचाने गए क्षेत्रों के अलावा यह अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों जैसे-जल विज्ञान, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, बांध और सिंचाई, केंद्र, राज्य तथा अन्य स्तरों पर स्वास्थ्य एजेंसियों को भी जोड़ सकता है।

नोडल एजेंसी:

- आईएमडी भारत में राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी।

अन्य देशों में एनसीएफएस:

- 2009 में जलवायु सेवाओं के लिए फ्रेमवर्क की घोषणा के बाद से स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने एनएफसीएस लॉन्च किया है।

जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक ढांचे (जीएफसीएस) के बारे में:

- जीएफसीएस जलवायु सूचना और सेवाओं के उत्पादन तथा बेहतर उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर सरकारों और संगठनों की साझेदारी है।
- इसका उद्देश्य जलवायु सूचना और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए एक निर्बाध प्लेटफार्म देना है। उन्हें प्रमुख क्षेत्रों जैसे-कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और पानी में जलवायु जोखिमों को निर्धारित करने तथा कम करने में मदद करना है।
- जीएफसीएस के स्थापना की घोषणा 2009 में जिनेवा में आयोजित तीसरे विश्व जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- इस ढांचे का नेतृत्व उनके संबंधित देशों में राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं (एनएमएचएस) द्वारा किया जाता है।
- वर्तमान में जीएफसीएस जिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, उनमें कृषि और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जल तथा आपदा जोखिम में कमी आदि शामिल हैं।

आगे की राह:

कई असंतुलित क्षेत्र भूभाग और महासागरों के पार बने हुए हैं जहां कोई मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध नहीं है। एनएफसीएस के लॉन्च होने से मौसम विभाग भूमि और समुद्र पर अवलोकन नेटवर्क को मजबूत करना, डेटा प्रवाह में सुधार करना और अंततः जलवायु पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए मौसम तथा जलवायु मॉडल चलाने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होगा।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

OPTIONAL SUBJECT

GEOGRAPHY
by Sanjay Sir

HISTORY
by Javed Sir

PSIR
by Shashidhar Sir

PUBLIC ADMINISTRATION
by Anadi Sir

SOCIOLOGY
by Chaudhary Sir

COMING SOON

9219200789

Aliganj (Lucknow) I Gomti Nagar (Lucknow)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

1 आर21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की मदद से मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलने वाली जानलेवा बीमारी को रोकने के लिए एक नई मलेरिया वैक्सीन 'आर21/मैट्रिक्स-एम' की सिफारिश की। यह वैक्सीन RTS,S/AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है।

आर21/मैट्रिक्स-एम के बारे में:

- आर21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन आसानी से उपलब्ध कराया जाने वाला टीका है जिसे मामूली लागत के साथ बड़े पैमाने पर निर्मित किया जा सकता है।
- मैट्रिक्स-एम घटक पर नोवावैक्स का अधिपत्य है जिसे स्थानिक देशों में उपयोग के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से लाइसेंस प्राप्त है।
- इस मलेरिया वैक्सीन को पश्चिम अफ्रीका के तीन देशों 'घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो' में उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है।
- वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण बुर्किना फासो, केन्या, माली और तंजानिया के 4,800 बच्चों पर किया गया।

मलेरिया क्या है?

- मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होने वाला बुखार है। यह मादा एनोफेलीज मच्छर के द्वारा फैलता है।
- यह रोग भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें सब-सहारा अफ्रीका और एशिया के अधिकतर देश शामिल हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में कुल मलेरिया के मामलों में से 77% मामले भारत में हैं।
- प्लाज्मोडियम परजीवी की कुल पांच प्रजातियों में से दो 'पी. फाल्सीपेरम (P- falciparum) एवं पी. विवैक्स (P- vivax)' को सबसे अधिक खतरनाक माना जाता है।

मलेरिया के लक्षण:

- मलेरिया के प्रारंभिक लक्षण फ्लू की भांति होते हैं जिसमें बुखार, सिरदर्द, पसीना आना, ठंड लगना, उल्टी आदि शामिल होता है।
- गंभीर मामलों में यह अंग विफलता, कोमा और मृत्यु का कारण भी बन सकता है।

मलेरिया के मामले एवं उन्मूलन के प्रयास:

- 2020 में 85 मलेरिया देशों में से 29 देशों में मलेरिया के 96 प्रतिशत मामले थे। वैश्विक स्तर पर मलेरिया के मामलों में भारत का योगदान 1.7 प्रतिशत और मौतों में 1.2 प्रतिशत है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में सालाना लगभग 15 मिलियन मलेरिया के मामले सामने आते हैं जिनमें लगभग 19,500-20,000 मौतें होती हैं।
- 2019 और 2020 के बीच भारत को छोड़कर सभी उच्च-बोझ से उच्च-प्रभाव (HBHI) देशों में मामलों और मौतों में वृद्धि दर्ज की गई है।
- 2022 में 85 मलेरिया के मामले स्थानिक देशों में वैश्विक स्तर पर अनुमानित 241 मिलियन थे जो 2019 में 227 मिलियन बढ़ गए। अधिकांश मामले अफ्रीकी देशों से आए जो 95 प्रतिशत मामलों के लिए जिम्मेदार थे।
- भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक देश को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है।

आगे की राह:

मलेरिया एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जो सर्वाधिक आबादी को प्रभावित करता है। जनजातीय व स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त कार्य योजना तथा एचआईपी-मलेरिया पोर्टल के कार्यान्वयन से मलेरिया के प्रसार को रोकने और बीमारी की रोकथाम, निदान एवं उपचार में सुधार करने में मदद मिलेगी।

2 CRISPR तकनीक का उपयोग

चर्चा में क्यों?

नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिकों ने ऐसी मुर्गियां बनाने के लिए सीआरआईएसपीआर नामक जीन-संपादन तकनीक का उपयोग किया है जिनमें एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रति कुछ प्रतिरोधक क्षमता है। शोधकर्ताओं ने चिकन जीन को ANP32A के रूप में संपादित किया जिसे फ्लू वायरस अपनी नकल बनाने के लिए हाईजैक कर लेता है।

अध्ययन के बारे में:

- वैज्ञानिकों ने ऐसी मुर्गियां बनाने के लिए सीआरआईएसपीआर नामक जीन-संपादन तकनीक का उपयोग किया है जिनमें एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रति कुछ हद तक प्रतिरोधक क्षमता है।
- अध्ययन से पता चलता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग संभावित रूप से बर्ड फ्लू के टोल को कम करने के लिए एक उपकरण हो सकती है क्योंकि यह वायरस का एक समूह है जो जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि कुछ महत्त्वपूर्ण संक्रमण अभी भी हुए हैं, खासकर जब जीन-संपादित मुर्गियों को वायरस की बहुत अधिक खुराक के संपर्क में लाया गया, परन्तु जब वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक चिकन जीन को संपादित किया, तो वायरस जल्दी से अनुकूलित हो गया। निष्कर्षों से पता चलता है कि फ्लू-प्रतिरोधी मुर्गियों को बनाने के लिए कई जीनों को संपादित करने की आवश्यकता होगी, साथ ही वैज्ञानिकों को वायरस के आगे विकास को रोकने के लिए सावधानी से आगे बढ़ने की जरूरत है।

बर्ड फ्लू के बारे में:

- एवियन इन्फ्लूएंजा पक्षियों में फैलने वाले फ्लू वायरस के एक समूह

को संदर्भित करता है। पिछले कई वर्षों में बर्ड फ्लू वायरस का एक अत्यधिक घातक संस्करण (जिसे H5N1 के नाम से जाना जाता है) दुनिया भर में तेजी से फैल गया है जिससे अनगिनत जंगली पक्षी मारे गए हैं। इसने जंगली स्तनधारियों को भी बार-बार संक्रमित किया है जिससे कम संख्या में लोगों में इसका पता चला है। हालाँकि यह वायरस पक्षियों के लिए अनुकूलित है, इसलिए वैज्ञानिकों को चिंता है कि यह ऐसे उत्परिवर्तन प्राप्त कर सकता है जो इसे मनुष्यों के बीच अधिक आसानी से फैलने में मदद करते हैं जिससे संभावित रूप से एक महामारी फैल सकती है।

- कई देशों ने खेतों पर जैव सुरक्षा बढ़ाकर, संक्रमित परिसरों को अलग करके और संक्रमित झुंडों को मारकर वायरस को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन यह वायरस जंगली पक्षियों में इतना व्यापक हो गया है कि इसे रोकना असंभव साबित हुआ है। कुछ देशों ने पोल्ट्री का टीकाकरण शुरू कर दिया है जो कुछ तार्किक और आर्थिक चुनौतियां भी पेश करता है।

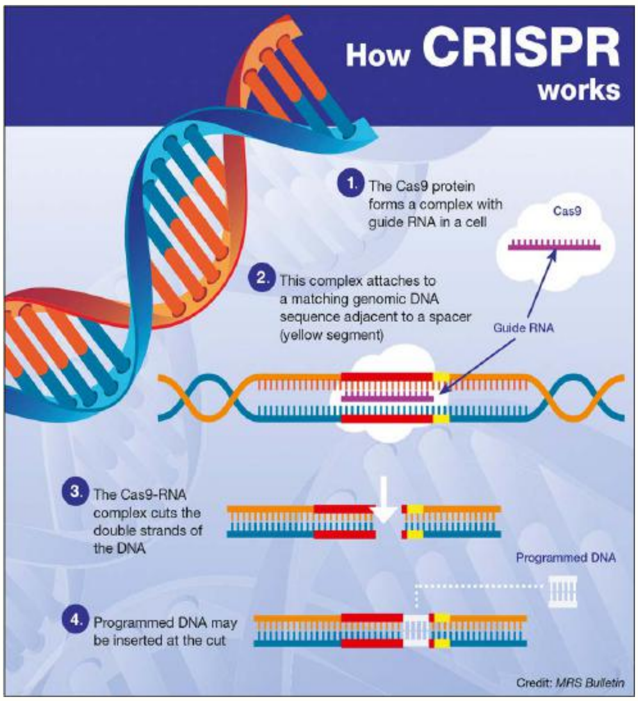

CRISPR तकनीक के बारे में:

- CRISPR-Cas9 एक ऐसी तकनीक है जो एक जीनोम में डीएनए के अत्यधिक विशिष्ट और तेजी से संशोधन की अनुमति देती है जो एक जीव में आनुवंशिक निर्देशों का पूरा सेट है।

आगे की राह:

उत्परिवर्तित फ्लू वायरस चिकन में मौजूद दो अन्य प्रोटीनों का उपयोग करके चिकन में ANP32A प्रोटीन की पूर्ण अनुपस्थिति में भी खुद को दोहराने में सक्षम है। बर्ड फ्लू को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों को चिकन परिवार में मौजूद उन तीनों जीनों को संपादित करने की जरूरत है जिनका इस्तेमाल वायरस खुद को दोहराने के लिए करता है।

3 गर्भाशय प्रत्यारोपण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूके में चर्चिल हॉस्पिटल ऑक्सफोर्ड के डॉक्टरों ने देश का पहला गर्भाशय प्रत्यारोपण किया। उन्होंने एक 40 वर्षीय महिला से गर्भाशय निकाला और उसे उसकी 34 वर्षीय बहन में प्रत्यारोपित किया। एक दुर्लभ स्थिति होने से उसकी प्रजनन करने की क्षमता प्रभावित हुई थी, जबकि गर्भ क्रियाशील था, निकट भविष्य में केवल जीवित जन्म ही यह साबित कर सकता है कि प्रत्यारोपण सफल रहा। हालांकि कई देशों में गर्भाशय का सफल प्रत्यारोपण किया जा चुका है।

गर्भाशय प्रत्यारोपण के बारे में:

- गर्भाशय प्रत्यारोपण में एक महिला के गर्भाशय का प्रत्यारोपण किया जाता है।
- गर्भाशय प्रत्यारोपण उन महिलाओं की मदद कर सकता है जिनके पास गर्भाशय की कमी है, उनकी प्रजनन संबंधी जरूरतें पूरी हो सकती हैं।
- 2014 में स्वीडन में गर्भाशय प्रत्यारोपण के बाद पहला जीवित जन्म हुआ जो गर्भाशय कारक बांझपन के उपचार में एक सफलता का प्रतीक है।

प्रक्रिया के बारे में:

- दाता गर्भाशय, चाहे जीवित दाता से हो या मृत दाता से, प्रत्यारोपण से पहले व्यवहार्यता के लिए कठोरता से परीक्षण किया जाता है। स्त्री रोग संबंधी जांच और कैंसर स्क्रीनिंग आदि सहित विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं।
- यह प्रक्रिया गर्भाशय को फैलोपियन ट्यूब से नहीं जोड़ती है जो यह सुनिश्चित करती है कि अंडा अंडाशय से गर्भाशय तक जाता है।
- इस प्रक्रिया में व्यक्ति प्राकृतिक तरीकों से गर्भधारण नहीं कर पाता है। इसके बजाय, डॉक्टर प्राप्तकर्ता के अंडे की कोशिकाओं को हटा देते हैं, इन विट्रो निषेचन का उपयोग करके भ्रूण बनाते हैं और उन्हें फ्रीज (क्रायोप्रिजर्वेशन) करते हैं।
- एक बार जब नया प्रत्यारोपित गर्भाशय 'तैयार' हो जाता है, तो डॉक्टर भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं।
- रोबोट-सहायक लैप्रोस्कोपी का उपयोग दाता गर्भाशय को सटीक रूप से निकालने के लिए किया जाता है।
- प्रत्यारोपण प्रक्रिया के बाद महत्त्वपूर्ण गर्भाशय वाहिका (हृदय को शरीर के अन्य अंगों और ऊतकों से जोड़ने वाली वाहिकाओं का नेटवर्क) तथा अन्य प्रमुख कनेक्शनों को विधिपूर्वक पुनः स्थापित किया जाता है।

दुष्प्रभाव:

- साइड इफेक्ट्स में किडनी और अस्थि मज्जा विषाक्तता तथा मधुमेह और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।
- इन चिंताओं के लिए सफल प्रसव के बाद गर्भाशय को हटा दिया जाना चाहिए और बच्चे के जन्म के बाद कम से कम एक दशक तक नियमित अनुवर्ती कार्यवाही की सिफारिश की जाती है।

भारत में गर्भाशय प्रत्यारोपण:

- भारत सफल गर्भाशय प्रत्यारोपण वाले देशों में स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ शामिल हो गया है। भारत में गर्भाशय प्रत्यारोपण सर्जरी की लागत वर्तमान में 15-17 लाख रुपये है जो कई लोगों के लिए अधिक लागत प्रभावी विकल्प बनाती है।

आगे की राह:

गर्भाशय प्रत्यारोपण एक उल्लेखनीय चिकित्सा प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है जो गर्भाशय कारक बांझपन का सामना करने वाली महिलाओं के लिए आशा और संभावनाएं प्रदान करता है। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई हैं, परन्तु चल रहे अनुसंधान और तकनीकी प्रगति से प्रजनन चिकित्सा के क्षितिज का विस्तार जारी है जो मानवीय हितों के अनुरूप हो सकता है।

4 डिजिटल इंडिया एक्ट 2023

चर्चा में क्यों?

डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023 (DIA) की घोषणा देश के बढ़ते डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र एवं भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा देश के डिजिटल भविष्य को आकार देने की दिशा में यह एक सक्रिय दृष्टिकोण है।

डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- नया डिजिटल इंडिया एक्ट दो दशक पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act) का स्थान लेगा।
- यह इंटरनेट और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास, चुनौतियों तथा अवसरों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
- इसका मुख्य उद्देश्य भारत के नियामक परिदृश्य को 21वीं सदी की डिजिटल क्रांति के साथ सम्बन्ध स्थापित करना है।
- आईटी अधिनियम की जब शुरूआत हुई थी तब इंटरनेट अपने प्रारंभिक चरण में था जिसमें प्रौद्योगिकी और उपयोगकर्ता व्यवहार में तेजी से बदलाव के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था।
- आईटी एक्ट की स्थापना के समय भारत का इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार 5.5 मिलियन से बढ़कर 850 मिलियन हो गया है।
- इससे विभिन्न मध्यस्थों के साथ साइबरस्टॉकिंग, ट्रोलिंग और डॉक्सिंग जैसे उपयोगकर्ता के प्रसार के साथ, इंटरनेट उपयोग की प्रकृति भी विकसित होगी।

एक्ट के प्रमुख प्रावधान:

- इस एक्ट में निरंतर विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य को संबोधित करने के उद्देश्य से महत्त्वपूर्ण प्रावधानों का स्पेक्ट्रम शामिल है।
- यह बदलते बाजार की गतिशीलता एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों के अनुकूल रहते हुए डिजिटल क्षेत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता के साथ-साथ ऑनलाइन सुरक्षा और विश्वास पर जोर देगा।
- यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों के बढ़ते महत्त्व पर जोर देगा और उपयोग के लिए नए दिशानिर्देश प्रदान करेगा।
- यह खुले इंटरनेट की अवधारणा को विकसित करेगा और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए पहुंच एवं आवश्यक नियमों के बीच संतुलन स्थापित करेगा।
- यह ग्राहक को जानें (KYC) के नियम को अनिवार्य करेगा जिससे आपराधिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगेगा।

एक्ट से सम्बंधित मुख्य चुनौतियाँ:

- यह विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्यमशीलता की पहल को बाधित कर सकती हैं और विदेशी निवेश को रोक सकते हैं।
- इससे 'सुरक्षित बंदरगाह' प्लेटफार्मों के बीच अधिक सतर्क दृष्टिकोण हो सकता है जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
- यह नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए तकनीकी दिग्गजों सहित विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण चुनौती उत्पन्न करेगा।

आगे की राह:

यह एक्ट भारत के लिए एक सुरक्षित, जवाबदेह और नवीन डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह निरंतर परिवर्तन के युग में विनियमन के लिए एक दूरदर्शी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व होगा जो भविष्य के लिए देश के डिजिटल परिदृश्य को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

5 मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ओपनएआई, गूगल और माइक्रोसाफ्ट द्वारा बनाए गए उत्पाद जैसे GPT-4V, ChatGPT में DALL-E 3 का एकीकरण और बार्ड के साथ सहायता मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्त्व को उजागर किया है।

मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में:

- मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार की एआई प्रणाली को संदर्भित करता है जो एक साथ कई तौर-तरीकों या स्रोतों जैसे- पाठ, चित्र, वीडियो, ऑडियो और डेटा के अन्य रूपों से जानकारी को समझ तथा संसाधित कर सकता है।
- इसका मतलब है कि यह विभिन्न प्रकार के डेटा का विश्लेषण कर सकता है और किसी स्थिति या समस्या की अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए अंतर्दृष्टि निकाल सकता है।

मल्टीमॉडल AI से जुड़ी प्रौद्योगिकियाँ:

मल्टीमॉडल एआई सिस्टम आमतौर पर तीन मुख्य घटकों की शृंखला से निर्मित होते हैं-

- **एक इनपुट मॉड्यूल-** यह तंत्रिका नेटवर्क की शृंखला है जो भाषण और दृष्टि जैसे विभिन्न प्रकार के डेटा को अंतर्ग्रहण तथा

प्रसंस्करण या एन्कोडिंग के लिए जिम्मेदार है।

- **एक फ्यूजन मॉड्यूल-** यह प्रत्येक मोडेलिटी भाषण, पाठ, दृष्टि इत्यादि से प्रासंगिक डेटा के संयोजन, संरेखित और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है।
- **एक आउटपुट मॉड्यूल-** यह मल्टीमॉडल एआई से आउटपुट बनाने के लिए जिम्मेदार है जिसमें भविष्यवाणियां करना या निर्णय लेना या सिस्टम या मानव ऑपरेटर द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले अन्य कार्यवाही योग्य आउटपुट की सिफारिश करना शामिल है।

मल्टीमॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महत्त्व:

- **बढ़ी हुई समझ:** मल्टीमॉडल एआई विभिन्न स्रोतों से जानकारी को संयोजित करके डेटा की एक समृद्ध और अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान कर सकता है। उदाहरण के लिए यह सामग्री की गहरी समझ हासिल करने के लिए किसी समाचार लेख में पाठ और छवियों दोनों का विश्लेषण कर सकता है।
- **बेहतर सटीकता:** कई तौर-तरीकों से डेटा के संयोजन से प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), कंप्यूटर दृष्टि और भाषण पहचान जैसे कार्यों में बेहतर सटीकता हो सकती है। इससे एआई सिस्टम को अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- **वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग:** मल्टीमॉडल एआई में व्यावहारिक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जैसे-स्वास्थ्य देखभाल (रोगी रिकॉर्ड के साथ चिकित्सा छवियों को एकीकृत करना), स्वायत्त वाहन (दृश्य तथा सेंसर डेटा दोनों को संसाधित करना) एवं सामग्री अनुशंसा प्रणाली (पाठ और उपयोगकर्ता व्यवहार का विश्लेषण) इत्यादि।
- **बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव:** वर्चुअल असिस्टेंट या चैटबॉट जैसे अनुप्रयोगों में मल्टीमॉडल एआई उपयोगकर्ताओं को उनके बोले गए शब्दों और दृश्य संकेतों दोनों पर विचार करके बेहतर ढंग से समझकर प्रतिक्रिया दे सकता है।
- **समस्या को सुलझाना:** मल्टीमॉडल एआई उन जटिल समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है जिनके लिए विभिन्न डेटा स्रोतों से अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपदा प्रतिक्रिया में यह स्थिति का आंकलन करने और प्रतिक्रिया की योजना बनाने के लिए पाठ रिपोर्ट, उपग्रह छवियों तथा सेंसर डेटा का विश्लेषण कर सकता है।

आगे की राह:

डेटा के विशाल भंडारण जैसी कई चुनौतियाँ हैं। ऐसे डेटा वॉल्यूम को संग्रहीत और संसाधित करना महंगा है, साथ ही विभिन्न प्रकार के डेटा को संयोजित तथा सिंक्रोनाइज करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि एकाधिक स्रोतों से डेटा का प्रारूप समान नहीं होता है। कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा आदि में मल्टी-मॉडल कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उचित उपयोग के लिए इन चुनौतियों को शीघ्र हल करने की आवश्यकता है।

6 एमआरएनए वैक्सीन

चर्चा में क्यों?

कैटालिन कारिको और ड्रू वीसमैन को न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार दिया गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास को सक्षम किया है। न्यूक्लियोसाइड-संशोधित मैसेंजर आरएनए (modRNA) एक सिंथेटिक मैसेंजर है जिसमें कुछ न्यूक्लियोसाइड को अन्य प्राकृतिक रूप से संशोधित न्यूक्लियोसाइड या सिंथेटिक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। modRNA का उपयोग कुछ कोशिकाओं में वांछित प्रोटीन के उत्पादन को प्रेरित करने के लिए किया जाता है।

वैक्सीन के बारे में:

- वैक्सीन शरीर को विदेशी आक्रमणकारियों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगजनकों) से लड़ने के लिए तैयार करके संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं।
- सभी वैक्सीन किसी विशेष बैक्टीरिया या वायरस के हानिरहित पार्ट्स को शरीर में इंजेक्ट करते हैं जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। अधिकांश वैक्सीन में कमजोर या मृत बैक्टीरिया या वायरस होते हैं।
- हालाँकि वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार का वैक्सीन विकसित किया है जो वास्तविक बैक्टीरिया या वायरस के हिस्से के बजाय मैसेंजर आरएनए (एमआरएनए) नामक अणु का उपयोग करता है।
- मैसेंजर आरएनए एक प्रकार का आरएनए है जो प्रोटीन उत्पादन के लिए आवश्यक है। एक बार जब कोशिकाएं प्रोटीन बनाना समाप्त कर देती हैं, तो वे एमआरएनए को तोड़ देती हैं।
- वैक्सीन से एमआरएनए नाभिक में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि डीएनए में परिवर्तन नहीं करता है।

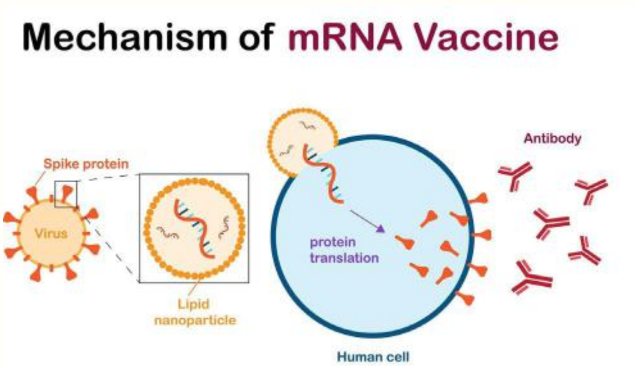

एमआरएनए वैक्सीन के बारे में:

- एमआरएनए वैक्सीन एमआरएनए के एक पार्ट को पेश करके काम करते हैं जो वायरल प्रोटीन से मेल खाता है। आमतौर पर वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाया जाने वाला प्रोटीन का एक छोटा टुकड़ा होता है। इस एमआरएनए का उपयोग करके कोशिकाएं वायरल प्रोटीन का उत्पादन कर सकती हैं।

- सामान्य प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में प्रतिरक्षा प्रणाली पहचानती है कि प्रोटीन विदेशी है, इसलिए एंटीबॉडी नामक विशेष प्रोटीन का उत्पादन करता है।
- एंटीबॉडीज व्यक्तिगत वायरस या अन्य रोगजनकों को पहचानकर उनसे जुड़कर और विनाश के लिए रोगजनकों को चिह्नित करके शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद करते हैं।
- एक बार उत्पादित होने के बाद रोगजनक से छुटकारा पाने के बाद भी एंटीबॉडी शरीर में बनी रहती हैं ताकि दोबारा संपर्क में आने पर प्रतिरक्षा प्रणाली तुरंत प्रतिक्रिया दे सके।
- यदि कोई व्यक्ति एमआरएनए टीकाकरण प्राप्त करने के बाद वायरस के संपर्क में आता है, तो एंटीबॉडी इसे तुरंत पहचान सकते हैं और गंभीर बीमारी का कारण बनने से पहले इसे नष्ट करने के लिए चिह्नित कर सकते हैं।
- जो व्यक्ति एमआरएनए वैक्सीन प्राप्त करते हैं, वे वायरस के संपर्क में नहीं आते हैं और न ही वे वैक्सीन के वायरस से संक्रमित हो सकते हैं।

आगे की राह:

एमआरएनए वैक्सीन अपनी उच्च क्षमता, तेजी से विकास की क्षमता और कम लागत वाले विनिर्माण तथा सुरक्षित प्रशासन के कारण पारंपरिक वैक्सीन दृष्टिकोण के लिए एक आशाजनक विकल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं। एमआरएनए वैक्सीन से लोगों के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को लाभ होगा।

7 साइकी एस्ट्रोयड मिशन

चर्चा में क्यों?

स्पेसएक्स फाल्कन हेवी रॉकेट ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के साइकी अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जिसे वैज्ञानिकों को हमारे सौर मंडल में चट्टानी पिंडों के निर्माण के बारे में जानने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है।

साइकी मिशन के बारे में:

- साइकी मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक अद्वितीय धातु क्षुद्रग्रह की यात्रा है।
- पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचने के बाद साइकी मिशन धातु-समृद्ध क्षुद्रग्रह की अपनी छह साल की व्यापक यात्रा को पूरा करने के लिए सौर विद्युत प्रणोदन का उपयोग करेगा।
- साइकी अंतरिक्ष यान को 2029 में लगभग 2.2 बिलियन मील की दूरी तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचने की संभावना है।
- अपने आगमन के बाद अंतरिक्ष यान 26 महीने तक क्षुद्रग्रह की परिक्रमा करेगा, चित्र लेगा, सतह का मानचित्रण करेगा और साइकी क्षुद्रग्रह की संरचना का पता लगाने के लिए महत्त्वपूर्ण डेटा एकत्र करेगा।
- उन्हें क्षुद्रग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र की पहचान करने, इसकी रासायनिक संरचना का विश्लेषण करने और इसकी खनिज संरचना तथा सतह की विशेषताओं दोनों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए नियोजित किया जाएगा।
- अपने प्राथमिक मिशन के अलावा साइकी अंतरिक्ष यान नासा के डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस (डीएसओसी) प्रयोग नामक एक अग्रणी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की मेजबानी करेगा। डीएसओसी का लक्ष्य साइकी अंतरिक्ष यान की यात्रा के शुरुआती चरणों के दौरान पृथ्वी पर उच्च-बैंडविड्थ ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करना है।

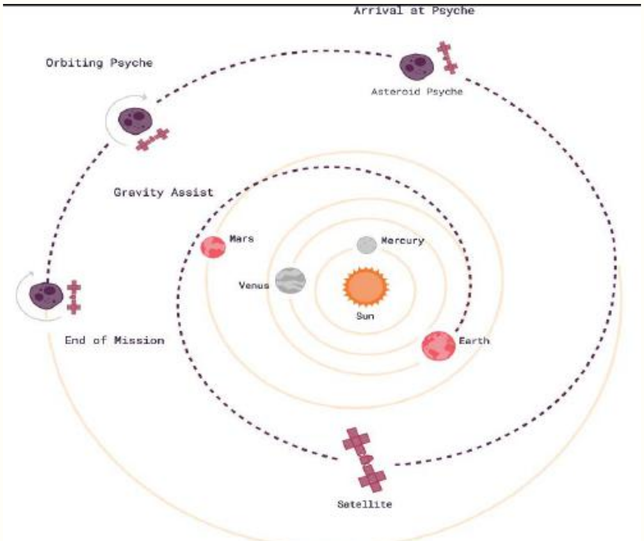

साइकी एस्ट्रोयड के बारे में:

- 173 मील (279 किलोमीटर) की अनुमानित चौड़ाई और लगभग 165,800 वर्ग किलोमीटर के सतह क्षेत्र को साइकी के नाम से जाना जाता है। इसने चट्टानी ग्रहों के निर्माण में एक मूलभूत तत्व के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी।
- ऐसा माना जाता है कि जब सौर मंडल बन रहा था तब इस क्षुद्रग्रह को कई उच्च-प्रभाव वाली टक्करों का सामना करना पड़ा था।
- इन टकरावों ने साइकी की चट्टानी सामग्री की बाहरी परत को हटा दिया होगा। साइकी में पृथ्वी के कोर और अन्य स्थलीय ग्रहों के कोर के विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने की क्षमता है।
- ऐसी भी संभावना है कि साइकी पूरी तरह से अलग प्रकार के लौह-समृद्ध खगोलीय पिंड का बचा हुआ टुकड़ा हो सकता है। हालांकि अभी तक किसी भी पहलू पर पूर्ण सहमति नहीं बन पाई है।

आगे की राह:

अध्ययन करने की प्रेरणा इसकी उच्च धातु सामग्री में निहित है। इस धातु- समृद्ध क्षुद्रग्रह की खोजों से हमारी समझ को समृद्ध करने की क्षमता है कि ग्रह कैसे अस्तित्व में आते हैं? वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि क्षुद्रग्रह के बारे में सीखने से हमें ग्रहों के कोर और पृथ्वी के स्वयं के गठन के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी।

आर्थिक मुद्दे

1 'सुगम REC' मोबाइल ऐप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसी लिमिटेड ने 54EC पूंजीगत लाभ कर छूट बांड में वर्तमान और भविष्य के निवेशकों के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन 'सुगम REC' लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप निवेशकों को आरईसी 54ईसी बांड में उनके निवेश का पूरा विवरण प्रदान करेगा।

मोबाइल ऐप के बारे में:

- इस ऐप के माध्यम से निवेशक अपने ई-बॉन्ड प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर सकेंगे, नए निवेश के लिए आवेदन कर सकेंगे, केवाईसी अपडेट करने से संबंधित महत्त्वपूर्ण फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे एवं कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से आरईसी के निवेशक सेल से भी जुड़ सकेंगे।
- मोबाइल एप्लिकेशन को एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
- यह आरईसी की कई डिजिटल पहलों में से एक है।

धारा 54ईसी बांड क्या है?

- धारा 54ईसी बांड एक प्रकार के निश्चित आय वाला वित्तीय उपकरण है जो आयकर अधिनियम की धारा-54ईसी के तहत निवेशकों को पूंजीगत लाभ के तहत कर छूट प्रदान करता है।

54ईसी बांड के लाभ:

- 54EC बांड का एक महत्त्वपूर्ण लाभ कर बचाने का अवसर प्रदान करता है।
- इस बांड की बिक्री से प्राप्त आय का निवेश करके धन का पुनर्निवेश करके कर का लाभ उठा सकते हैं।
- इससे निवेशकों को अपने कर दायित्वों को अनुकूलित करने और अपने समग्र कर बिल को कम करने की अनुमति मिलती है।
- यह स्थिरता और आत्मविश्वास चाहने वाले निवेशक के लिए एक सुरक्षित निवेश प्लेटफार्म प्रदान करता है।
- यह व्यक्तियों को अपनी बचत को उनकी प्राथमिकताओं और निवेश रणनीति के अनुरूप प्रबंधित करने की अनुमति देता है।

आरईसी लिमिटेड के बारे में:

- 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है जो पूरे भारत में पावर सेक्टर के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
- यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र अथवा राज्य बिजली उपयोगिताओं, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों एवं निजी क्षेत्र की उपयोगिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

आगे की राह:

आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत 54ईसी बांड व्यक्तियों को कर बचत लाभ तथा ब्याज अर्जित करने का अवसर प्रदान करने वाला एक उपयुक्त निवेश विकल्प प्रदान करेगा। बिक्री लाभ को 54EC बांड में पुनर्निवेश करके, व्यक्ति प्रभावी रूप से कर बचा सकते हैं और संभावित रूप से अपने निवेश पर समग्र रिटर्न बढ़ा सकते हैं।

2 सामाजिक प्रभाव बांड

चर्चा में क्यों?

नाबार्ड ने अपने सामाजिक प्रभाव बांड के माध्यम से 1041 करोड़ रुपये जुटाया है जो 7.63 प्रतिशत की कूपन दर पर पांच साल में परिपक्व होगा। नाबार्ड का आधार निर्गम मूल्य 1000 करोड़ है और ग्रीन शू विकल्प के तहत एडिशनल 2000 करोड़ है। बांड को CRISIL और ICRA दोनों से AAA रेटिंग प्राप्त हुई है।

सामाजिक प्रभाव बांड (एसआईबी) के बारे में:

- सामाजिक प्रभाव बांड (एसआईबी) एक परिणाम आधारित बांड होता है जहां सामाजिक क्षेत्र से संबंधित वांछित परिणाम के बाद रिटर्न का भुगतान किया जाता है। एक सामाजिक प्रभाव बांड वास्तव में एक बांड नहीं है क्योंकि पुनर्भुगतान और निवेश पर रिटर्न (आरओआई) वांछित सामाजिक परिणामों की उपलब्धि पर निर्भर हैं।
- निवेशकों व कंपनियों के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का विस्तार करने के एक तरीके के रूप में सामाजिक प्रभाव बांड में निवेश हाल के वर्षों में बढ़ा है।
- पहला सामाजिक प्रभाव बांड 2010 में सोशल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था।

सामाजिक प्रभाव बांड की विशेषताएं:

- सामाजिक प्रभाव बांड जोखिम भरा निवेश है क्योंकि वे पूरी तरह से सामाजिक परिणाम की सफलता पर निर्भर होते हैं।
- सामान्य बांड के विपरीत, सामाजिक प्रभाव बांड ब्याज दर जोखिम, पुनर्निवेश जोखिम या बाजार जोखिम जैसे चर से प्रभावित नहीं होते हैं।
- सामाजिक प्रभाव बांड की सफलता को निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि वे सामाजिक प्रभाव पर आधारित होते हैं जिसे मापना अक्सर मुश्किल होता है। इस कारण से सामाजिक प्रभाव बांड के लिए वित्तपोषण एक बहुत कठिन प्रक्रिया है।

सामाजिक प्रभाव बांड का लाभ:

- प्रोजेक्ट डेवलपर बहुत मेहनत से काम करेगा क्योंकि फंडिंग डेवलपर को तभी मिलेगी जब उनका प्रोजेक्ट अपेक्षित परिणाम देगा।
- कुल मिलाकर अच्छे सामाजिक परिणाम आधारित परियोजनाओं से लोगों को लाभ होगा।
- सुशासन और सरकारी सेवाओं पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा।
- नई फंडिंग व्यवस्था विकसित होगी जिससे सामाजिक क्षेत्र में नई फंडिंग आएगी।

भारत के पहले कौशल प्रभाव बांड के बारे में:

- स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड कौशल और रोजगार के लिए भारत का पहला विकास प्रभाव बॉन्ड है जिसका लक्ष्य चार वर्षों में 50,000 युवा भारतीयों को लाभान्वित करना है जिनमें से 60% महिलाएं होंगी।
- निजी क्षेत्र की पूंजी और विशेषज्ञता का लाभ उठाने वाले एक अभिनव परिणाम-आधारित वित्तपोषण उपकरण के रूप में, कौशल प्रभाव बॉन्ड अपना ध्यान प्रशिक्षण और प्रमाणन जैसे इनपुट से हटाकर भारत के युवाओं के लिए नौकरी प्लेसमेंट तथा प्रतिधारण जैसे परिणामों पर केंद्रित करता है।
- इसका उद्देश्य ज्ञान के आदान-प्रदान, साक्ष्य और डेटा उत्पादन तथा अच्छी प्रथाओं को मुख्यधारा में लाने के माध्यम से भारत की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की क्षमता को मजबूत करना भी है।

आगे की राह:

नाबार्ड द्वारा इस सामाजिक प्रभाव बांड को सफलतापूर्वक जारी करना सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेशों में बढ़ती रुचि को रेखांकित करता है जो ग्रामीण और कृषि विकास पहलों का समर्थन करने के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

3 वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3% रहने की संभावना- विश्व बैंक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक के भारत विकास अपडेट में कहा गया है कि भारत (जो दक्षिण एशिया क्षेत्र का एक बड़ा आर्थिक भागीदार है) की 2023-24 में विकास दर 6.3 प्रतिशत रहने की संभावना है।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- रिपोर्ट में क्षेत्रीय विकास अनुमानों को साझा करते हुए कहा गया है कि 2023-24 के दौरान कृषि क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत, उद्योग में 5.7 प्रतिशत और सेवाओं में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।
- रिपोर्ट में खाद्य पदार्थों की कीमतें सामान्य होने और सरकारी उपायों से प्रमुख वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलने से इसके धीरे-धीरे कम होने की उम्मीद जतायी गयी है।
- इस वित्तीय वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत पर रहने की उम्मीद है।
- वित्त वर्ष 2024 में राजकोषीय समेकन जारी रहेगा तथा केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत से घटकर 5.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।
- रिपोर्ट में सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद के 83 प्रतिशत पर स्थिर होने की उम्मीद जतायी गयी है।
- इस वित्त वर्ष चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है। इसे विदेशी निवेश द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करके बड़े विदेशी भंडार द्वारा समर्थित किया जाएगा।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण इलाकों में महिलायें नौकरियों में पुरुषों की तुलना में पीछे है।
- शहरी श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) में पिछले वर्ष की तुलना में पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 1.4 तथा 2.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) पर प्रभाव:

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) की संपत्ति के गुणवत्ता में सुधार जारी रहेगा और उच्च ऋण वृद्धि, फिसलन में गिरावट, बेहतर वसूली तथा खराब ऋणों का निपटान किया जायेगा।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि सकल अग्रिमों के अनुपात के रूप में एससीबी की सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) मार्च 2022 में 5.9 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2023 तक निचले स्तर 3.9 प्रतिशत पर पहुंच गई।

दक्षिण एशिया की वृद्धि दर:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में इस वर्ष 5.8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है जो दुनिया के किसी भी अन्य विकासशील क्षेत्र की तुलना में अधिक है, लेकिन महामारी से पहले की गति से धीमी है और अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है।
- भारत में मजबूत आंकड़ों के कारण 2023 में विकास दर के 0.2 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई है।

आगे की राह:

निजी खपत इस वर्ष 5.9 फीसदी से बढ़कर अगले वर्ष 6 फीसदी और 2025-26 में 6.4 फीसदी हो जाएगी तथा सरकारी खपत इस वर्ष के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर अगले दो वर्षों में 5.1 प्रतिशत और 5.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।

4 शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर गिरकर 6.6% रही- सांख्यिकी मंत्रालय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के त्रैमासिक बुलेटिन के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में शहरी बेरोजगारी दर गिरकर 6.6 प्रतिशत हो गई।

सर्वेक्षण से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल-जून 2020 में 15-29 वर्ष आयु वर्ग

की शहरी महिलाओं और पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर क्रमशः 36 तथा 34.3 प्रतिशत थी।

- शहरी बेरोजगारी दर 15 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर अप्रैल-जून तिमाही में घटकर 5.9 प्रतिशत हो गई जो पिछली तिमाही में 6.0 प्रतिशत और एक साल पहले की अवधि में 7.1 प्रतिशत थी।
- महिलाओं के लिए भी बेरोजगारी दर अप्रैल-जून में घटकर 9.1 प्रतिशत हो गई जो पिछली तिमाही में 9.2 प्रतिशत और एक साल पहले की अवधि में 9.5 प्रतिशत थी।
- स्व-रोजगार श्रेणियों अथवा स्वयं काम करने वाले, घरेलू उद्यम में सहायक पुरुषों और महिलाओं दोनों के रोजगार में वृद्धि हुई है।
- 15-29 वर्ष आयु वर्ग की शहरी महिलाओं और युवाओं में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून में 23.4 प्रतिशत हो गई जो पिछली तिमाही में 22.9 प्रतिशत थी।
- 15-29 वर्ष आयु वर्ग के शहरी पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर पिछली तिमाही के 15.6 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल-जून में 15.9 प्रतिशत हो गई जो अप्रैल-जून 2022 में 17.4 प्रतिशत से कम थी।

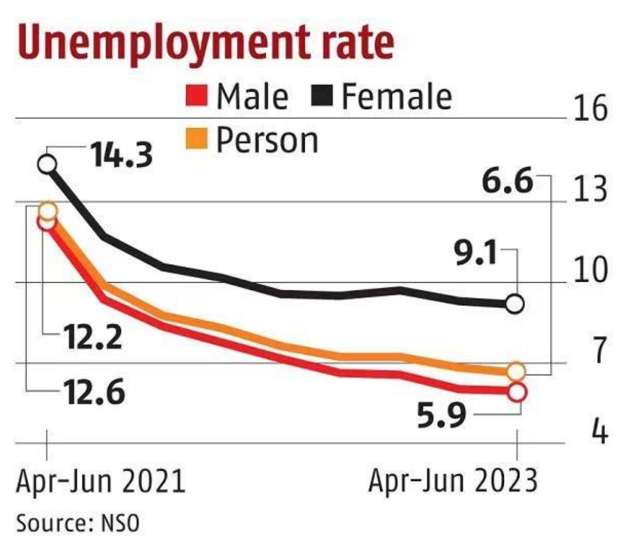

बेरोजगारी दर के कुछ अन्य आंकडे:

- हिमाचल प्रदेश(13.8 प्रतिशत), राजस्थान (11.7 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (11.2 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर (10.9 प्रतिशत) तथा केरल (10 प्रतिशत) में राष्ट्रीय औसत से अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है।
- दिल्ली (2.7 प्रतिशत), गुजरात (2.8 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (4.4 प्रतिशत), बिहार (6.1 प्रतिशत), महाराष्ट्र और हरियाणा (6.5 प्रतिशत) में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से कम है।
- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) तथा बेरोजगारी दर के प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों में शहरी क्षेत्रों में अप्रैल-जून तिमाही में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए पहले की तुलना में सुधार हुआ है।

कोविड-19 से पहले बेरोजगारी दर:

- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर महामारी से पहले की अवधि के दौरान 46.2 से 47.8 प्रतिशत तक था। अप्रैल-जून 2023 के दौरान एलएफपीआर 48.8 प्रतिशत था जो महामारी से पहले की अवधि में श्रम बल भागीदारी दर से अधिक है।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए डब्ल्यूपीआर 41.8 प्रतिशत से 44.1 प्रतिशत तक था। अप्रैल-जून 2023 के दौरान डब्ल्यूपीआर 45.5 प्रतिशत था जो महामारी से पहले की अवधि में देखे गए श्रमिक जनसंख्या अनुपात से अधिक है।
- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 7.8 प्रतिशत से 9.7 प्रतिशत तक थी।
- पहली लहर अप्रैल-जून 2020 में 15-29 वर्ष आयु वर्ग की शहरी महिलाओं तथा पुरुषों के लिए बेरोजगारी दर क्रमशः 36 और 34.3 प्रतिशत थी।

आगे की राह:

शहरी बेरोजगारी पीएलएफएस वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण पर आधारित है जिसके तहत एक व्यक्ति को बेरोजगार माना जाता है, यदि इस दौरान किसी भी दिन एक घंटे के लिए भी काम नहीं किया।

5 आरबीआई की ओपन मार्केट ऑपरेशन योजना

चर्चा में क्यों?

सिस्टम में तरलता का प्रबंधन करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की ओपन मार्केट ऑपरेशन (ओएमओ) बिक्री पर भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणा ने बांड बाजार को आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि केंद्रीय बैंक ने प्रस्ताव के लिए कोई विशिष्ट समयसीमा नहीं बताई। जवाब में, बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर उपज 12 आधार अंक बढ़कर 7.34 प्रतिशत हो गई क्योंकि बाजार में तरलता के मजबूत होने की उम्मीद है।

इसने बाजारों को आश्चर्यचकित क्यों किया?

- आगामी त्यौहारी सीजन में तरलता में कमी आ सकती है। हालाँकि, ओपन मार्केट ऑपरेशन जैसे आरबीआई के अलग-अलग दृष्टिकोण ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।
- आरबीआई द्वारा ओएमओ की अप्रत्याशित घोषणा और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण तथा वित्तीय स्थिरता चिंताओं के अनुरूप अधिक सक्रिय तरलता प्रबंधन की ओर बदलाव बाजारों के लिए एक आश्चर्य के रूप में सामने आया। इस अनिश्चितता और दृष्टिकोण में बदलाव के कारण बाजार सहभागियों को अपनी अपेक्षाओं और रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा।

आरबीआई का ओपन मार्केट ऑपरेशंस पर जोर क्यों?

- खुदरा मुद्रास्फीति मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित सहनीय सीमा से ऊपर है। यह रुख मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर स्थिर रखने के केंद्रीय बैंक के लक्ष्य के अनुरूप है। हालांकि आरबीआई का

मानना है कि केवल मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा के ऊपरी बैंड (6 प्रतिशत पर) से नीचे रखना अपर्याप्त है, इसलिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण आवश्यक है।

- आरबीआई को मौद्रिक नीति के रुख के अनुरूप तरलता का प्रबंधन करने के लिए ओएमओ बिक्री पर विचार करना पड़ सकता है। हालाँकि ऐसे परिचालनों का समय और मात्रा तरलता की स्थितियों पर निर्भर करेगा।

ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) के बारे में:

- ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) उन उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति और तरलता स्थितियों को विनियमित करने के लिए करता है।
- ओएमओ खुले बाजार में आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और ट्रेजरी बिल (टी-बिल) की बिक्री तथा खरीद हैं। जब आरबीआई सिस्टम में तरलता लाना चाहता है, तो वह बाजार से जी-सेक और टी-बिल खरीदता है जिससे धन की आपूर्ति बढ़ती है। इसके विपरीत जब आरबीआई सिस्टम से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना चाहता है, तो वह बाजार में जी-सेक और टी-बिल बेचता है जिससे धन की आपूर्ति कम हो जाती है।

आगे की राह:

हालाँकि आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन की घोषणा की है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बैंक की ओर से इस प्रकार के उपायों की घोषणा करने का यह सही समय नहीं है। बाजार अपनी क्षमता के साथ संचालन नहीं कर रहा है, ऐसे में इससे वित्तीय बाजार को नुकसान हो सकता है जो निवेश और उत्पादन में गिरावट का कारण बन सकता है।

6 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जुलाई 2022 से जून 2023 के दौरान किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर एनएसएसओ द्वारा छठी वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति:

- ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 50.7% से बढ़कर 2022-23 में 60.8% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 47.6% से बढ़कर 50.4% हो गई।
- भारत में पुरुषों के लिए एलएफपीआर 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2022-23 में 78.5% हो गया, जबकि महिलाओं के लिए एलएफपीआर में वृद्धि 23.3% से बढ़कर 37.0% हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 48.1% से बढ़कर 2022-23 में 59.4% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 43.9% से बढ़कर 47.7% हो गया।
- भारत में पुरुषों के लिए WPR 2017-18 में 71.2% से बढ़कर 2022-23 में 76.0% हो गया, जबकि महिलाओं के लिए WPR में वृद्धि 22.0% से बढ़कर 35.9% हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18 में 5.3% से घटकर 2022-23 में 2.4% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 7.7% से घटकर 5.4% हो गई।
- भारत में पुरुषों के लिए यूआर 2017-18 में 6.1% से घटकर 2022-23 में 3.3% हो गया और महिलाओं के लिए यूआर में कमी 5.6% से 2.9% हो गई।

15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति:

- ग्रामीण क्षेत्रों में एलएफपीआर 2017-18 में 48.9% से बढ़कर 2022-23 में 56.7% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 47.1% से बढ़कर 49.4% हो गया।
- भारत में पुरुषों के लिए एलएफपीआर 2017-18 में 75.1% से बढ़कर 2022-23 में 77.4% हो गया, जबकि महिलाओं के लिए एलएफपीआर में वृद्धि 21.1% से बढ़कर 31.6% हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में WPR 2017-18 में 44.8% से बढ़कर 2022-23 में 54.2% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 42.6% से बढ़कर 46.0% हो गया।
- भारत में पुरुषों के लिए WPR 2017-18 में 68.6% से बढ़कर 2022-23 में 73.5% हो गया, जबकि महिलाओं के लिए WPR में वृद्धि 19.2% से बढ़कर 30.0% हो गई।
- ग्रामीण क्षेत्रों में यूआर 2017-18 में 8.4% से घटकर 2022-23 में 4.4% हो गया, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए यह 9.5% से घटकर 7.0% हो गया।
- भारत में पुरुषों के लिए यूआर 2017-18 में 8.7% से घटकर 2022-23 में 5.1% हो गया, जबकि महिलाओं के लिए यूआर में कमी 9.0% से घटकर 5.1% हो गई।

इन संकेतकों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है?

- **श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर):** एलएफपीआर को जनसंख्या में श्रम बल (यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या उपलब्ध होने वाले) व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर):** डब्ल्यूपीआर को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **बेरोजगारी दर (यूआर):** यूआर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।
- **गतिविधि की स्थिति-** किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधियों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
- **गतिविधि स्थिति-सामान्य स्थिति:** जब गतिविधि की स्थिति सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 365 दिनों की संदर्भ अवधि

के आधार पर निर्धारित की जाती है, तो इसे व्यक्ति की सामान्य गतिविधि स्थिति के रूप में जाना जाता है।

- **गतिविधि स्थिति- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस):** सर्वेक्षण की तारीख से पहले पिछले 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर निर्धारित गतिविधि स्थिति को व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के रूप में जाना जाता है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में:

- अधिक नियमित समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्त्व को पहचानते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण शुरू किया।

पीएलएफएस का उद्देश्य:

- केवल 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (सीडब्ल्यूएस) में शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीने के छोटे समय अंतराल पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतक (जैसे श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर तथा बेरोजगारी दर) का अनुमान लगाना।
- वार्षिक रूप से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 'सामान्य स्थिति' (पीएस+एसएस) तथा सीडब्ल्यूएस दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।

7 भारत में चाय उद्योग

चर्चा में क्यों?

भारतीय चाय संघ (आईटीए) ने अपने स्टेटस पेपर 'चाय परिदृश्य 2023' में कहा कि यह उद्योग गंभीर वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है, जहां उत्पादन की बढ़ती कीमतें लागत के साथ तालमेल नहीं बना पा रही हैं।

आईटीए ने क्या कहा?

- आईटीए ने कहा कि पिछले दशक में जहां चाय की कीमतें लगभग 4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ीं, वहीं इसी अवधि के दौरान कोयला और गैस जैसे महत्त्वपूर्ण इनपुट की लागत 9-15% की सीएजीआर से बढ़ी।
- छोटे चाय उत्पादकों के उद्भव के बाद उत्पादन में तेजी से वृद्धि के परिणामस्वरूप सिस्टम में अधिशेष चाय बची हुई है क्योंकि घरेलू खपत और निर्यात इसे अवशोषित नहीं कर सके हैं।
- ईरान के निर्यात में गिरावट आई है।
- निर्यात परिदृश्य गंभीर है क्योंकि ईरान को शिपमेंट (जो भारत से कुल चाय निर्यात का लगभग 20% है) भेजने की प्रक्रिया विचाराधीन है। इसका कारण भुगतान संबंधी समस्याएं हैं जिससे निर्यातकों पर वित्तीय दबाव पड़ रहा है।

भारत में चाय उद्योग के बारे में:

- भारत विश्व स्तर पर चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मजबूत भौगोलिक संकेत, चाय प्रसंस्करण इकाईयों में भारी निवेश, निरंतर नवाचार, उन्नत उत्पाद मिश्रण और रणनीतिक बाजार विस्तार के कारण भारतीय चाय दुनिया की बेहतरीन चायों में से एक है।
- भारत का उत्तरी भाग सबसे बड़ा उत्पादक है जो 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% हिस्सा है जिसमें अधिकांश उत्पादन असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल से आता है।
- भारत का दक्षिणी भाग देश के कुल उत्पादन का लगभग 17% उत्पादन करता है जिसमें प्रमुख उत्पादक राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हैं।
- भारत दुनिया के शीर्ष 5 चाय निर्यातकों में से एक है जिसका कुल निर्यात में लगभग 10% योगदान है।
- भारत दुनिया भर के 25 से अधिक देशों को चाय निर्यात करता है। रूस, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन भारत से चाय के कुछ प्रमुख आयातक हैं।

सरकार की पहलें:

- भारतीय निर्यातकों को विदेशी बाजारों में भारतीय मूल की चाय बेचने में मदद करने के लिए, भारतीय चाय बोर्ड ने एक योजना शुरू की ताकि भारतीय मूल की पैकेज्ड चाय को बढ़ावा दिया जा सके। यह योजना प्रचार अभियानों में सहायता करती है एवं लागत का 25% तक प्रतिपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंट स्टोर में प्रदर्शन, उत्पाद साहित्य और वेबसाइट विकास तथा निरीक्षण शुल्क 25% तक प्रतिपूर्ति करता है।

चाय विकास एवं संवर्धन योजना:

- यह योजना भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नवंबर 2021 में 2021-26 की अवधि के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य भारत में चाय उत्पादन की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना है।

भारतीय चाय बोर्ड के बारे में:

- भारत में चाय उद्योग के विकास के लिए 1953 में भारतीय चाय बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसने 1954 में कार्य करना शुरू किया। यह बोर्ड कोलकाता में स्थित है और पूरे भारत में इसके 17 कार्यालय हैं। नियामक संस्था होने के नाते बोर्ड चाय अधिनियम के तहत अधिसूचित विभिन्न नियंत्रण आदेशों के माध्यम से उत्पादकों, निर्माताओं, निर्यातकों, चाय दलालों, नीलामी आयोजकों और गोदाम मालिकों पर नियंत्रण रखता है। बोर्ड की जिम्मेदारियां उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाना, चाय की गुणवत्ता में सुधार करना, बागान श्रमिकों के लिए कल्याण उपायों को बढ़ावा देना तथा अनुसंधान और विकास का समर्थन करना है।

आगे की राह:

चाय उद्योग में सुधार के लिए यह आवश्यक है कि सरकार उच्च गुणवत्ता वाली चाय जैसे सीटीसी, ऑर्थोडॉक्स और दार्जिलिंग चाय के लिए आरओडीटीईपी (निर्यात उत्पादों पर कर्त्तव्यों या करों में छूट) प्रोत्साहन सीमा को बढ़ाने पर विचार करे जिससे चाय उत्पादकों को उचित लाभ मिल सके।

1 अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के बीच दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के एक रिपोर्ट से पता चला है कि वायु प्रदूषण में कमी के बावजूद दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है। शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से पांच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में हैं, जबकि दो बिहार, तीन शहर असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में हैं।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बातें:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि असम में नलबाड़ी, बंगाल में आसनसोल और मध्य प्रदेश में ग्वालियर शीर्ष 10 में शामिल 3 सबसे प्रदूषित शहर हैं।
- एनसीआर में दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ ने सूची में शीर्ष पांच स्थान हासिल किए जिसके बाद बिहार में पटना और मुजफ्फरपुर रहे।
- रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में देश में सबसे अधिक PM2.5 स्तर 100.1 μg/m3 दर्ज किया गया है।
- पटना में हवा की गुणवत्ता में 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गयी है जो 80.7 μg/m3 से बढ़कर 99.7 μg/m3 हो गई।
- आसनसोल (47.7 μg/m3 से 74 μg/m3) और ग्वालियर (43.1 μg/m3 से 71.8 μg/m3) में भी खराब स्थिति दर्ज की गयी है।
- दिल्ली में PM2.5 का स्तर 10 प्रतिशत, फरीदाबाद में 17 प्रतिशत, नोएडा में 24 प्रतिशत, गाजियाबाद में 27 प्रतिशत, मेरठ में 22 प्रतिशत और मुजफ्फरपुर में 14 प्रतिशत तक रहा।
- पटना में 31 प्रतिशत, आसनसोल में 39 प्रतिशत और ग्वालियर में 29 प्रतिशत तक पीएम 2.5 का स्तर बढ़ गया जो हवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय गिरावट का संकेत है।

सर्दियों के दौरान हवा की गुणवत्ता:

- दिल्ली में अक्टूबर से मार्च के महीनों में वायु प्रदूषण सबसे अधिक था जिसका प्रमुख कारण ठंडा तापमान, कम बारिश, पटाखे फोड़ना और पराली जलाना आदि माना गया है।
- भारत की छह प्रमुख राजधानियां जिन्हें वायु गुणवत्ता चुनौतियों के लिए जाना जाता है, उनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, लखनऊ और पटना शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, पिछली सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक एनसीआर में दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में 2021 की इसी अवधि के आंकड़ों की तुलना में PM2.5 का स्तर गिर गया।

सबसे स्वच्छ हवा वाले शीर्ष शहर:

- सबसे स्वच्छ हवा वाले भारत के 10 शहरों की सूची में मिजोरम की राजधानी आइजोल शीर्ष पर है यहाँ पर PM2.5 की सांद्रता 11 μg/m3 थी। इसके बाद कर्नाटक में चिक्कमगलुरु (17.6 μg/m3) और हरियाणा में मांडीखेड़ा (17.7 μg/m3) है।

आगे की राह:

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा दिल्ली के आसपास परिधीय राजमार्गों, हाइपरलोकल विकास जैसे उपाय पर्यावरण की दिशा में सकारात्मक कार्य हैं। एयरशेड दृष्टिकोण के माध्यम से वायु की गुणवत्ता में निरंतर सुधार एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

2 सरना धार्मिक कोड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासियों के लिए 'सरना धार्मिक कोड' को मान्यता देने की मांग की गयी है पिछले आठ दशकों में राज्य में आदिवासियों की आबादी 38% से घटकर 26% हो गई है। इनकी जनसंख्या में गिरावट से संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत आदिवासी विकास की नीतियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

सरना धर्म के बारे में:

- सरना धर्म को मानने वाले स्वयं को एक धार्मिक समूह से संबंधित मानते हैं।
- सरना कोड की मान्यता यह सुनिश्चित करती है कि प्रकृति पूजक आदिवासी समुदाय अपनी पहचान को बनाये रखने की माँग करें।
- झारखंड की एक बड़ी आबादी सरना धर्म का पालन करती है।
- इस धर्म का जीवित ग्रंथ जल, जंगल, जमीन और प्रकृति है। यहां की संस्कृति व पूजा पद्धतियां बहुत आदर्श और मान्यताएं भी सभी प्रचलित धर्मों से अलग हैं।
- इस धर्म को मानने वाले समुदाय मूर्ति पूजा नहीं करते, बल्कि जंगलों की रक्षा में विश्वास करते है तथा पेड़ों एवं पहाड़ियों की पूजा करते हैं।
- इसके अनुयायी झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और असम के आदिवासी क्षेत्रों में पाये जाते हैं।

सरना धर्म कोड क्या है?

- सरना धर्मकोड की मांग का आशय भारत में होने वाली जनगणना के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, उसमें दूसरे सभी धर्मों की तरह आदिवासियों के धर्म का जिक्र करने के लिए अलग से एक कॉलम बनाया जाए।
- जिस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग अपने धर्म का उल्लेख जनगणना के फॉर्म में करते हैं, उसी तरह से आदिवासी भी अपने सरना धर्म का उल्लेख कर सकें।

सरना धार्मिक कोड की माँग क्यों आवश्यक है?

- सरना धार्मिक कोड की मांग इसलिए उठाई जा रही है ताकि इन्हें एक अलग धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त हो सके तथा यह प्रकृति-पूजक आदिवासी समुदाय अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त

हो सके।

- सरना समुदाय की मांग उनकी सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। इस समुदाय में कई ऐसे समूह हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं और यदि उन्हें सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर संरक्षित नहीं किया गया तो उनकी भाषा और संस्कृति के साथ-साथ उनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा।

आगे की राह:

इनकी अपनी संस्कृति, संस्कार, पूजा स्थल और अलग रीति रिवाज होने के कारण आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड को लागू किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद-25 के तहत किसी भी धर्म को मानने के लिए मौलिक अधिकार धार्मिक मान्यता प्रदान करता है।

3 नोबेल पुरस्कार 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। यह पुरस्कार 6 विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शान्ति और अर्थशास्त्र का क्षेत्र शामिल है। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में दिए गए थे।

अल्फ्रेड नोबेल के बारे में:

- अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर, 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। ये एक स्वीडिश रसायनज्ञ, इंजीनियर और उद्योगपति थे जिन्होंने डायनामाइट विस्फोटक का आविष्कार किया था।
- अलफ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में इस पुरस्कार का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि उनकी संपत्ति के अधिकांश हिस्से को एक फंड के रूप में रखा जाए और उसके वार्षिक ब्याज से मानवजाति के लिए उत्कृष्ट योगदान देने वालों को पुरस्कृत किया जाए।

नोबेल पुरस्कार 2023 के मुख्य बिंदु:

भौतिकी:

- तीन वैज्ञानिकों पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस्ज और ऐनी एलशहुइलियर को उनके प्रयोगात्मक खोज के लिए प्रदान किया गया।
- इन्होंने पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज किया है।
- यह इलेक्ट्रॉन गतिशीलता परमाणुओं और ठोस पदार्थों के भीतर इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार तथा गति के अध्ययन और समझ को संदर्भित करती है।

रसायन विज्ञान:

- क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मौंगी जी बावेंडी, लुईस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
- क्वांटम डॉट्स लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स, छोटे सेंसर, पतले सौर सेल और एन्क्रिप्टेड क्वांटम संचार में योगदान दे सकते हैं।
- क्वांटम डॉट्स नैनोस्केल कण होते हैं जिनका आकार आमतौर पर 1 से 100 नैनोमीटर तक होता है।
- क्वांटम डॉट्स प्रकाश उत्सर्जित करके एलईडी लैंप, टेलीविजन स्क्रीन, सर्जरी के दौरान ट्यूमर के ऊतकों को रोशनी जैसे डिस्प्ले की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं।

चिकित्सा:

- यह पुरस्कार हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटलिन कारिको और अमेरिकी चिकित्सक-वैज्ञानिक ड्रू वीसमैन को दिया गया है।
- यह पुरस्कार न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोजों के लिए प्रदान किया गया है जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों के विकास को सक्षम बनाया है।
- डेंड्राइटिक कोशिकाएं (जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं) इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए को विदेशी के रूप में पहचानने की क्षमता थी जिससे सूजन संबंधी प्रतिक्रिया शुरू हो गई।
- इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए एक प्रकार का सिंथेटिक आरएनए है जिसे प्रयोगशाला में डीएनए टेम्पलेट और आरएनए पोलीमरेज का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है।

शांति:

- इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार ईरानी महिला अधिकार कार्यकर्ता नर्गेस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु प्रदान किया गया।
- ये एक महिला मानवाधिकार वकील और एक स्वतंत्रता की पक्षधर रही हैं।

साहित्य:

- मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले अनकही की आवाज जॉन फॉसे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिये साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- इनकी महत्त्वपूर्ण कृतियां 'ए न्यू नेम: सेप्टोलॉजी VI-VII', 'आई एम द विंड', 'मेलानचोली', 'बोटहाउस' और 'द डेड डॉग्स' हैं।
- जॉन फॉसे को उनकी लेखन शैली 'फॉसे मिनिमलिज्म' के लिए जाना जाता है।

अर्थशास्त्र:

- प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई।
- गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं।
- गोल्डिन ने पिछले 200 वर्षों में श्रम बाजार में महिलाओं की भागीदारी, पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन अंतर कम होने पर प्रकाश डाला है जहां उच्च आय वाले देशों में कई महिलाएं पुरुषों की तुलना में बेहतर शिक्षित होने की संभावना रखती हैं।
- यह पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन को 1968 में बैंक की 300वीं

वर्षगांठ पर स्वेरिजेस रिक्सबैंक (स्वीडन का केंद्रीय बैंक) से प्राप्त दान पर आधारित है।

आगे की राह:

1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत मानव समुदाय में विश्वास से प्रेरित थी। शांति पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाना था जिसने 'राष्ट्रों के बीच भाईचारे, स्थायी सेनाओं को समाप्त करने या कम करने और शांति कांग्रेस के आयोजन और प्रचार' के लिए सबसे अधिक काम किया हो। जरूरत है कि इस पुरस्कार को समावेशी एवं समानता आधारित उत्कृष्टता पर प्रदान किया जाना चाहिए जिससे नोबेल पुरस्कार के प्रति लोगों का विश्वास बना रहे।

4 वाघ नख

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्रालय द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रसिद्ध 'वाघ नख' को वापस लाने के लिए लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हथियार को तीन वर्ष की अवधि के लिए महाराष्ट्र सरकार को सौंपा जाएगा जिसे राज्य के संग्रहालयों में प्रदर्शित किया जाएगा।

वाघ नख क्या है?

- वाघ नख का शाब्दिक रूप 'बाघ के पंजे' से है जो एक मध्ययुगीन पंजे जैसा खंजर है जिसका उपयोग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किया जाता था।
- वाघ नख में चार पंजे होते हैं जो एक पट्टी पर लगे होते हैं, साथ ही पहली और चौथी उंगलियों के लिए दो छल्ले होते हैं।
- इस हथियार को पोर (Knuckles) पर फिट करने या हथेली के नीचे छुपाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस हथियार में चार या पांच घुमावदार ब्लेड होते थे जो एक दस्ताने या पट्टी से जुड़े होते थे।
- यह व्यक्तिगत सुरक्षा या गुप्त हमले के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार था जो आसानी से त्वचा और मांस को काट सकता था।

शिवाजी का वाघ नख से संबंध:

- वाघ नख का प्रयोग शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या की कहानी से सम्बंधित है। अफजल खान बीजापुर के आदिल शाही सल्तनत का सेनापति था।
- शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के पूर्व जागीरदार थे, लेकिन 1650 के दशक में उन्होंने बगावत करके कोंकण का किला और आदिल शाही क्षेत्र के बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लिया।
- अफजल खान ने कोंकण में मार्च किया और शिवाजी से मिलने की मांग की जिसमें शिवाजी को विश्वासघात का आभास हो गया जिससे वे अपने लबादे के नीचे एक चेनमेल पहनकर अपनी आस्तीन में वाघ नख छिपाकर बैठक के लिए तैयार हुए थे।
- बैठक के दौरान अफजल खान ने गले लगाने की आड़ में शिवाजी को चाकू मारने का प्रयास किया, लेकिन शिवाजी अपने कवच से सुरक्षित रहे और जवाबी कार्यवाही में वाघ नख से उनकी आंतें फाड़ दीं। अंततः शिवाजी के एक आदमी द्वारा अफजल खान का सिर काट दिया गया जिसके बाद शिवाजी की सेना जीत गयी।

वाघ नख लंदन कैसे पहुंचा?

- यह हथियार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स ग्रांट डफ (1789-1858) द्वारा ब्रिटेन लाया गया था। डफ 1818-22 तक सतारा राज्य के कंपनी रेजिडेंट (राजनीतिक एजेंट) थे।
- यह भी कहा जाता है कि यह हथियार उन्हें तब प्रदान किया गया होगा जब मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय ने तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध में हार के बाद जून 1818 में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था।

आगे की राह:

छत्रपति शिवाजी के वंशज शिवाजी चतुर्थ ने हीरे और माणिक से जड़ी तलवार 'जगदंबा' अल्बर्ट एडवर्ड को भेंट की थी जो वेल्स के राजकुमार थे और बाद में 1875-76 में किंग एडवर्ड सप्तम के रूप में सिंहासन पर बैठे थे।

5 एशियाई खेल 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 19वें एशियाई खेल का समापन हांगझू (चीन) में हुआ जो मूल रूप से 2022 में आयोजित होने वाला था, परन्तु COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था।

19वें एशियाई खेल के बारे में:

- हांग्जो और पांच सह-मेजबान शहरों में 54 प्रतियोगिता स्थलों पर कुल 40 खेल और 61 विषय केंद्र स्तर पर हुए।
- चेन्चेन, कांगकॉन्ग और लियानलियन हांग्जो एशियाई खेलों के रोबोट शुभंकरों का एक समूह थे जो शहर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तिकड़ी को 'मेमोरीज ऑफ जियांगन' कहा जाता है जिसका नाम बाई जुई की एक कविता से लिया गया है।
- 19वें एशियाई खेलों की मशाल को 'अनन्त ज्वाला' नाम दिया गया था जिसका डिजाइन लगभग 5,000 साल पुरानी लियांगझू संस्कृति से प्रेरित था जो चीनी सभ्यता की लंबी उम्र का प्रमाण है।
- ईस्पोर्ट्स और ब्रेकिंग (ब्रेकडांस) मान्यता प्राप्त तथा आधिकारिक खेल आयोजनों के रूप में अपनी शुरुआत करने वाले हैं।
- भारत ने एशियाई खेल 2023 में 28 स्वर्ण पदक सहित 107 पदक जीते जिससे यह महाद्वीपीय बहु-खेल प्रतियोगिता में जीते गए पदकों की कुल संख्या के मामले में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
- भारत एशियाड के इस संस्करण में चार अलग-अलग स्पर्धाओं (तीरंदाजी, क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी) में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने में भी कामयाब रहा।

- पदक तालिका में शीर्ष चार देशों में चीन, जापान, कोरिया गणराज्य और भारत शामिल है।

एशियाई खेलों के बारे में:

- एशियाई खेल एशिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन है जो हर चार साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इनका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) द्वारा किया जाता है।
- एशियाई खेलों का प्रतीक रिंग वाला उगता हुआ सूरज है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किये गये थे।

विनियमन:

- एशियाई खेलों को 1951 से 1978 तक एशियाई खेल महासंघ द्वारा विनियमित किया गया था। 1982 से एशियाई ओलंपिक परिषद एशियाई खेलों को नियंत्रित करती है।

मेजबान के रूप में भारत:

- भारत एशियाई खेलों का संस्थापक सदस्य है और पहले एशियाई खेलों का मेजबान भी है।
- एशियाई खेलों का 9वां संस्करण नवंबर और दिसंबर 1982 में नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया था।

आगे की राह:

पिछले कुछ वर्षों में भारत में खेल संस्कृति के प्रति रूझान तेजी से बढ़ा है जिसका एशियाई खेलों में सार्थक परिणाम सामने आया है। खेलो इंडिया जैसे कई पहलें भारत में खेल संस्कृति का वाहक बन गई हैं जो भविष्य में खेल संस्कृति में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अच्छा संकेत है।

6 वैश्विक भूख सूचकांक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2023 में भारत को 125 देशों में से 111वां स्थान मिला है। भारत के पड़ोसी देशों जिनमें पाकिस्तान (102वां), बांग्लादेश (81वां), नेपाल (69वां), और श्रीलंका (60वां) शामिल हैं, ने सूचकांक में तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है।

सूचकांक के बारे में:

- इसे प्रतिवर्ष कंसर्न वर्ल्डवाइड और वेल्थुंगरहिल्फे (Welthungerhilfe) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया जाता है।
- इसमें 0 सबसे अच्छा (कोई भूख नहीं) स्कोर, जबकि 100 सबसे खराब माना जाता है।
- वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर पर भूख को व्यापक रूप से माप कर रिपोर्ट जारी करता है।
- इसका उद्देश्य दुनिया भर में भूख को कम करने के लिए कार्यवाही शुरू करना है।

सूचकांक में संकेतक:

- **चाइल्ड वेस्टिंग-** पांच साल से कम उम्र के बच्चों का वजन उनकी लंबाई से कम होता है।
- **बच्चों का बौनापन-** पांच साल से कम उम्र के उन बच्चों का हिस्सा जो अपनी उम्र के हिसाब से छोटे हैं।
- **बाल मृत्यु दर-** पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जांच करना।

– India's hunger reality –

In the 2023 Global Hunger Index, **India ranks 111th** out of 125 countries. India has the world's **highest child wasting rate** at **18.7%,** indicating severe undernutrition. Additionally, **16.6% of the population** is **undernourished.** Women aged 15 to 24 years face a high prevalence of **anaemia at 58.1%.**

WITH A SCORE OF 28.7 IN THE 2023 GLOBAL HUNGER INDEX, INDIA'S LEVEL OF HUNGER IS IN THE 'SERIOUS' CATEGORY

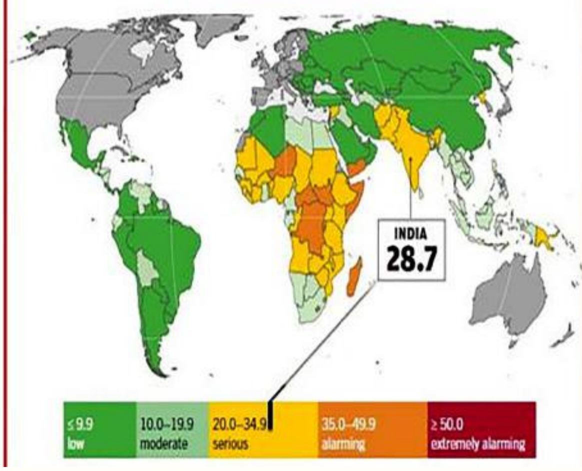

भारत का प्रदर्शन:

- रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2023 में भारत का स्कोर 28.7 है जो 'गंभीर' श्रेणी का सूचक है।
- भारत में बच्चों के कमजोर होने की दर चिंताजनक रूप से (18.7) प्रतिशत है जो गंभीर कुपोषण का संकेत देती है।
- **अल्प पोषण दर:** भारत में अल्प पोषण की दर 16.6 प्रतिशत बताई गई है जो इस मुद्दे की गंभीरता को अधिक उजागर करती है।
- **बाल मृत्यु दर:** भारत में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 3.1 प्रतिशत दर्ज की गई है।
- यह रिपोर्ट एक महत्त्वपूर्ण चिंता को उजागर करती है जिसमें 15 से 24 वर्ष की आयु की 58.1 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से प्रभावित हैं।

रिपोर्ट पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया:

- ग्लोबल हंगर इंडेक्स 'भूख' का एक त्रुटिपूर्ण मापन है जो भारत की वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करता है। सूचकांक भूख का एक गलत माप है और गंभीर पद्धति संबंधी मुद्दों से ग्रस्त है। सूचकांक की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले चार संकेतकों में से तीन बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। चौथा और सबसे महत्त्वपूर्ण संकेतक 'कुपोषित (पीओयू) जनसंख्या का अनुपात' 3000 के बहुत छोटे नमूना आकार पर किए गए एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है।

आगे की राह:

भारत की रैंकिंग भूख और अल्प पोषण को संबोधित करने में लगातार चुनौतियों को रेखांकित करती है। हालाँकि, भारत सरकार ने मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए कई प्रमुख गतिविधियों को प्राथमिकता दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'पोषण ट्रैकर' आईसीटी एप्लिकेशन विकसित और तैनात किया है। अभी तक 13.96 लाख (1. 396 मिलियन) से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र एप्लिकेशन पर पंजीकृत हैं जिससे 10.3 करोड़ (103 मिलियन) से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं जिनमें गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और किशोर लड़कियां शामिल हैं। अधिक फलदायी परिणाम के लिए पोषण संबंधी मुद्दों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता प्रदान करना समय की मांग है।

7 नये उत्पादकों को मिला जीआई टैग

चर्चा में क्यों?

पहली बार याक के दूध से बने उत्पाद 'अरुणाचल याक चुरपी' को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। सीमांत राज्य के दो अन्य अनूठे उत्पादों 'खाव ताई (खामती चावल) और तांगसा टेक्सटाइल' ने भी जीआई प्रमाणन प्राप्त किया है जो अब कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा तथा अरुणाचल को उनके मूल स्थान के साथ उनकी विपणन क्षमता बढ़ाएगा।

चुरपी के बारे में:

- चुरपी अरुणाचली याक के दूध से तैयार की जाती है जो राज्य के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में पाई जाने वाली एक अनोखी नस्ल है। इसे ब्रोकपास नाम से जाने जाने वाले आदिवासी याक चरवाहों द्वारा पाला जाता है जो गर्मियों के दौरान अपने याक के साथ ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं तथा सर्दियों में मध्य ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में उतर जाते हैं।

महत्त्व:

- अरुणाचल याक चुरपी को इसकी पोषण सामग्री, विशेष रूप से इसकी प्रोटीन सामग्री के लिए अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है।
- अरुणाचल प्रदेश के ऊबड़-खाबड़ तथा ठंडे इलाकों में (जहां वनस्पति दुर्लभ हो सकती है) चुरपी आदिवासी याक चरवाहों और उनके समुदायों के लिए प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों के एक मूल्यवान स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- इसकी पोषण संबंधी समृद्धि इसे इन चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए एक आवश्यक आहार बनाती है।
- चुरपी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दैनिक जीवन और परंपराओं में गहरा सांस्कृतिक महत्त्व रखता है।
- इसका उपयोग अक्सर पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है। इसकी तैयारी और खपत स्थानीय रीति-रिवाजों तथा अनुष्ठानों के ताने-बाने में बुनी जाती है।
- चुरपी क्षेत्र की मूर्त सांस्कृतिक विरासत का एक अभिन्न अंग है जो अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

खाव ताई (खामती चावल):

- खाव ताई, नामसाई क्षेत्र की चबाने वाली चिपचिपी चावल की किस्म है जिसकी खेती पारंपरिक खम्पती आदिवासी किसानों द्वारा की जाती है।
- जब इसे भाप में पकाया जाता है और रोल बनाकर एक पत्ते में लपेटा जाता है, तो इसे खुतुम कहा जाता है लेकिन इन सबमें सबसे अच्छा है खौपुक जो चिपचिपे चावल तथा तिल से बनाया जाता है।

तांगसा टेक्सटाइल:

- चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति द्वारा उत्पादित तांगसा कपड़ा उत्पाद अपने विदेशी डिजाइन और जीवंत रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं।
- यह पारंपरिक शिल्प कौशल क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाता है।
- चांगलांग जिले की तांगसा जनजाति के कपड़ा उत्पाद अपने आकर्षक डिजाइन और रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं।

जीआई टैग क्या है?

- जीआई टैग कुछ उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक नाम या चिह्न है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या उत्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।
- भौगोलिक संकेत बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) और 10 तथा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) पर समझौते के अनुच्छेद 22 से 24 के तहत मान्यता प्राप्त हैं।
- भारत ने ऐसे संकेतों की सुरक्षा के लिए वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 बना जो 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ।
- एक पंजीकृत जीआई 10 वर्षों के लिए वैध होता है जिसे समय-समय पर 10-10 वर्ष की अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

आगे की राह:

अरुणाचल याक चुरपी के लिए जीआई टैग न केवल एक अद्वितीय और सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण उत्पाद की मान्यता है, बल्कि विशिष्ट अरुणाचल याक नस्ल के संरक्षण को बढ़ावा देने तथा अरुणाचल प्रदेश के चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में याक चरवाहों की आजीविका का समर्थन करने का एक साधन भी है।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

20 Years of Trust

Success is Our Tradition

4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR

Offline / Online Courses

GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS

MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

Expert lectures from experienced subject specialists

Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions

Special lectures from top experts in the field

Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam

Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends

Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PCS PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC PRELIMS & MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FORTNIGHTLY AVAILABLE PERFECT 7 MAGAZINE FOR COMPREHENSIVE COVERAGE OF CURRENT AFFAIRS

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार

हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021-2022 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया है।

पुरस्कार से सम्बंधित मुख्य बातें:

- युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयों, कार्यक्रम अधिकारियों/ एनएसएस इकाईयों तथा एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में किए गए उत्कृष्ट योगदान को सराहने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है।
- वर्तमान में एनएसएस से लगभग 40 लाख स्वयंसेवक पूरे भारत में औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं।
- प्रथम पुरस्कार में 5,00,000 रुपये की राशि को एक ट्रॉफी के साथ प्रदान किया जाता है।
- दूसरे पुरस्कार में 3,00,000 लाख रुपये को एक ट्रॉफी के साथ प्रदान किया जाता है।
- प्रत्येक एनएसएस इकाई को 2,00,000 रुपये एक ट्रॉफी के साथ प्रदान किया जाता है।
- प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी को प्रमाण पत्र और रजत पदक के साथ 1,50,000 रुपये एवं स्वयंसेवक को प्रमाण पत्र और रजत के साथ 1,00,000 रुपये प्रदान किया जाता है।
- एनएसएस केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था।
- एनएसएस स्वयंसेवक नियमित शिविर संबंधी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कार्यक्रम, आर्थिक विकास गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम, आपदाओं के दौरान बचाव, राहत तथा स्वच्छता सम्बंधित गतिविधियां पर कार्य करते हैं।

भारत-बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास

हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने उमरोई (मेघालय) में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण सम्पन्न हुआ। दोनों देशों द्वारा आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रतीक है। 2009 में असम के जोरहाट में इसकी शुरुआत के साथ, इस अभ्यास के 2022 तक दस सफल अभ्यास किये जा चुके हैं।

सैन्य अभ्यास से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- इस अभ्यास को 14 दिनों तक आयोजित किया गया जिसमें 350 कर्मी शामिल हुए। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ाने, सामरिक अभ्यास साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है।
- बांग्लादेश की टुकड़ी में 170 कर्मी शामिल हुए जिनका नेतृत्व 52वें बांग्लादेश इन्फैंट्री के द्वारा किया गया।
- भारतीय दल से मुख्य रूप से राजपूत रेजिमेंट की बटालियन के सैनिक शामिल हुए।
- प्रत्येक दल से 20 अधिकारी कमांड पोस्ट एक्सरसाइज (CPX) में भाग लिया और गहन विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज (FTX) हुआ।
- एफटीएक्स में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल हुई जैसे बंधकों को छुड़ाना, भीड़ नियंत्रण उपाय और आतंकवाद विरोधी अभियानों में हेलीकॉप्टरों का उपयोग आदि।

22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की

हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने विधि आयोग को लिखे एक पत्र में यौन संबंधों के लिए सहमति की आयु मानदंड पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है क्योंकि हाल के समय में 16 वर्ष से अधिक उम्र की लड़कियों के प्यार में पड़ने, भागने और यौन संबंध बनाने के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 और भारतीय दंड संहिता 1860 में बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए आयोग से आयु मानदंड पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था।
- पोक्सो अधिनियम में संशोधन का सुझाव देने का भी आग्रह किया जिसमें विशेष न्यायाधीश को उन मामलों में वैधानिक न्यूनतम दंड न देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान की जाए जहां लड़की की ओर से वास्तविक सहमति स्पष्ट हो या जहां इस तरह के रिश्तों की परिणति विवाह, बच्चों के साथ या बिना बच्चों के रूप में हुई हो।
- एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में संशोधन किया गया।

- रिपोर्ट में सरकार द्वारा राष्ट्रीय हित में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिशें की गयी है।

सुपर थर्मल पावर परियोजना की पहली 800 मेगावाट इकाई राष्ट्र को समर्पित

हाल ही में एनटीपीसी के तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 1 की 800 मेगावाट की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई। यह परियोजना तेलंगाना को कम लागत वाली बिजली प्रदान करेगी जिससे राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

परियोजना के बारे में:

- यह परियोजना तेलंगाना को कम लागत वाली बिजली प्रदान करेगी जिससे राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह देश में सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल बिजली स्टेशनों में से एक होगा।
- इस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण की स्थापना पेद्दापल्ली जिले में एनटीपीसी के मौजूदा रामागुंडम स्टेशन के परिसर में 10,998 करोड़ की अनुमोदित लागत से की जाएगी।
- अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल तकनीक वाला पिट-हेड पावर स्टेशन होने के कारण यह परियोजना तेलंगाना राज्य को कम लागत वाली बिजली में भी मदद करेगी।
- यह भारत में कोयला खपत और CO2 उत्सर्जन को कम करेगा जिससे भारत में पर्यावरण के अनुकूल बिजली स्टेशनों में से एक बन जाएगा।
- यह थर्मल, हाइड्रो, सौर तथा पवन ऊर्जा संयंत्रों के विविध पोर्टफोलियो के साथ ही विश्वसनीय, सस्ती और टिकाऊ बिजली प्रदान करने के लिए समर्पित है।

भाषिनी (DIBD) और आरबीआईएच

रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) और डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन (DIBD) के बीच सहयोग किया गया है जिसमें वित्तीय सेवाओं के परिदृश्य में प्रचलित भाषा बाधाओं को खत्म करना शामिल है। यह संयुक्त प्रयासों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देने वाले नवीन समाधानों का पता लगाने और विकसित करने के लिए तैयार करना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को उनकी मातृभाषा में डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना है और सभी के लिए निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है।

डीआईआईडी के बारे में:

- डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन तथा सेक्शन 8 कंपनी के तहत एक डिवीजन है।
- भाषिनी का उद्देश्य भाषा बाधाओं को पार करने योगदानकर्ताओं, साझेदार संस्थाओं और नागरिकों के एक विविध पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना जिससे आत्मनिर्भर भारत में डिजिटल समावेशन तथा डिजिटल सशक्तीकरण सुनिश्चित हो सके।

आरबीआईएच के बारे में:

- रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) तथा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो भारतीयों के लिए आसान वित्त सक्षम करने के लिए काम करता है।
- आरबीआईएच का लक्ष्य न केवल भारतीय वित्तीय प्रणाली को मजबूत करना है, बल्कि भारत को वैश्विक वित्तीय नवाचार में सबसे आगे रखना है।

तेलंगाना में हल्दी बोर्ड का गठन

हाल ही में तेलंगाना विधानसभा ने राज्य में हल्दी किसानों की सुविधा के लिए एक 'राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड' के गठन को मंजूरी है।

मुख्य बिंदु:

- केंद्र सरकार ने हल्दी निर्यात को मौजूदा 1,600 करोड़ से बढ़ाकर 2030 तक 8,400 करोड़ प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया है।
- इसमें आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के सदस्य और तीन राज्यों के वरिष्ठ राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
- अनुसंधान में शामिल राष्ट्रीय/राज्य संस्थान, हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में सदस्य होंगे। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा बोर्ड में एक सचिव नियुक्त किया जाएगा।
- भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। वर्ष 2022-23 में भारत में 3.24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की

खेती की गई जिसमें 11.61 लाख टन का उत्पादन हुआ।

- देश में 3.24 लाख हेक्टेयर में हल्दी उगाई जाती है जिससे लगभग 11.61 लाख टन उत्पादन विश्व उत्पादन का 75% उत्पादन होता है।
- इसकी खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र में की जाती है जिसके बाद तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा है।

प्रोजेक्ट वीर गाथा

हाल ही में वीर गाथा परियोजना के तीसरे चरण में सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 1.36 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया।

प्रोजेक्ट वीर गाथा के बारे में:

- प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल (GAP) के तहत की गई थी जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों और इन बहादुर दिलों की जीवन कहानियों का विवरण प्रसारित करना था ताकि देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सके।
- यह प्रोजेक्ट स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं पर आधारित रचनात्मक परियोजनाओं/गतिविधियों को करने के लिए एक मंच प्रदान करके इस महान उद्देश्य को बढ़ाया है।
- वीर गाथा परियोजना (संस्करण-I) में 8 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया, जबकि वीर गाथा परियोजना (संस्करण-II) में 19 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर नए ध्वज का अनावरण

हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) के प्रमुख ने 91वीं वर्षगांठ के अवसर पर वायुसेना के लिए एक नए ध्वज का अनावरण किया जिसमें ध्वज के ऊपरी दाएं कोने में वायु सेना क्रेस्ट को शामिल किया गया।

मुख्य बिंदु:

- इसके लिए वायुसेना के पुराने ध्वज को उतारकर सम्मानपूर्वक वायुसेना प्रमुख को सौंपा गया। अब इस ध्वज को वायुसेना संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा।
- वायुसेना प्रमुख ने चार इकाईयों को प्रशस्ति-पत्र भी सौंपे। इनमें 16 स्क्वाड्रन, 142 हेलीकॉप्टर यूनिट, 901 सिग्नल यूनिट और 3 बेस रिपेयर डिपो शामिल हैं।
- इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि वायुसेना की शक्ति शांति काल तथा युद्ध काल-दोनों में उपयोगी होती है। इसके लिए हमें नई तकनीकों को अपनाते रहना होगा ताकि हम उभरती चुनौतियों का मुकाबला कर सकें।
- पुराने रॉयल इंडियन एयर फोर्स (RIAF) एनसाइन में ऊपरी बाएं कैंटन में यूनियन जैक और फ्लाई साइड पर आरआईएएफ राउंडेल (लाल, सफेद और नीला) शामिल था।
- नए IAF क्रेस्ट का राष्ट्रीय प्रतीक है जिसके शीर्ष पर अशोक स्तम्भ और उसके नीचे देवनागरी में 'सत्यमेव जयते' लिखा है।
- अशोक स्तम्भ के नीचे एक हिमालयी ईगल है जिसके पंख फैले हुए हैं जो भारतीय वायुसेना के लड़ने के गुणों को दर्शाता है।
- हल्के नीले रंग की एक रिंग हिमालयी ईगल को घेरती है जिस पर 'भारतीय वायु सेना' लिखा होता है, जबकि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य हिमालयन ईगल के नीचे सुनहरे देवनागरी में अंकित होता है।

एएसआई की प्रायोगिक उपहार दुकान योजना

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) अपने स्मारकों में उपहार की दुकानें स्थापित करने की योजना बना रहा है जिससे सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों को स्मारकों के साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलेगा।

मुख्य बिंदु:

- इसका मुख्य उद्देश्य विरासत स्मारकों के प्रति रुचि पैदा करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए स्मृति चिन्हों का लाभ उठाने का है।
- इच्छुक पार्टियों को प्रौद्योगिकी और ऐतिहासिक तकनीकों का उपयोग करके रोमांचक पेशकशों की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा जो क्षेत्रीय रूप से महत्त्वपूर्ण तथा विश्व स्तर पर प्रासंगिक हो।
- इसमें एक जिला एक उत्पाद उत्पादों को शामिल करने से लेकर प्राचीन और मध्यकालीन भारत के पुराने खेलों के पुनर्विकास तक, यह स्मृति चिन्हों की प्रासंगिकता का विस्तार कर सकता है।
- इससे एएसआई राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों पर उच्च गुणवत्ता वाली स्मारिका दुकानें चलाने की नीति पर विचार-विमर्श करेगा क्योंकि ऐसी

दुकानों का उद्देश्य आगंतुकों को एक ऐसा अनुभव प्रदान करना है जिससे भारत के लोग अपनी विरासत से जुड़ सकें।

- ये दुकानें रचनात्मक विचारों के लिए एक खेल के मैदान के रूप में काम कर सकती हैं जहां शिल्पकार, कारीगर, कॉर्पोरेट समूह, बुटीक निर्माता और स्टार्टअप उन वस्तुओं के निर्माण में भाग ले सकते हैं जो सीधे भारत की संस्कृति से जुड़े हैं।

शिकार, निवास स्थान से एशियाई जंगली कुत्ते-बाघ के सह-अस्तित्व का निर्धारण

हाल ही में एक नए अध्ययन में कहा गया है कि ओवरलैपिंग शिकार की उपलब्धता या आवास उपयुक्तता ढोल और बाघों के बीच सकारात्मक जुड़ाव को निर्धारित कर सकती है जिससे मांसाहारी की दो प्रजातियों के बीच सह-अस्तित्व स्थापित हो सकती है।

अध्ययन से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- एशियाई जंगली कुत्ता उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाने वाला एकमात्र लुप्तप्राय जंगली कैनिड है जिसे विलुप्त होने के उच्च जोखिम में माना जाता है।
- ढोल और बाघों के बीच सकारात्मक संबंध को शिकार की उपलब्धता या निवास स्थान की उपयुक्तता की ओवरलैपिंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- शोध में पाया गया कि ढोल की गतिविधि में तेंदुओं के साथ सबसे अधिक अस्थायी ओवरलैप था और बादल वाले तेंदुओं के साथ सबसे कम।
- यह अध्ययन मानस राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षण महत्त्व पर प्रकाश डालता है क्योंकि ढोल आबादी को निवास स्थान के नुकसान, शिकार की घटती उपलब्धता, उत्पीड़न, बीमारी और अन्य प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।

1985 के बाद से दुनिया के सबसे जोखिम भरे बाढ़ क्षेत्रों में मानव बस्ती में 122% की वृद्धि

हाल ही में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 1985 के बाद से दुनिया के सबसे जोखिम भरे बाढ़ क्षेत्रों में मानव बसावट में 122 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे बहुत अधिक लोग जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली जल आपदाओं के प्रति जागरूक हो गए हैं।

रिपोर्ट से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के समग्र निर्मित क्षेत्रों में 1985 से 2015 तक 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में 80 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
- अध्ययन में कहा गया कि जैसे-जैसे कोई देश थोड़ा अमीर होता जाता है, तो उसमें ग्रामीण से शहरी की ओर बदलाव होता है जिससे लोग देश छोड़कर शहरों में चले जाते हैं जो अक्सर जलमार्गों के पास होते हैं जहां जगह-जगह बाढ़ आ जाती है।
- यह समस्या मध्यम और निम्न आय वाले देशों में ज्यादा पायी जाती है।
- अमेरिका जैसे अमीर देशों और यूरोप के कुछ हिस्सों में बाढ़ अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक वृद्धि देखी जा रही है।
- चीन और वियतनाम ने पिछले 30 वर्षों में अपनी बसावट को तीन गुना से अधिक बढ़ाया है जो कि उनके शुष्क भूमि क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक है।

लेक लड़की (Lek Ladki) योजना

हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने लड़कियों के सशक्तीकरण के लिए लेक लाडकी योजना लागू की है। इसके तहत लड़कियों को 1 लाख 1 हजार की राशि दी जाएगी। लड़की के जन्म के बाद उसके 18 वर्ष होने तक यह आर्थिक मदद विभिन्न चरणों में दी जाएगी।

योजना से सम्बंधित मुख्य बिंदु:

- लेक लाडकी योजना की घोषणा मार्च 2023 के बजट सत्र में की गई थी।
- यह योजना राज्य में लड़कियों के जन्म को प्रोत्साहित करके लड़कियों की जन्म दर को बढ़ाने, शिक्षा को बढ़ावा देने, मृत्यु दर को कम करने, बाल विवाह को रोकने और कुपोषण को कम करने के लिए राज्य में लड़कियों का सशक्तीकरण करेगी।
- इस योजना के तहत पीले और नारंगी राशन कार्ड धारक परिवारों की बालिकाओं को लाभ मिलेगा।
- ऐसे कार्डधारक परिवार में अगर किसी लड़की का जन्म होता है, तो 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी।
- इसके बाद जब बच्ची स्कूल जाने लगेगी तो पहली कक्षा में उसे 4,000 रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे।
- वहीं छठी में बच्ची को 6,000 रुपये की सरकारी मदद मिलेगी। ग्यारहवीं में 8,000 रुपये दिए जाएंगे।
- जब लड़की बालिग हो जाएगी तो उसे राज्य सरकार की ओर से 75 हजार रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार लड़की को कुल 1 लाख 1 हजार रुपए मिलेगें। इस योजना से राज्य की लगभग ढाई लाख लड़कियों को फायदा होगा।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक (डीजीबीआर) के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की जगह लिया है। डीजीबीआर के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले ये पुणे के कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के कमांडेंट के पद पर नियुक्त थे।
2. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सौर छतों की स्थापना के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु लखनऊ और वाराणसी में एक महीने तक चलने वाला 'हर घर सौर' अभियान शुरू किया। सरकार का लक्ष्य सौर नीति, 2022 के तहत छतों के माध्यम से 6,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है।
3. 1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी दर लागू कर दिया गया है।
4. 'स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स' में 72 स्थान की छलांग लगाते हुए भारत 47वें स्थान पर पहुंच गया है।
5. वाइस एडमिरल तरुण सोबती को नौसेना स्टाफ का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। वह एक नेविगेशन एवं डायरेक्शन विशेषज्ञ हैं। उन्होंने वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू का स्थान लिया है।
6. गृह मंत्रालय ने नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स और संबंधित गुटों को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अवैध संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों पर पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है।
7. तमिल लेखिका सिवाशंकरी को 'सरस्वती सम्मान 2023' से पुरस्कृत किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी रचना 'सूर्य वमसम' के लिए दिया गया है। उनकी यह पुस्तक 2019 में प्रकाशित हुई थी। 'सरस्वती सम्मान' साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्त्वपूर्ण सम्मान है जिसे के. के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है।
8. 'नो योर कस्टुमर (KYC)' नियमों के उल्लंघन के कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विजय शेखर शर्मा Paytm पेमेंट्स बैंक के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं।
9. 'सेतु बंधन योजना' के अंतर्गत केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में सात पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह परियोजना लगभग 118.5 करोड़ रुपए की है।
10. HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नवनीत मुनोत को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने चेयरमैन के रूप में चयनित हुए है।
11. राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी (एनएएएस) द्वारा आयोजित 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस (एएससी) कोच्चि में संपन्न हुई।
12. मिजोरम, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव अगले महीने नवम्बर में 7 से 30 तारीख के बीच कराए जाएंगे, जबकि पांचों राज्यों में मतगणना तीन दिसम्बर को होगी।
13. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके इतालवी समकक्ष गुइदो क्रोसेतो के बीच रोम में व्यापक वार्ता के बाद सैन्य साजो-सामान के सह-विकास एवं सह-उत्पादन सहित अपने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
14. तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति महामहिम डॉ. सामिया सुलुहु हसन को भारत-तंजानिया संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षवाद में सफलता हासिल करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के मानद डॉक्टरेट (मानद उपाधि) से सम्मानित किया गया।
15. वित्त मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल से 9 अक्टूबर के दौरान भारत का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (Gross Direct Tax Collection) 17.95 प्रतिशत बढ़कर 11.07 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जबकि नेट कलेक्शन में 21.82% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है। यह संग्रह वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्यक्ष कर के कुल बजट अनुमान का 52.50 प्रतिशत है।
16. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) 31 दिसंबर 2024 से पहले प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक तैनात करेगा।
17. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने के कारण रूसी ओलंपिक समिति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया है।

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

अफ्रीका का माघरेब क्षेत्र

- हाल ही में मैड्रिड में आयोजित एक सम्मेलन में यूरोपीय संसद के सदस्यों और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने यूरोपीय यूनियन के सभी देशों से अपील किया है कि मोरक्को की स्वायत्तता पहल का समर्थन किया जाए जिससे कि अफ्रीका के माघरेब क्षेत्र में स्थिरता को सुनिश्चित करके वेस्टर्न सहारा क्षेत्र में क्षेत्रीय विवाद का समाधान हो सके।
- माघरेब उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र है जिसमें अल्जीरिया, लीबिया, मार्टिनिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया शामिल हैं।
- इन देशों ने 25 साल पहले माघरेब अरब यूनियन का भी निर्माण किया था। इन देशों के उत्तर में भूमध्यसागर (मेडिटिरेनियन सी) स्थित है।

अफ्रीका का साहेल क्षेत्र

- हाल ही में अफ्रीका के साहेल क्षेत्र के भाग नाइजर में सैन्य तख्ता पलट की घटना देखी गई। साहेल क्षेत्र के अन्य देशों में भी किसी न किसी रूप में सैन्य तख्तापलट या सिविल वॉर जैसी स्थितियां समय समय पर देखी जाती रही हैं।

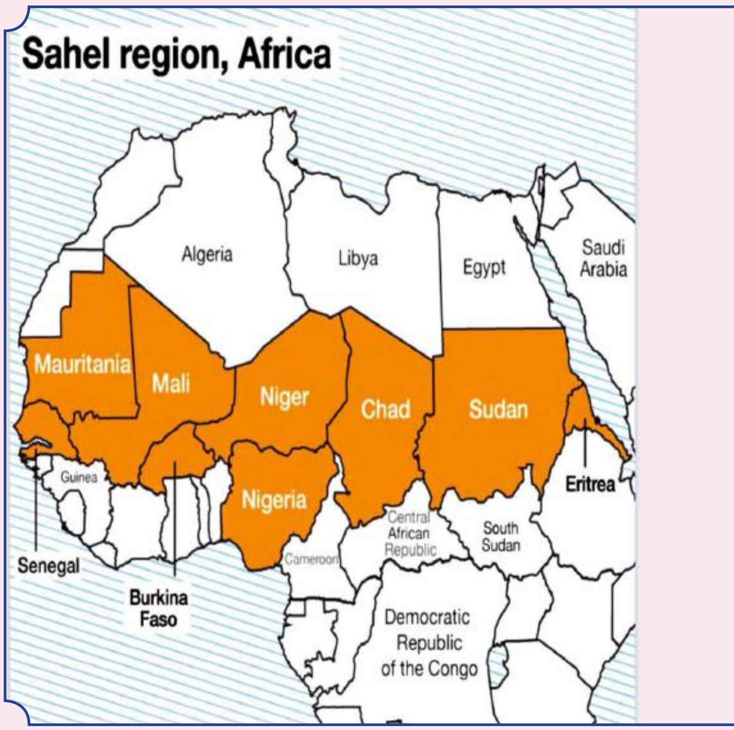

- साहेल पश्चिमी और उत्तर-मध्य अफ्रीका का एक अर्ध-शुष्क क्षेत्र (Semiarid Region) है जो पूर्व सेनेगल से सूडान तक फैला हुआ है।
- यह उत्तर में शुष्क सहाराई रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सवाना के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र का निर्माण करता है। साहेल क्षेत्र में 12 देश शामिल हैं, परन्तु साहेल क्षेत्र के राजनीतिक क्षेत्र में 10 देश (बुर्किना फासो, माली, मारटेनिया, सेनेगल, नाइजीरिया, नाइजर, गिनी, कैमरून, गाम्बिया और चाड) शामिल हैं। इस क्षेत्र में मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए अफ्रीका के ग्रेट ग्रीन वाल प्रोग्राम की शुरुआत भी की गई थी। व्यापक रूप में साहेल पश्चिम में सेनेगल से सहारा के दक्षिण तक और अफ्रीका के पूर्व में इथोपिया तक विस्तृत है।
- अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में स्थिरता लाने के उद्देश्य से सुरक्षा बल का गठन किया जा चुका है जिसके प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है कि उसे और सहायता प्रदान की जाए। साहेल क्षेत्र जिन चुनौतियों से जूझ रहा है, उनके निपटारे के लिए राजनीतिक और आर्थिक समाधानों को तलाशना अहम है।
- अफ्रीकी संघ के सुझाव और सुरक्षा परिषद से समर्थन के बाद पांच साल पहले संयुक्त बल का गठन हुआ जिसे जी5-साहेल नाम दिया गया। इसमें हिस्सा लेने वाले देशों में बुर्किना फासो, माली, मॉरिटेनिया, नाइजर और चाड शामिल हैं।
- जी5-साहेल के जरिए इस क्षेत्र में हथियारबंद गुटों से मुकाबले में समन्वयन बेहतर करने और आर्थिक विकास तथा सुरक्षा के लिए सहयोग बढ़ाने पर कार्यवाही की गई है।

लिप्टाको-गौरमा क्षेत्र

- हाल ही में तीन साहेल देशों माली, नाइजर और बुर्किना फासो के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने माली की राजधानी 'बमाको' में एक पारस्परिक रक्षा समझौते की घोषणा की। यह तीन देशों के बीच पारस्परिक रक्षा और सहायता के लिये एक रूपरेखा प्रदान करता है। लिप्टाको-गौरमा चैटर्जी के प्रावधानों के तहत इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं जिसने साहेल राज्यों के गठबंधन की स्थापना की थी। माली, बुर्किना फासो और नाइजर के बीच के सीमावर्ती क्षेत्र लिप्टाको-गौरमा क्षेत्र का हिस्सा है।

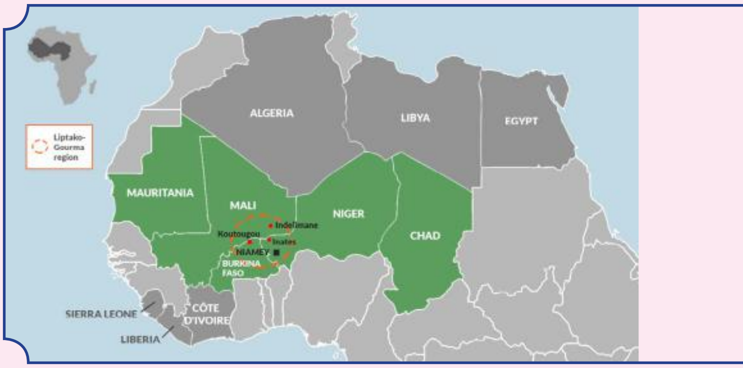

गाजा पट्टी क्षेत्र

- गाजा पट्टी, भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है जो दशकों से संघर्ष और तनाव का केंद्र बिंदु रहा है। मात्र 365 वर्ग किलोमीटर (141 वर्ग मील) क्षेत्रफल की यह संकीर्ण पट्टी, लगभग 2 मिलियन लोगों का निवास स्थल है और दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।
- गाजा पट्टी भूमध्यसागरीय बेसिन के पूर्वी भाग में स्थित है जिसकी सीमा दक्षिण-पश्चिम में मिस्र और उत्तर तथा पूर्व में इजराइल से लगती है। पश्चिम में यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है।
- गाजा पट्टी की आबादी मुख्यतः फिलिस्तीनी है जिसमें बहुसंख्यक सुन्नी मुसलमान हैं। यहां एक छोटा सा ईसाई अल्पसंख्यक भी है जो सदियों से इस क्षेत्र में रहता है।

वेस्ट बैंक:

- वेस्ट बैंक, पश्चिमी एशिया के भूमध्यसागरीय तट पर एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है जिसके पूर्व में जॉर्डन तथा मृत सागर व दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में इस्राइल स्थित है। 20वीं सदी में गाजा पट्टी फिलिस्तीन के ब्रिटिश शासनादेश का हिस्सा बनी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एक विवादित क्षेत्र बन गया। 1948 के अरब-इजरायल युद्ध के बाद गाजा मिस्र प्रशासन के अधीन आ गया जिससे फिलिस्तीनी शरणार्थी संकट शुरू हुआ। 1967 में छह दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया जो स्थिति आज भी बनी हुई है।

गोलन हाइट्स क्या है?

- गोलन हाइट्स दक्षिण-पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी क्षेत्र है। यह क्षेत्र इजरायल, लेबनान और जॉर्डन देशों के सीमा पर स्थित है। यह क्षेत्र रणनीतिक और राजनीतिक रूप से अहम है। इजरायल ने गोलन हाइट्स के 1,150 वर्ग किमी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के मुताबिक गोलन हाइट्स 1,860 वर्ग किमी का क्षेत्र है जिसमें से 1,500 वर्ग किमी पर इजरायल द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इजरायल ने 1967 में सीरिया के साथ छह दिन के युद्ध के बाद गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया था। सीरिया ने 1973 में हुए मध्य-पूर्व युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन युद्ध में इजरायल को भारी नुकसान पहुँचाने के बावजूद भी सीरिया ऐसा करने में नाकाम रहा।

प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन

योजना के बारे में

किसानों को रसायन मुक्त खेती अपनाने के लिए प्रेरित करने और प्राकृतिक खेती की पहुंच बढ़ाने के लिए, सरकार ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को 2023-24 से बढ़ाकर एक अलग और स्वतंत्र योजना के रूप में प्राकृतिक खेती हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ) तैयार किया है।

बजट

एनएमएनएफ अगले 4 वर्षों में 15,000 क्लस्टर विकसित करके 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा, जिसका कुल बजट परिव्यय रु. 1584 करोड़ (भारत सरकार द्वारा) है।

अनुसरण करने योग्य सिद्धांत

- 'विविध फसल प्रणाली' आधारित कृषि को अपनाना।
- खेतों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण।
- खेत में उत्पन्न बायोमास का पुनर्चक्रण।
- कच्चे माल के रूप में पौधे, पशु और सूक्ष्मजीव स्रोत पर आधारित स्थानीय रूप से विकसित और परिष्कृत प्रथाओं का उपयोग।
- फसल पैटर्न, स्थानीय जलवायु परिस्थितियों, ऊंचाई, मिट्टी की गुणवत्ता, कीड़ों और कीटों की गंभीरता और परिवर्तनशीलता आदि के आधार पर खेतों में नवीन प्रथाएं लगातार विकसित होती रहती हैं।

उद्देश्य

- रासायनिक इनपुट से मुक्ति, लागत में कमी तथा किसानों की आय में वृद्धि के लिए खेती की वैकल्पिक प्रणाली को बढ़ावा देना।
- देसी गाय और स्थानीय संसाधनों पर आधारित एकीकृत कृषि-पशुपालन मॉडल को लोकप्रिय बनाना।
- देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को एकत्र करना, मान्यीकरण एवं दस्तावेजीकरण करना तथा किसानों के साथ भागीदारी अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, प्रचार और प्रदर्शन के लिए गतिविधियाँ शुरू करना।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्राकृतिक खेती उत्पादों के लिए मानक, प्रमाणन प्रक्रिया और ब्रांडिंग बनाना।

प्राकृतिक खेती के लाभ

- **उपज में सुधार:** प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों ने पारंपरिक खेती के समान ही पैदावार प्राप्त की। कई मामलों में, प्रति फसल अधिक पैदावार भी प्राप्त की है।
- **सुनिश्चित बेहतर स्वास्थ्य:** चूंकि प्राकृतिक खेती में किसी सिंथेटिक रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए स्वास्थ्य जोखिम और खतरे समाप्त हो जाते हैं। भोजन में पोषण घनत्व अधिक होता है और इसलिए यह बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है।
- **पर्यावरण संरक्षण:** प्राकृतिक खेती द्वारा बेहतर मृदा जीव घनत्व, बेहतर कृषि-जैव विविधता और बहुत कम कार्बन और नाइट्रोजन फुटप्रिंट के साथ पानी का अधिक विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है।
- **किसानों की आय में वृद्धि:** प्राकृतिक खेती का उद्देश्य लागत में कमी, कम जोखिम, समान पैदावार, अंतरफसल से आय के कारण किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करके खेती को व्यवहार्य और महत्वाकांक्षी बनाना है।
- **रोजगार सृजन:** प्राकृतिक खेती इनपुट उद्यमों, मूल्य संवर्धन, स्थानीय क्षेत्रों में विपणन आदि के कारण रोजगार पैदा करती है। प्राकृतिक खेती से प्राप्त अधिशेष को गांव में ही निवेश किया जाता है।
- **पानी की खपत में कमी:** विभिन्न फसलें जो एक-दूसरे की मदद करती हैं और वाष्पीकरण के माध्यम से अनावश्यक पानी की हानि को रोकने के लिए मिट्टी को कवर करती हैं, प्राकृतिक खेती 'प्रति बूंद फसल' की मात्रा को अनुकूलित करती है।
- **उत्पादन की न्यूनतम लागत:** प्राकृतिक खेती का उद्देश्य किसानों को खेत, प्राकृतिक और घरेलू संसाधनों का उपयोग करके आवश्यक जैविक इनपुट तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करके उत्पादन लागत में भारी कटौती करना है।

प्रधानमंत्री गतिशक्ति

योजना के बारे में

पीएम गति शक्ति – मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान, मूल रूप से बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन तक ले जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

अपेक्षित परिणाम

- कनेक्टिविटी परियोजनाओं का मानचित्रण
- समग्र परिवहन कनेक्टिविटी
- प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि
- आर्थिक विकास और रोजगार

पीएम गति शक्ति का उद्देश्य

- पीएम गतिशक्ति का उद्देश्य विभागीय साइलो को तोड़ना है।
- यह बहु-मोडल कनेक्टिविटी और अंतिम-मील कनेक्टिविटी के मुद्दों को हल करने की दृष्टि से परियोजनाओं की अधिक समग्र और एकीकृत योजना तथा निष्पादित करने का प्रयास करता है।

विजन

- पीएम गति शक्ति विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं जैसे भारतमाला, सागरमाला, अंतर्देशीय जलमार्ग, शुष्क/भूमि बंदरगाह, उड़ान आदि, आर्थिक क्षेत्रों जैसे टेक्सटाइल क्लस्टर, फार्मास्युटिकल क्लस्टर, रक्षा गलियारे, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, औद्योगिक गलियारे, मछली पकड़ने के क्लस्टर, कृषि क्षेत्रों को शामिल करके कनेक्टिविटी में सुधार और भारतीय व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा।
- यह BiSAG-N द्वारा विकसित इसरो इमेजरी के साथ स्थानिक योजना उपकरण सहित बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का भी लाभ उठाएगा।

योजनाकार और उनका जनादेश

- कैबिनेट सचिव और 18 मंत्रालयों के सचिवों की अध्यक्षता में सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) का गठन किया गया है।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के रसद प्रभाग के प्रमुख समूह के सदस्य, संयोजक के रूप में शामिल हैं।
- ईजीओएस को रसद दक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के लिए अधिकृत किया गया है।
- इसे एनएमपी में बाद में कोई भी संशोधन करने के लिए रूपरेखा और मानदंड निर्धारित करने का अधिकार है।

योजना के मुख्य स्तंभ

- **व्यापकता:** इसके अंतर्गत एक केंद्रीकृत पोर्टल में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों की सभी मौजूदा और नियोजित पहलों का विवरण शामिल है। परियोजनाओं के व्यापक नियोजन और निष्पादन के क्रम में महत्वपूर्ण डेटा का आदान-प्रदान करते हुए प्रत्येक विभाग को एक-दूसरे की गतिविधियों से अवगत रहने की सुविधा होगी।
- **प्राथमिकता:** इसके माध्यम से विभिन्न विभाग विविध क्षेत्रों से संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनाओं को प्राथमिकता देने में सक्षम होंगे।
- **अधिकतम उपयोग:** यह राष्ट्रीय मास्टर प्लान महत्वपूर्ण खामियों की पहचान के बाद विभिन्न परियोजनाओं की योजना बनाने में विभिन्न मंत्रालयों की सहायता करेगा।
- **सामंजस्यीकरण:** पीएम गतिशक्ति प्रत्येक विभाग की गतिविधियों के साथ-साथ शासन-प्रणाली की विभिन्न परतों के बीच काम का समन्वय सुनिश्चित करके उनके बीच समग्र रूप से सामंजस्य स्थापित करने में मदद करेगी।
- **विश्लेषणात्मक:** यह मास्टर प्लान जीआईएस आधारित स्थानिक नियोजन एवं 200 से अधिक परतों वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों के जरिए एक ही स्थान पर संपूर्ण डेटा प्रदान करेगा, जिससे कार्यान्वन से जुड़ी एजेंसी को अपना कामकाज करने में सुविधा होगी।
- **गतिशीलता:** सभी मंत्रालय और विभाग अब जीआईएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विविध क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की परिकल्पना, समीक्षा और निगरानी करने में सक्षम होंगे। इसके माध्यम से मास्टर प्लान को आगे बढ़ाने और उसे अपडेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण उपायों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

योजना के बारे में

जल संरक्षण और उसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बनाई गई है। माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 1 जुलाई, 2015 को आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मंजूरी दी थी।

फंडिंग

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए फंडिंग पैटर्न 90:10 और अन्य राज्यों के लिए 60:40 होगा।

नोडल विभाग

पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन के लिए राज्य कृषि विभाग नोडल विभाग होगा।

उद्देश्य

- क्षेत्र स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण प्राप्त करना।
- खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना।
- उचित प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के माध्यम से जल का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए जल स्रोत, वितरण और इसके कुशल उपयोग का एकीकरण।
- बर्बादी को कम करने और उपलब्धता बढ़ाने के लिए खेत में जल के उपयोग की दक्षता में सुधार करना।
- परिशुद्धता-सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाना।
- जलभृतों के पुनर्भरण को बढ़ाना और सतत जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना।
- उपनगरीय कृषि के लिए उपचारित नगरपालिका अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाना।
- सिंचाई में अधिक से अधिक निजी निवेश आकर्षित करना।

कार्यक्रम घटक

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी):

- राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित चल रही प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना।

हर खेत को पानी:

- लघु सिंचाई के माध्यम से नये जल स्रोतों का निर्माण।
- जल निकायों की मरम्मत, पुनरुद्धार और नवीनीकरण; पारंपरिक जल स्रोतों की वहन क्षमता को मजबूत करना, वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना।
- उन क्षेत्रों में भूजल विकास करना, जहां यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ताकि अत्यधिक वर्षा ऋतु के दौरान अपवाह/बाढ़ के पानी को संग्रहित करने के लिए सिंक बनाया जा सके।
- उपलब्ध स्रोत का लाभ उठाने के लिए, जल प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार, जिससे उनका दोहन पूरी क्षमता से किया जा सके।

प्रति बूंद अधिक फसल:

- कार्यक्रम प्रबंधन, राज्य/जिला सिंचाई योजना की तैयारी, वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन, निगरानी आदि।
- खेत में ड्रिप, स्प्रिंकलर, पिवोट्स, रेन-गन जैसे कुशल जल परिवहन और सटीक जल अनुप्रयोग उपकरणों को बढ़ावा देना।
- जब और जहां प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध हो, उसे संग्रहित करने के लिए नहर प्रणाली के अंतिम छोर पर द्वितीयक भंडारण संरचनाओं की स्थापना।
- पानी उठाने वाले उपकरण जैसे डीजल/इलेक्ट्रिक/सौर पंपसेट जिसमें जल परिवहन पाइप, भूमिगत पाइपिंग प्रणाली शामिल है।

वाटरशेड विकास:

- अपवाह जल का प्रभावी प्रबंधन और बेहतर मिट्टी और नमी संरक्षण गतिविधियाँ जैसे कि रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन, वर्षा जल संचयन, इन-सीटू नमी संरक्षण और वाटरशेड के आधार पर अन्य संबद्ध गतिविधियाँ शामिल हैं।
- पारंपरिक जल निकायों के नवीकरण सहित पहचाने गए पिछड़े वर्षा आधारित ब्लॉकों में पूर्ण क्षमता के जल स्रोत के निर्माण के लिए मनरेगा के साथ तालमेल बिठाना।

राष्ट्रीय कृषि बाजार

योजना के बारे में

राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी/मंडियों का नेटवर्क बनाता है। इसे भारत में कृषि उत्पादों के लिए मौजूदा मंडियों को 'वन नेशन वन मार्केट' के रूप में एक सामान्य ऑनलाइन बाजार मंच के रूप में लॉन्च किया गया था।

- **लॉन्च:** 14 अप्रैल 2016
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी)

ई-नाम योजना के तहत केंद्रीय सहायता

- ई-एनएएम सॉफ्टवेयर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
- विभाग हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्शन, जांच उपकरण और सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं और जैव-खाद इकाई सहित संबंधित बुनियादी ढांचे की खरीद के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रति मंडी 75.00 लाख रुपये तक एकमुश्त निर्धारित लागत के रूप में अनुदान देता है जिससे मंडी को ई-एनएएम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण के लिए तैयार किया जा सके।
- हितधारकों को अपनी क्वेरी पूछने में सक्षम बनाने के लिए हेल्पडेस्क सहायता उपलब्ध है।
- ई-एनएएम पोर्टल के संबंध में जागरूकता और सहायता प्रदान करने के लिए हितधारकों (किसानों, व्यापारियों, एफपीओ, मंडी कर्मचारियों आदि) का नियमित प्रशिक्षण आयोजित करना।

उद्देश्य

- कृषि उत्पादों के अखिल भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए पहले राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर और अंततः एक सामान्य ऑनलाइन बाजार मंच के माध्यम से पूरे देश में बाजारों को एकीकृत करना।
- बाजारों के कुशल कामकाज को बढ़ावा देने के लिए विपणन/लेन-देन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और उन्हें सभी बाजारों में एक समान बनाना।
- किसानों/विक्रेताओं के लिए बेहतर विपणन अवसरों को बढ़ावा देने के लिए:
  - अधिक खरीदारों और बाजारों तक ऑनलाइन पहुंच।
  - किसान और व्यापारी के बीच सूचना विषमता को दूर करना।
  - कृषि वस्तुओं की वास्तविक मांग और आपूर्ति के आधार पर बेहतर और वास्तविक मूल्य की खोज।
- गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता परख प्रणाली स्थापित करना।
- उपभोक्ताओं के लिए स्थिर कीमतों और गुणवत्तापूर्ण उपज की उपलब्धता को बढ़ावा देना।

e-NAM पर ट्रेडिंग के लाभ

- ई-एनएएम पोर्टल किसानों को अपने नजदीकी ई-एनएएम मंडियों के माध्यम से अपनी उपज का व्यापार करने में सक्षम बनाता है और व्यापारियों को किसी भी स्थान से ऑनलाइन बोली लगाने की सुविधा प्रदान करता है।
- यह सभी कृषि उपज बाजार समिति (एपीएमसी) से संबंधित सेवाओं और सूचनाओं के लिए एकल खिड़की सेवाएं प्रदान करता है।
- इसमें अन्य सेवाओं के अलावा कमोडिटी आगमन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीनों/उपकरणों द्वारा गुणवत्ता की जांच, ई-बोली, किसान के खाते में ई-भुगतान निपटान शामिल है।

राज्य किस प्रकार सहायता प्राप्त कर सकते हैं?

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को निम्नलिखित 3 क्षेत्रों के संबंध में अपने एपीएमसी अधिनियमों में अनिवार्य सुधार करने की आवश्यकता है:

- एकल व्यापार लाइसेंस पूरे राज्य में मान्य होगा। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों में बाजार शुल्क की एकल बिंदु वसूली।
- राज्य द्वारा उचित मूल्य-खोज की सुविधा के रूप में ई-नीलामी /ई-ट्रेडिंग का प्रावधान।
- कृषि विपणन विभाग / बोर्ड / एपीएमसी / विनियमित बाजार समितियां (आरएमसी) जैसा भी उचित हो।

पीएम स्वानिधि

योजना के बारे में

यह एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है, जो 7% ब्याज सब्सिडी के साथ कार्यशील पूंजी संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को न केवल ऋण देकर सशक्त बनाना है बल्कि उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान भी करना है। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।

- **लॉन्च:** 1 जून, 2020
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
- **लाभार्थी:** 50 लाख

कार्यान्वयन में समस्याएँ

- यद्यपि उधारकर्ताओं को स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाता है, फिर भी ऋण भुगतान ना होने के कारण एनपीए हुए हैं।
- चूंकि योजनाओं के तहत ऋण संपार्श्विक मुक्त हैं, इसलिए डिफॉल्ट के मामले में बैंकों को कोई सहयोग नहीं मिलता।
- सीमित भागीदारी और कम ऋण वितरण के कारण निजी बैंक का प्रदर्शन भी इस संबंध में असंतोषजनक रहा है।
- कुछ बैंक 100 और 500 रुपये के स्टांप पेपर पर आवेदन मांगते हैं, जबकि कुछ क्रेडिट/सिबिल स्कोर के लिए पैन कार्ड जैसे दस्तावेज मांगते हैं, जो अक्सर छोटे और प्रवासी विक्रेताओं के पास साथ होते।

उद्देश्य

योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

- 1 वर्ष की अवधि के 10,000 तक के संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण तथा पहले ऋणों के पुनर्भुगतान पर क्रमशः दूसरे और तीसरे किश्त में रूपये 20,000 और रूपये 50,000 के बढ़े हुए ऋण की सुविधा प्रदान करना।
- प्रति वर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना।
- प्रति वर्ष 1200 तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना।

कौन भाग ले सकता है?

- जिन लोगों ने नगर पालिकाओं में आयोजित स्ट्रीट वेंडरों के सर्वेक्षण में भाग लिया था और जिनके पास पहचान पत्र और विक्रेता प्रमाण पत्र हैं, वे पीएम स्वानिधि योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वेक्षण में शामिल नहीं किए गए स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य छोटे उद्यमी नगर पालिका से अनुशंसा पत्र के साथ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बजट आवंटन

पीएम स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि) का आवंटन 150 करोड़ रुपये से बढ़कर 468 करोड़ रुपये किया गया।

योजना के लाभ

- विक्रेता 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसे एक वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाना होगा।
- ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती पर, त्रैमासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।
- ऋण का शीघ्र भुगतान करने पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।
- यह योजना निर्धारित डिजिटल लेनदेन करने पर प्रति वर्ष 1200/- रुपये तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देती है।
- विक्रेता ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती पर क्रेडिट सीमा बढ़ाने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

नदी जोड़ परियोजना

योजना के बारे में

वार्षिक आवर्ती बाढ़ के प्रभाव को कम करने और सूखे को कम करने के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अधिशेष जल का भंडारण और हस्तांतरण प्रदान करने के लिए, 1980 में नदियों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई थी। एनपीपी के तहत, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) की तैयारी के लिए 30 लिंक की पहचान की।

एनपीपी लागू करने के समक्ष चुनौतियाँ

- **राजनीतिक चुनौतियाँ:** जल किसी राज्य के लिए उसकी हर तरह की बुनियादी जरूरत के रूप में सम्पति का प्रतीक है, इसलिए कई राज्य अन्य राज्यों को जल का अधिशेष खोने के डर से राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना में शामिल नहीं होना चाहते हैं।
- **आर्थिक चुनौतियाँ:** राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इस परियोजना की प्रोग्रामिंग लागत बहुत अधिक लगभग $87 बिलियन है।
- **पर्यावरणीय चुनौतियाँ:** पर्यावरणविदों के समूह के अनुसार यह परियोजना पूरे देश के भूगोल को बेतहाशा बदल देगी और कई चुनौतियों और प्रकृति के सबसे बुरे प्रभाव को आमंत्रित करेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियाँ:** भारत के पड़ोसी विशेषकर बांग्लादेश इस परियोजना का विरोध करेंगे क्योंकि बांग्लादेश में गंगा का प्रवाह कम हो जाएगा जिससे एनआरएलपी लागू करने में समस्या पैदा होगी।

वर्तमान स्थिति

वर्तमान में, सभी 30 लिंक की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और 24 लिंक की एफआर और 8 लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी हो चुकी है।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना की संरचना

एनपीपी के दो घटक हैं।

हिमालयी घटक:

- गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी संबंधित सहायक नदियों पर भंडारण जलाशयों का निर्माण।
- ब्रह्मपुत्र को गंगा से जोड़ने के अलावा गंगा की पूर्वी सहायक नदियों के अधिशेष प्रवाह को पश्चिम में स्थानांतरित करने के लिए इंटरलिंकिंग नहर प्रणाली।
- ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन को महानदी बेसिन से जोड़ना।

प्रायद्वीपीय घटक:

- महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदियों को आपस में जोड़ना और इन घाटियों में संभावित स्थलों पर भंडारण क्षमता का विकास।
- केन-चंबल को आपस में जोड़ना।
- पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों का मार्ग परिवर्तन।

लाभ

- नदियों को जोड़ने वाली बड़ी नहरों से अंतर्देशीय नेविगेशन में भी सुविधा होने की उम्मीद है।
- परियोजनाओं से सतही जल से 25 मिलियन हेक्टेयर सिंचाई का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
- 34,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन।
- सूखे का शमन।
- बाढ़ नियंत्रण।
- घरेलू एवं औद्योगिक जल आपूर्ति।
- रोजगार सृजन।
- मछली पालन।
- लवणता नियंत्रण।
- प्रदूषण नियंत्रण।
- मनोरंजन की सुविधाएं।
- ढांचागत विकास।
- सामाजिक-आर्थिक विकास।

हानि

- मौजूदा जैव विविधता, वनस्पतियों और जीवों के लिए खतरे के साथ-साथ स्थलीय और जलीय दोनों स्तरों पर पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश।
- परियोजनाओं में बुनियादी ढांचागत विकास और विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी।
- स्थानीय लोगों के जबरन पुनर्वास के कारण सामाजिक अशांति/मनोवैज्ञानिक क्षति।

पीएम विश्वकर्मा

योजना के बारे में

यह योजना 13,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना को पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा 16 अगस्त, 2023 को मंजूरी दी गई थी और 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था।

अन्य सूचना

- यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमओएमएसएमई), कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) और वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएगी।
- एमएसएमई मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त, कार्यान्वयन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार होंगे।
- इसे शुरुआत में 2027-28 तक पांच साल के लिए लागू किया जाएगा।

उद्देश्य

- कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना, उन्हें योजना के तहत सभी लाभों का लाभ उठाने के लिए पात्र बनाना।
- उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।
- उत्पादों और सेवाओं की क्षमता, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरण खरीद हेतु सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थियों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना और ब्याज छूट प्रदान करके ऋण की लागत को कम करना।
- विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेनदेन प्रोत्साहन प्रदान करना।
- उन्हें नए विकास के अवसरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना।

शामिल किये गये व्यवसाय

- बढ़ई
- नाव निर्माता
- हथियार निर्माता
- लोहार
- हथौड़ा और टूल किट निर्माता
- ताला बनाने वाला
- मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला),
- सुनार
- कुम्हार
- मोची (चर्मकार)/जूता कारीगर
- राजमिस्त्री
- टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/ कॉयर
- गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)
- नाई
- माला निर्माता
- मछली पकड़ने का जाल निर्माता

लाभ

- यह योजना आवेदकों को डिजिटल और भौतिक दोनों रूपों में एक यूनिक डिजिटल नंबर के साथ पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान करके उन्हें विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देगी।
- यह कौशल मूल्यांकन, बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण और 500 रुपये के प्रशिक्षण वजीफे जैसे घटकों के माध्यम से कौशल उन्नयन प्रदान करेगा।
- उद्यम विकास के लिए रियायती संस्थागत ऋण तक आसान पहुंच होगी। हालाँकि, 1 लाख रुपये की क्रेडिट सहायता की पहली किश्त का लाभ उठाने हेतु पात्र होने के लिए कौशल मूल्यांकन और पूर्ण बुनियादी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
- यह योजना डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करेगी और ब्रांडिंग, गुणवत्ता प्रमाणन, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान करेगी।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वैश्विक नवाचार सूचकांक-2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर है।
2. सूचकांक का विषय अनिश्चितता की स्थिति में नवाचार है।
3. चीन (12वें स्थान) को छोड़कर, कोई अन्य मध्यम या निम्न-मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था शीर्ष 30 में शामिल नहीं है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सत्य है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई नहीं

2. वैक्सीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023 कैटालिन कारिको, ड्रियू वीसमैन को COVID-19 से लड़ने के लिए प्रभावी mRNA वैक्सीन का आविष्कार में मदद करने के लिए प्रदान किया गया।
2. वैक्सीन शरीर को बाहरी आक्रमणकारियों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस या अन्य रोगजनकों) से लड़ने के लिए तैयार करके संक्रमण को रोकने में मदद करते हैं।
3. सभी वैक्सीन किसी विशेष बैक्टीरिया या वायरस के हानिरहित टुकड़े को शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जिससे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है।
4. एमआरएनए वैक्सीन एमआरएनए के एक टुकड़े को इंजेक्ट करके काम करते हैं जो वायरल प्रोटीन से मेल खाता है, आमतौर पर वायरस की बाहरी झिल्ली पर पाया जाने वाला प्रोटीन का एक छोटा टुकड़ा होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सत्य है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. केवल 3 D. सभी

3. हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के नेतृत्व में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित 23वीं मंत्रिपरिषद (COM) की बैठक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) के वरिष्ठ अधिकारियों की 25वीं समिति में भाग लिया।
2. इस बैठक में भारत को वर्ष 2023-25 के लिए IORA के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया और यह भी निर्णय लिया गया कि भारत 2025-27 में IORA का अध्यक्ष होगा।
3. 1997 में गठित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), एक अंतर-सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य अपने 23 सदस्य राज्यों और 11 संवाद भागीदारों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र के भीतर क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 2 B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3 D. केवल 1 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. CRISPR-Cas9 एक ऐसी तकनीक है जो जीनोम में डीएनए के अत्यधिक विशिष्ट और तेजी से संशोधन की अनुमति देती है, जीनोम एक जीव में आनुवंशिक निर्देशों का पूरा सेट होता है।
2. हाल ही में वैज्ञानिकों ने CRISPR नामक जीन-संपादन तकनीक का उपयोग किया है जो मुर्गियाँ में एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रति कुछ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है।
3. अध्ययन से पता चलता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग संभावित रूप से बर्ड फ्लू के टोल को कम करने का एक उपकरण हो सकता है।

ऊपर उल्लिखित कथनो में कौन से कथन सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 1 और 3

5. 19वें एशियाई खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में 19वें एशियाई खेल 23 सितंबर 2023 से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगझू, चीन में आयोजित किए गए थे, जो मूल रूप से 2022 में आयोजित होने वाले थे और COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिए गए थे।
2. हांग्जो और पांच सह-मेजबान शहरों में 54 प्रतियोगिता स्थलों पर कुल 40 खेलों और 61 विषयों को केंद्र में रखा गया था।
3. भारत ने एशियाई खेल 2022 में 28 स्वर्ण पदक सहित 107 पदक जीते, जिससे महाद्वीपीय बहु-खेल प्रतियोगिता में जीते गए पदकों की कुल संख्या के मामले में यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

ऊपर दिए गए कथन में कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. केवल 3 D. कोई नहीं

6. गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अधिनियम तब भी लागू होता है जब अपराध भारत के बाहर किया गया हो।
2. केंद्र सरकार के पास किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी के रूप में नामित करने की शक्ति होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. दोनों D. कोई नहीं

7. मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. मल्टीमॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार की एआई प्रणाली को संदर्भित करता है जो एक साथ कई तौर-तरीकों या स्रोतों, जैसे पाठ, चित्र, वीडियो, ऑडियो और डेटा के अन्य रूपों से जानकारी को संसाधित कर सकता है।

2. यह विभिन्न प्रकार के डेटा का विश्लेषण कर सकता है और किसी स्थिति या समस्या की अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए अंतर्दृष्टि निकाल सकता है।

3. मल्टीमॉडल एआई विभिन्न स्रोतों से जानकारी को संयोजित करके डेटा की एक समृद्ध और अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सत्य है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी
D. कोई नहीं

8. भारत में चाय उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत विश्व स्तर पर चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

2. भारत का उत्तरी भाग चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो 2021-22 में देश के वार्षिक चाय उत्पादन का लगभग 83% हिस्सा है, जिसमें अधिकांश उत्पादन असम और उसके बाद पश्चिम बंगाल से आता है।

3. भारत दुनिया के शीर्ष 5 चाय निर्यातकों में से एक है, जो कुल निर्यात का लगभग 10% हिस्सा है।

ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सत्य है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी
D. कोई नहीं

9. जलवायु सेवाओं के लिए पहले राष्ट्रीय ढांचे (NFCS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत ने जलवायु सेवाएं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने की दिशा में अपना पहला नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (NFCS) लॉन्च किया है।

2. इसका नेतृत्व भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा किया जायेगा।

3. एनएफसीएस ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (जीएफसीएस) पर आधारित है।

ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सत्य है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 3
D. कोई नहीं

10. OMO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ओपन मार्केट ऑपरेशंस (ओएमओ) उन उपकरणों में से एक है जिसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति और तरलता स्थितियों को विनियमित करने के लिए करता है।

2. ओएमओ खुले बाजार में आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और ट्रेजरी बिल (टी-बिल) की बिक्री और खरीद है।

3. जब आरबीआई सिस्टम में तरलता लाना चाहता है, तो वह बाजार से जी-सेक और टी-बिल खरीदता है जब आरबीआई सिस्टम से अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना चाहता है, तो वह बाजार में जी-सेक और टी-बिल बेचता है।

ऊपर दिए गए विकल्पों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3
D. कोई नहीं

11. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष 19वीं सदी के अंत में शुरू हुआ था।

2. 1917 में 'बालफोर घोषणा' की गई जिसमें यहूदियों के लिए एक देश के गठन की मांग को स्वीकार करते हुए एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई।

3. वर्ष 1993 में हस्ताक्षरित 'ओस्लो शांति समझौते' में यह निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसका एक भाग फिलिस्तीन और दूसरा भाग इजरायल को देने का प्रस्ताव रखा गया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1
B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3
D. कोई नहीं

12. इचामती नदी किस राज्य में स्थित है?

A. पश्चिम बंगाल
B. उत्तर प्रदेश
C. पंजाब
D. कर्नाटक

13. भारत-जापान निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. इसे जलवायु और पर्यावरण परियोजनाओं के लिए भारत के राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष (NIIF) और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (JBIC) द्वारा लॉन्च किया गया है।

2. भारत सरकार भारत-जापान फंड के लिए लक्ष्य कोष में 49% का योगदान देगी, शेष 51% का योगदान JBIC द्वारा किया जाएगा।

3. भारत-जापान फंड का प्रबंधन NIIF लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है?

A. केवल 1
B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3

D. कोई नहीं

14. चुरपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में अरुणाचल याक छुरपी को भौगोलिक संकेत टैग मिला है
2. चुरपी अरुणाचली याक के दूध से तैयार की जाती है, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में पाई जाने वाली एक अनोखी नस्ल है।
3. याक को ब्रोकपास नाम से जाने जाने वाले आदिवासी याक चरवाहों द्वारा पाला जाता है।
4. चुर्पी अरुणाचल प्रदेश के लोगों के दैनिक जीवन और परंपराओं में गहरा सांस्कृतिक महत्व रखता है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1 B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3 D. 1,2,3 और 4

15. साइकी मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. साइकी मिशन मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले एक अद्वितीय क्षुद्रग्रह की यात्रा है।
2. साइकी अंतरिक्ष यान 2029 में लगभग 2.2 बिलियन मील की दूरी तय करके अपने गंतव्य तक पहुंचेगा।
3. अंतरिक्ष यान 26 महीने तक क्षुद्रग्रह की परिक्रमा करेगा, तस्वीरें खींचेगा, सतह का मानचित्रण करेगा और साइकी क्षुद्रग्रह की संरचना का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करेगा।

उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है?

A. केवल 1
B. 1 और 3
C. 1, 2 और 3
D. कोई नहीं

16. संयुक्त डकार घोषणा 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विश्व के 46 सबसे कम विकासशील देशों द्वारा जारी किया गया।
2. यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (सीओपी28) के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन के लिए उनकी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करता है।
3. COP28 30 नवंबर, 2023 से 12 दिसंबर, 2023 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा।
4. डकार घोषणा में तत्काल वैश्विक उत्सर्जन में कटौती, जलवायु वित्त में वृद्धि, नए हानि और क्षति कोष के संचालन के लिए एक मजबूत परिणाम और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अंतर को कम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी वैश्विक स्टॉकटेक का आह्वान किया गया।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. केवल 3 D. सभी

17. इंडिया एजिंग रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यूएनएफपीए (संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष) भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी की।
2. यह रिपोर्ट भारत में बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और संस्थागत प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डालती है।
3. भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी दशकीय वृद्धि दर 41% है।
4. 2050 तक भारत की 20% आबादी बुजुर्ग होगी।

उपरोक्त में कितने कथन सत्य है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. केवल 3 D. सभी

18. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की वनस्पतियों और जीवों के संबंध में सर्वेक्षण, अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1916 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) की स्थापना की गई थी।
2. यह देश में पशु वर्गीकरण पर सर्वोच्च संगठन है।
3. ZSI का मुख्यालय कोलकाता में है और देश भर में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र हैं।
4. यह राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 39 के अनुसार राष्ट्रीय प्राणी संग्रह के लिए एक निर्दिष्ट होस्ट है।

उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. केवल 3 D. केवल 4

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 से 2021 के बीच पूरे भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध 16.2 फीसदी बढ़ गए हैं।
2. 2021 में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में बच्चों के खिलाफ कुल अपराध 1,49,404 थे।
3. मध्य प्रदेश में बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, इसके बाद महाराष्ट्र और यूपी का स्थान है। यूटी में, दिल्ली सूची में शीर्ष पर है।
4. 2021 में बच्चों के खिलाफ लगभग 36 प्रतिशत अपराध POCSO से संबंधित मामले थे।
5. उत्तर प्रदेश में POCSO के तहत सबसे अधिक मामले दर्ज किए

गए हैं, इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का स्थान है।
उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है?

A. केवल 2
B. केवल 3
C. केवल 4
D. सभी

20. सामाजिक प्रभाव बांड (एसआईबी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक सामाजिक प्रभाव बांड (एसआईबी) एक परिणाम आधारित बांड है जहां सामाजिक क्षेत्र से संबंधित वांछित परिणाम के बाद रिटर्न का भुगतान किया जाता है।
2. एक सामाजिक प्रभाव बांड वास्तव में एक बांड नहीं है, क्योंकि पुनर्भुगतान और निवेश पर रिटर्न (आरओआई) वांछित सामाजिक परिणामों की उपलब्धि पर निर्भर होता है।
3. निवेशकों के लिए समाज को वापस लौटाने के एक तरीके के साथ-साथ कंपनियों के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का विस्तार करने के एक तरीके के रूप में सामाजिक प्रभाव बांड में निवेश हाल के वर्षों में बढ़ा है।
4. पहला सामाजिक प्रभाव बांड 2010 में सोशल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी किया गया था।

उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 3
D. सभी

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में जारी की गई विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 में भारत में विकास दर 6.3 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।
2. 2023-24 के दौरान कृषि क्षेत्र में 3.5 प्रतिशत, उद्योग में 5.7 प्रतिशत और सेवाओं में 7.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है।
3. रिपोर्ट में सार्वजनिक ऋण का सकल घरेलू उत्पाद के 83 प्रतिशत पर स्थिर होने की उम्मीद जतायी गयी है।

इनमे से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी
D. कोई नहीं

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है।
2. रिपोर्ट के अनुसार असम में नलबाड़ी, बंगाल में आसनसोल और मध्य प्रदेश में ग्वालियर शीर्ष 10 में शामिल सबसे प्रदूषित तीन शहर हैं।
3. एनसीआर में दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ ने सूची में शीर्ष पांच स्थान हासिल किए।

इनमे से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 3
D. कोई नहीं

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने विशेष रूप से आरईसी के 54EC एक मोबाइल एप्लिकेशन 'सुगम REC' लॉन्च किया है।
2. यह मोबाइल ऐप निवेशकों को आरईसी 54ईसी बांड में उनके निवेश का पूरा विवरण प्रदान करेगा।
3. धारा 54ईसी बांड एक प्रकार के निश्चित आय वाला वित्तीय उपकरण हैं जो आयकर अधिनियम की धारा 54ईसी के तहत निवेशकों को पूंजीगत लाभ के तहत कर छूट प्रदान करता हैं।
4. इससे निवेशकों को अपने कर दायित्वों को अनुकूलित करने और अपने समग्र कर बिल को कम करने की अनुमति मिलती है।

इनमे से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 3
D. सभी

24. निम्नलिखित कथनों पर R21/मैट्रिक्स-M मलेरिया वैक्सीन के सम्बन्ध में विचार करें:

1. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा सह-विकसित R21/मैट्रिक्स-M मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश की है।
2. यह वैक्सीन, RTS,S/AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया वैक्सीन है।
3. वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया और बुर्किना फासो में उपयोग के लिये लाइसेंस दिया गया है।

इनमे से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 3
D. कोई नहीं

उत्तर

1. C	4. C	7. C	10. C	13. C	16. D	19. D	22. C
2. D	5. C	8. C	11. C	14. D	17. D	20. D	23. D
3. C	6. C	9. C	12. A	15. C	18. D	21. C	24. C

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. त्वरित वित्तीयन प्रपत्र (Rapid Financing Instrument) और ''त्वरित ऋण सुविधा (Rapid Credit Facility), निम्नलिखित में किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित हैं?
   (a) एशियाई विकास बैंक
   (b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
   (c) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल
   (d) विश्व बैंक

2. भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. अंकित प्रभावी विनिमय दर [Nominal Effective Exchange Rate (NEER)] में वृद्धि रुपए की मूल्यवृद्धि को दर्शाता है।
   2. वास्तविक प्रभावी विनिमय दर [(Real Effective Exchange Rate (REER)] में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है।
   3. अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER और REER के बीच में वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. ''जी20 कॉमन फ्रेमवर्क'' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. यह जी20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है।
   2. यह अधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ''मुद्रास्फीति-सहलग्न बॉन्ड [Inflation-Indexed Bonds (IIBs)]'' के क्या लाभ हैं?
   1. सरकार IIBs के रूप में अपने ऋणग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है।
   2. IIBs निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं।
   3. IIBs पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूँजीगत लाभ कर-योग्य नहीं होते।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

5. निम्नलिखित में कौन-कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक (रियल सेक्टर) का निर्माण करते हैं?
   1. किसानों का अपनी फसलें काटना।
   2. कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े में बदलना
   3. किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारी कंपनी को धनराशि उधार देना।
   4. किसी कॉर्पोरेट निकाय का विदेश में रुपया-अंकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना।

   नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2, 3 और 4
   (c) केवल 1, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

6. भारत के सन्दर्भ में हाल ही में जनसंचार-माध्यमों में अक्सर चर्चित ''अप्रत्यक्ष अंतरण'' को निम्नलिखित में कौन-सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है?
   (a) कोई भारतीय कंपनी, जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उस बाहरी देश को कर अदा करती हो।
   (b) कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो।
   (c) कोई भारतीय कंपनी, जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है।
   (d) कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों से अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं।

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है।
   2. जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वे अपनी अनुमति दें।
   3. संविधान संशोधन विधेयक लोक सभा और राज्य सभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है।

   उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?
   (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
   (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
   1. भारत का संविधान मंत्रियों को चार श्रेणियों, अर्थात् कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्री, राज्यमंत्री और उपमंत्री, में वर्गीकृत करता है।

2. संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या, प्रधानमंत्री को मिला कर, लोक सभा के कुल सदस्यों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. निम्नलिखित में कौन-सी लोक सभा की अनन्य शक्ति(याँ) है/हैं?

1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना
2. मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना
3. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) केवल 2

(c) 1 और 3 (d) केवल 3

10. भारत में दल-बदल विरोधी कानून के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह कानून विनिर्दिष्ट करता है कि कोई नामनिर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के छह मास के अन्दर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता।
2. यह कानून कोई समयावधि नहीं देता जिसके अन्दर पीठासीन अधिकारी को दल-बदल मामला विनिश्चित करना होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

11. लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. लोकसभा के कार्य-पद्धति और कार्य-संचालन नियमों के अनुसार, उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे।
2. यह आज्ञापक उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से, या शासक दल से, होगा।
3. सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी कि अध्यक्ष की, और उसके विनिर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती।
4. उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है और प्रधान मंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) 1, 2 और 3

(c) केवल 3 और 4 (d) केवल 2 और 4

12. निम्नलिखित फसलों में कौन-सी एक, मेथैन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मानवोद्‌भवी स्रोत है?

(a) कपास (b) धान

(c) गन्ना (d) गेहूँ

13. पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में कौन-सी एक, सूख कर मरुस्थल में बदल गई है?

(a) लेक विक्टोरिया (b) लेक फागुबिन

(c) लेक ओगुटा (d) लेक वोल्टा

14. अक्सर समाचारों में सुनवाई देने वाला शब्द ''लिवैंट'' मोटे तौर पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संगत है?

(a) पूर्वी भूमध्यसागरीय तट के पास का क्षेत्र

(b) उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र

(c) फारस की खाड़ी और अफ्रीका के श्रृंग (हॉर्न ऑफ अफ्रीका) के पास का क्षेत्र

(d) भूमध्य सागर के सम्पूर्ण तटवर्ती क्षेत्र

15. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए:

1. अज़रबैजान
2. किरगिज़स्तान
3. ताजिकिस्तान
4. तुर्कमेनिस्तान
5. उज़्बेकिस्तान

उपर्युक्त में से किनकी सीमाएँ अफगानिस्तान के साथ लगती हैं?

(a) केवल 1, 2 और 5

(b) केवल 1, 2, 3 और 4

(c) केवल 3, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

16. भारत के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मोनाज़ाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है।
2. मोनाज़ाइट में थोरियम होता है।
3. भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनाज़ाइट प्राकृतिक रूप में होता है।
4. भारत में, केवल सरकारी निकाय ही मोनाज़ाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1, 2 और 3 (b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

17. वेब 3.0 के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं।

2. वेब 3.0 संसार में, ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं।
3. वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने की बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

18. ''सॉफ्टवेयर, सेवा के रूप में [Software as a Service (SaaS)]'' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. SaaS क्रयकर्ता, प्रयोक्ता अन्तरापृष्ठ को अपनी आवश्यकतानुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं।
2. SaaS प्रयोक्ता, अपनी चल युक्तियों (मोबाइल डिवाइसेज़) के माध्यम से अपने आंकडों तक पहुँच बना सकते हैं।
3. आउटलुक, हॉटमेल और याहू! मेल SaaS के रूप हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

19. ''क्यूबिट (qubit)'' शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में कौन-से एक प्रसंग में होता है?

(a) क्लाउड सेवाएँ
(b) क्वांटम संगणन
(c) दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियाँ
(a) बेतार संचार प्रौद्योगिकियाँ

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जैवपरत (बायोफिल्म) मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती हैं।
2. जैवपरत खाद्यपदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती हैं।
3. जैवपरत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

21. यदि कोई मुख्य सौर तूफान (सौर प्रज्वाल) पृथ्वी पर पहुँचता है, तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में कौन-से संभव प्रभाव होंगे?

1. GPS और दिक्संचालन (नैविगेशन) प्रणालियाँ विफल हो सकती हैं।
2. विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियाँ आ सकती हैं।
3. बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
4. पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियाँ घटित हो सकती हैं।
5. ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दावाग्नियाँ घटित हो सकती हैं।
6. उपग्रहों की कक्षाएँ विक्षुब्ध हो सकती हैं।
7. ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघुतरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1, 2, 4 और 5
(b) केवल 2, 3, 5, 6 और 7
(c) केवल 1, 3, 4, 6 और 7
(d) 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ''जलवायु समूह (दि क्लाइमेट ग्रुप)'' एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है जो बड़े नेटवर्क बना कर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है और उन्हें चलाता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जलवायु समूह की भागीदारी में एक वैश्विक पहल "EP100" प्रारंभ की।
3. EP100, ऊर्जा दक्षता में नवप्रवर्तन को प्रेरित करने एवं उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध अग्रणी कंपनियों को साथ लाता है।
4. कुछ भारतीय कंपनियाँ EP100 की सदस्य हैं।
5. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ''अंडर2 कोएलिशन'' का सचिवालय है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) 1, 2, 4 और 5
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2, 3 और 5
(d) 1, 2, 3, 4 और 5

23. ''मियावाकी पद्धति'' किसके लिए विख्यात है?

(a) शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में वाणिज्यिक कृषि का संवर्धन
(b) आनुवंशिकत: रूपांतरित पुष्पों का प्रयोग कर उद्यानों का विकास
(c) शहरी क्षेत्रों में लघु वनों का सृजन
(d) तटीय क्षेत्रों में समुदी सतहों पर पवन ऊर्जा का संग्रहण

24. मध्यकालीन भारत में, शब्द ''फणम'' किसे निर्दिष्ट करता था?

(a) पहनावा (b) सिक्के
(c) आभूषण (d) हथियार

25. क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. संविधान सभा में प्रांतीय विधान-सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे।
2. नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

26. 'राष्ट्रीय कृषि बाजार (नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट)' स्कीम को क्रियान्वित करने का/के क्या लाभ है/हैं?

1. यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व-भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है।
2. यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है जिसमें उनके उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 के अनुसार, भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता।
2. भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या-क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की 'अक्षमता' और 'सिद्ध कदाचार' को गठित करते हैं।
3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम, 1968 में दिए गए हैं।
4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है, तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित हो।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 3 और 4 (d) 1, 3. और 4

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गाँधी के कार्यकाल में किया गया था।
2. वर्तमान में, कोयला खंडों का आबंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है।
3. भारत हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किन्तु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को 'लाभ का पद' के आधार पर निरर्हता से छूट देता है।
2. उपर्युक्त अधिनियम पाँच बार संशोधित किया गया था।
3. शब्द 'लाभ का पद' भारत के संविधान में भली भाँति परिभाषित किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

30. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है/हैं?

1. इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है।
2. वे विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

31. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

1.	राधाकांत देब	:	ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष
2.	गजुलु लक्ष्मीनरसु चेट्टी	:	मद्रास महाजन सभा के संस्थापक
3.	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी	:	इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

32. भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निबंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है।

(a) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
(b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।
(c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।
(d) कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की

सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते।

33. भारत के किसी राज्य की विधान सभा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है।
2. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता, तो उस विषय पर वह लोक सभा के नियम का पालन करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

34. 'एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (यूनिफाइड पेमेंट्स इन्टरफेस/UPI)' को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है?

(a) ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वालेट आवश्यक नहीं होंगे।
(b) लगभग दो दशकों में पूरी तरह भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी।
(c) FDI अंतर्वाह में भारी वृद्धि होगी।
(d) निर्धन व्यक्तियों को उपदानों (सब्सिडीज) का प्रत्यक्ष अंतरण (डाइरेक्ट ट्रांसफर) बहुत प्रभावकारी हो जाएगा।

35. भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-सा एक कथन सही है?

(a) अपशिष्ट उत्पादक को पाँच कोटियों में अपशिष्ट अलग-अलग करने होंगे।
(b) ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे।
(c) इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं।
(d) अपशिष्ट उत्पादक के लिए यह आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट, किसी अन्य जिले में न ले जाया जाए।

36. कभी-कभी समाचारों में 'इवेंट होराइजन', 'सिंगुलैरिटी', 'स्ट्रिंग थियरी' और 'स्टैण्डर्ड मॉडल' जैसे शब्द, किस सन्दर्भ में आते हैं?

(a) ब्रह्माण्ड का प्रेक्षण और बोध
(b) सूर्य और चन्द्र ग्रहणों का अध्ययन
(c) पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन
(d) पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास

37. भारत के संदर्भ में, मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्नलिखित में से किस/किन कारक/कारकों का योगदान है?
1. भारत के IT सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का
2. सरकारी व्यय के बढ़ने का
3. विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 (d) 1, 2 और 3

38. यदि आप कोहिमा से कोट्टयम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं, तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अन्दर कम-से-कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना होगा?

(a) 6 (b) 7
(c) 8 (d) 9

39. भारत की संसद किसके / किनके द्वारा मंत्रिपरिषद् के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है?
1. स्थगन प्रस्ताव
2. प्रश्न काल
3. अनुपूरक प्रश्न

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

40. भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत् आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते/करती हैं?
1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ।
2. संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ
3. वित्त आयोग
4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग
5. नीति (NITI) आयोग

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) 1, 3 और 4
(c) 3, 4 और 5 (d) 2 और 5

41. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
1. दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूँजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया।
2. चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया।
3. पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, पहली बार, वित्तीय क्षेत्रक को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2
(c) केवल 3 (d) 1, 2 और 3

42. भारत के धार्मिक इतिहास के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
1. सौत्रान्तिक और सम्मितीय जैन मत के सम्प्रदाय थे।
2. सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि द्रग्विषय (फिनोमिना) के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव

विद्यमान रहते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

43. संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, LTE (लॉन्ग-टर्म इवॉल्यूशन) और VoLTE (वॉइस ओवर लॉन्ग-टर्म इवॉल्यूशन) के बीच क्या अंतर है/हैं?

1. LTE को साधारणत: 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा VoLTE को साधारणत: उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है।
2. LTE डेटा-ओन्लि तकनीक है और VoLTE वॉइस-ओन्लि तकनीक है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

44. किसी भी देश के संदर्भ में, निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूँजी (सोशल कैपिटल) के भाग के रूप में समझा जाएगा?

(a) जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात

(b) इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक

(c) कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप

(d) समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर

45. भारत के संविधान के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. किसी भी केंद्रीय विधि को सांविधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी।
2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

46. भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा एक सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय **नहीं** है?

(a) गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन

(b) भारतीय उधारकर्ताओं को रुपए मूल्यवर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना

(c) विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना

(d) एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना

47. भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित 'इंडियन ओशन डाइपोल (IOD)' के सन्दर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

1. IOD परिघटना, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर-पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है।
2. IOD परिघटना मानसून पर एल-नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

48. मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. संवर्धित वास्तविकता [ऑगमेंटेड रिएलिटि (AR)] में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है।
2. आभासी वास्तविकता वर्चुअल रिएलिटि (VR)] में कम्प्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित हो जाती हैं।
3. AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्ट-फोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है।
4. VR संसार को पृथक् कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निममता का अनुभव प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) 3 और 4

(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 4

उत्तर

1.	(b)	13.	(b)	25.	(b)	37.	(b)
2.	(c)	14.	(a)	26.	(c)	38.	(b)
3.	(c)	15.	(c)	27.	(c)	39.	(d)
4.	(a)	16.	(b)	28.	(a)	40.	(a)
5.	(a)	17.	(d)	29.	(a)	41.	(a)
6.	(d)	18.	(d)	30.	(d)	42.	(b)
7.	(b)	19.	(b)	31.	(b)	43.	(d)
8.	(b)	20.	(d)	32.	(b)	44.	(d)
9.	(b)	21.	(c)	33.	(a)	45.	(d)
10.	(b)	22.	(b)	34.	(a)	46.	(d)
11.	(a)	23.	(c)	35.	(c)	47.	(b)
12.	(b)	24.	(b)	36.	(a)	48.	(b)

मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न

1. शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को 'अपार रजिस्ट्री' (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) बनाने के लिए दी गई सलाह को आप किस रूप में देखते हैं? यह रजिस्ट्री शैक्षणिक तंत्र के लिए किस प्रकार लाभदायक सिद्ध होगा?
2. श्रीलंका और भारत के बीच समुद्री मछुआरों से जुड़े विवादों के प्रमुख बिंदु बताएं। इसके समाधान के लिए हाल में दोनों देशों की सरकारों ने कौन से नए कदम उठाए हैं?
3. इजरायल-फिलिस्तीन युद्ध के मूल कारणों का संक्षेप में उल्लेख करें। भारत का इस संदर्भ में क्या दृष्टिकोण है? भारत सरकार की इन दोनों राष्ट्रों के संबंध में डी-हाईफनेशन पॉलिसी क्या है?
4. पूर्वोत्तर भारत के किसी राज्य को अफस्पा कानून के प्रावधानों के तहत आंतरिक रूप से उपद्रवग्रस्त घोषित करने के मानक क्या हैं? पूर्वोत्तर भारत से अफस्पा को हटाए जाने की मांग के पीछे के कारणों का उल्लेख करें।
5. इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन की संरचना और प्रकार्य स्पष्ट करें। एक शांत, स्थिर, समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र के निर्माण के लिए हो रहे प्रयासों में इसकी भूमिका का मूल्यांकन करें।
6. भारत सरकार ने राष्ट्रीय ड्रोन नीति पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। इसके औचित्य को स्पष्ट करते हुए ड्रोन्स के कुछ सर्वाधिक प्रभावी अनुप्रयोगों का उल्लेख करें।
7. वाटरशेड विकास और प्रबंधन की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए हालिया प्रमुख पहलों का उल्लेख करें। राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर की वॉटरशेड विकास और प्रबंधन में संभावित भूमिका स्पष्ट करें।
8. भारतीय राजव्यवस्था में क्षेत्रीय परिषदों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का मूल्यांकन करें। क्षेत्रीय परिषदों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे?
9. पुरानी और नई पेंशन योजना के बीच अंतर बताइये। राजकोषीय समझदारी बनाए रखने में पुरानी पेंशन योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करें।
10. 'आधार सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक महत्त्वपूर्ण तंत्र के रूप में उभरा है।' इस कथन के आलोक में उदाहरण सहित समझाइए कि आधार ने सरकारी योजनाओं के पारदर्शी और कुशल कार्यान्वयन में कैसे मदद की है? आधार से जुड़े डेटा उल्लंघन और अन्य सुरक्षा चिंताओं के मुद्दे को भी विस्तार से बताएं।
11. हरित प्रौद्योगिकी के विभिन्न रूपों पर चर्चा करें। भारत के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए हरित प्रौद्योगिकी एक व्यवहार्य समाधान के रूप में कैसे उभरी है?
12. गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन करें। क्या यह भारत में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सफल रहा है?
13. किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में नवप्रवर्तन की अहम भूमिका होती है। नवाचार के साथ अनुसंधान एवं विकास भारत को 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में कैसे मदद करेगा?
14. 'जनसांख्यिकीय लाभांश' से आप क्या समझते हैं? हाल ही में यूएनएफपीए की 'इंडिया एजिंग रिपोर्ट, 2023' के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करें।
15. सीआरआईएसपीआर प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? इस तकनीक द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लायी गई क्रांति को उदाहरण सहित समझाइए।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Offline & Online

लक्ष्यभेद

Scholarship Criteria

Rank-1-3 : 100% Discount
Rank-4-6 : 75% Discount
Rank-7-10 : 50% Discount

Registration Fee For Scholarship Test - Rs. 50/-

"The more we sweat in peace, the less we bleed in war"

COMPREHENSIVE
UP-PCS (PRELIMS) TEST SERIES-2024

Starting From

5th November 2023

TOTAL TESTS-27

(12 Sectional with Current Affairs & UP Special + 10 GS Full length Tests + 5 CSAT Tests)

Scholarship Test
Only for Offline Students

5th November
9:00 am

OFFLINE CENTRE :
Delhi (Mukherjee Nagar) Ph: 9289580074 / 75 | Delhi (Laxmi Nagar) Ph: 9205212500 / 9205962002 | Greater Noida Ph: 9205336037 / 38 | Prayagraj Ph: 0532-2260189/8853467068 | Lucknow (Aliganj) Ph: 0522-4025825/9506256789 | Lucknow (Gomti Nagar) Ph: 7234000501/ 7234000502 | Lucknow (Alambagh) Ph: 7518373333/8354933833 | Kanpur Ph: 7887003962/7897003962 | Gorakhpur Ph: 0551-2200385/7080847474 Sultanpur Ph: 8953778800 | Varanasi Ph: 7408098888, 9838529010

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 70

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & Ill Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744